



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
मानविकी विद्याशाखा
भाषाविज्ञान एवं हिन्दी भाषा (भाग दो)
चतुर्थ सेमेस्टर 609



विशेषज्ञ समिति

प्रो० एच.पी. शुक्ल निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	प्रो. सत्यकाम हिन्दी विभाग इग्नू, नई दिल्ली
--	---

प्रो.आर.सी.शर्मा
हिन्दी विभाग
अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़

डा. राजेन्द्र कैड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	डा. शशांक शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल
--	--

पाठ्यक्रम समन्वयक, संयोजन एवं संपादन

डा. राजेन्द्र कैड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	डा. शशांक शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल
---	--

इकाई लेखक	इकाई संख्या
डा. शशांक शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	14
डॉ. दिलीप पाण्डेय हिंदी विभाग, रजा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर, उ.प्र.	8, 9, 10, 11
डॉ. चन्द्र प्रकाश मिश्रा उपाचार्य, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	12, 13

कापीराइट@उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

संस्करण: 2022

सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति

प्रकाशक: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल -263139

मुद्रक : प्रीमियर प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल -263139

ISBN - 978-93-84632-73-1

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

चतुर्थ सेमेस्टर - 609

खण्ड 3 – हिन्दी भाषाविज्ञान	पृष्ठ संख्या
इकाई 8 वाक्य संरचना	102-122
इकाई 9 अर्थविज्ञान	123-140
इकाई 10 अन्य व्याकरणिक इकाईयाँ	141-174
इकाई 11 हिंदी की शब्द-संपदा	175-211
खण्ड 4 – प्रयोजनमूलक हिन्दी	पृष्ठ संख्या
इकाई 12 प्रयोजनमूलक हिंदी	212-224
इकाई 13 पत्राचार: कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र	225-250
इकाई 14 भाषा कम्प्यूटरनिंग (कम्प्यूटर और हिंदी)	251-266

इकाई 8 वाक्य संरचना

इकाई की रूपरेखा

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 वाक्य की अवधारणा
 - 8.3.1 वाक्य की परिभाषा
 - 8.3.2 वाक्य की अवधारणा के विविध आयाम
- 8.4 वाक्य के मुख्य तत्व
- 8.5 वाक्य के भेद
- 8.6 वाक्य-परिवर्तन
 - 8.6.1 वाक्य में परिवर्तन के कारण
- 8.7 प्रोक्ति
 - 8.7.1 प्रोक्ति की संकल्पना
 - 8.7.2 प्रोक्ति के प्रमुख भेद
- 8.8 पारिभाषिक शब्द
- 8.9 सारांश
- 8.10 अभ्यास प्रश्न
- 8.11 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 8.12 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि वाक्य भाषा की इकाई है। वाक्य के माध्यम से ही हम अपने भावों या विचारों को लिखित या मौखिक रूप में व्यक्त करते हैं। इस तरह वाक्य संरचना भाषा का महत्वपूर्ण और मुख्य अंग है। प्राचीन भारतीय तथा पाश्चात्य विचारकों ने वाक्य को सार्थक शब्दों का समूह माना है किन्तु आधुनिक भाषा विज्ञान वाक्य को भाषा की एक पूर्ण इकाई मानता है। इसलिए भाषा में वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण है। वाक्य की विविध अवधारणाओं के अन्तर्गत अर्थपरक, संरचनापरक, संदर्भपरक और मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में वाक्य का अध्ययन होता आया है। प्रसिद्ध भाषाविद् कामताप्रसाद गुरु अर्थ की एक इकाई के रूप में वाक्य को पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह मानते हैं। ब्लूम फील्ड जैसे संरचनावादी विचारक वाक्य में अर्थ या विचार की पूर्णता को सापेक्षिक मानते हैं। चामस्की ने मनोवैज्ञानिक के रूप में

वाक्य की नई किन्तु महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सामाजिक भाषा विज्ञान के अध्ययन से वाक्य केवल भाषिक संरचना तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि वह सामाजिक सन्दर्भपरक इकाई के रूप में भी अध्ययन का विषय बना।

आप वाक्य के मुख्य तत्व के अन्तर्गत पदबन्ध, उद्देश्य और विधेय, समानाधिकरण शब्द, निकटस्थ अवयव, पदक्रम आदि का अध्ययन भी इस इकाई में कर सकेंगे। वाक्य के अनेक भेद हैं। भाषा की आकृति, अर्थदृष्टि, व्याकरणिक गठन तथा क्रिया की दृष्टि से वाक्य के विभिन्न भेदों की जानकारी भी अपेक्षित है। वाक्य भी परिवर्तन के शाश्वत नियम से अछूता नहीं है। वाक्य परिवर्तन की विभिन्न दिशाएं और उसके कारणों का विस्तृत परिचय भी आपके अध्ययन के लिए प्रस्तुत इकाई में दिया गया है। वाक्य संरचना और वाक्य विश्लेषण वाक्य के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रस्तुत इकाई में इन दोनों घटकों के विभिन्न स्तरों का विस्तार से परिचय दिया गया है। इस प्रकार भाषिक संरचना के रूप में आप वाक्य संरचना के विविध रूपों और संदर्भों को समझ सकेंगे और वाक्य संरचना के प्रति अपनी स्पष्ट अवधारणा को व्यक्त करने की क्षमता उपलब्ध कर सकेंगे।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप -

1. वाक्य विज्ञान के विविध क्षेत्रों का सामान्य परिचय कर सकेंगे।
2. वाक्य की अवधारणा और वाक्य की परिभाषा से परिचित हो सकेंगे।
3. भाषा संरचना में वाक्य का स्थान व उसके महत्व को समझ सकेंगे।
4. अर्थ, संरचना, संदर्भ और मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में वाक्य के विभिन्न आयामों को समझ सकेंगे।
5. वाक्य के मुख्य तत्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
6. वाक्य परिवर्तन और उसके प्रमुख कारणों से परिचित हो सकेंगे।
7. वाक्य-संरचना को समझकर वाक्य विश्लेषण करने की क्षमता विकसित कर सकेंगे।

8.3 वाक्य की अवधारणा

आप जानते हैं कि भाषा हमारे भावों और विचारों की संवाहक है अर्थात् हम अपने भाव या विचार भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। भाषा में हमारे भाव या विचार वाक्यों के माध्यम से ही लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि भाषा के बोलने या लिखने में वाक्य ही प्रधान है। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है।

8.3.1 वाक्य की परिभाषा

वाक्य के स्वरूप और परिभाषा को लेकर भाषाविदों में काफी मतभेद रहा है। अधिकतर लोगों ने माना है कि 'वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है जो भाव की अभिव्यक्ति में अपने आप में पूर्ण

होता है। भारत में 150 ई.पू. पतंजलि ने और पहली सदी ई.पू. यूरोप के प्रथम भाषाविद ग्रैक्स ने 'पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द-समूह को वाक्य' माना है। 'वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है' कहने से यह स्पष्ट है कि कृत्रिम रूप से वाक्य को तोड़कर शब्दों को अलग-अलग कर लिया गया है जिससे ये व्यक्त होता है कि वाक्य सार्थक शब्द खण्डों का एक समूह है। इसके विपरीत हम जो सोचते, बोलते या लिखते हैं वह सार्थक शब्द खण्डों में नहीं बल्कि वाक्य में होता है। इसलिए वाक्य अपने आप में भाषा की पूर्ण इकाई है। वाक्य और पद (सार्थक शब्द खण्ड) को लेकर शुरू से ही पर्याप्त मतभेद रहा है। कुछ लोग इसे पदों का समूह कहते हैं तो कुछ पदों को वाक्य के कृत्रिम खण्ड की संज्ञा देते हैं। इस मतभेद की तुलना व्यक्तिवादी और समाजवादी सोच से की जा सकती है। जैसे व्यक्तिवादी विचारधारा समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देती है क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। वाक्य को सार्थक शब्दों का समूह कहना इसी सोच के अन्तर्गत आता है। दूसरी ओर, समाज सापेक्ष विचारधारा व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। पदों को वाक्य के कृत्रिम खण्ड कहना इसी सोच की देन है। भारतीय मीमांसकों के विचारों में उक्त दोनों विचारधाराओं की छाया शुरू से ही देखी जा सकती है। 'अभिहितान्यववाद' के प्रवर्तक कुमारिल की मान्यता है कि शब्द या पद ही वस्तुतः अर्थवाचक होते हैं और एक विशेष क्रम में वे वाक्य का रूप ग्रहण करते हैं। कुमारिल ने शब्द या पद की सत्ता का प्रधान माना है। वाक्य पदों या शब्दों का ही जोड़ा हुआ रूप है। इसके विपरीत कुमारिल के शिष्य प्रभाकर ने भाषा में वाक्य की सत्ता को सर्वोपरि माना। प्रभाकर द्वारा प्रवर्तित 'अन्विताभिधानवाद' सिद्धान्त के अनुसार वाक्य की सत्ता ही मूल है, पद उसके तोड़े गए अंश या खण्ड हैं। भाषा में वाक्य ही अर्थबोध का कारण बनते हैं। इसके बाद भर्तृहरि ने भी अपने ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' में वाक्य की सत्ता को ही वास्तविक कहा है। उनके अनुसार वाक्य के पृथक पदों की कोई निजी पहचान नहीं होती। वाक्य की परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पण' में वाक्य के संदर्भ में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो वाक्य संरचना को जानने-समझने में भी सहायक सिद्ध होता है। विश्वनाथ की परिभाषा के अनुसार - वाक्य की आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति तथा अन्विति चार अनिवार्य शर्तें हैं। 'आकांक्षा' से तात्पर्य शब्दों की परस्पर पूरकता से है। जैसे - 'वह पुस्तक पढ़ता है।' वाक्य में तीन पद हैं - 'वह' 'पुस्तक' 'पढ़ता है'। व्याकरणिक दृष्टि से तीनों परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा रखते हैं। 'वह' कर्ता है जिसे 'पढ़ना' क्रिया की आकांक्षा है और 'पढ़ता है' क्रिया है जिसे कर्म की आकांक्षा है। 'पुस्तक' कर्म है जिसे एक कर्ता और एक क्रिया की आकांक्षा है। इस प्रकार ये तीन पद परस्पर आकांक्षा से पूर्ण होकर अर्थात् मिलकर एक सार्थक वाक्य की संरचना करते हैं। 'योग्यता' से तात्पर्य अभिव्यक्ति से है। वाक्य में आए शब्द या पद यदि असंगत अर्थ की अभिव्यक्ति करें तो व्याकरणिक दृष्टि से परस्पर सम्बद्ध होते हुए भी वाक्य नहीं कहलायेंगे। 'वह खाना खाता है' वाक्य है किन्तु 'वह अग्नि खाता है' वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें अर्थ की संगति नहीं है। इसमें पदों के मध्य परस्पर अर्थबोध की योग्यता नहीं है।

‘आसक्ति’ का अर्थ समीप होना या सातत्य होना है। वाक्य में पदों के बीच लम्बा अन्तराल नहीं होना चाहिए। वाक्य के अर्थबोध के लिए पदों की निकटता या सातत्व अनिवार्य है।

‘अन्विति’ का अर्थ है कि व्याकरणिक दृष्टि से एकरूपता। यह एकरूपता प्रायः वचन, कारक, लिंग और पुरुष आदि की दृष्टि से होती है। हिन्दी में क्रिया प्रायः लिंग, वचन, पुरुष में कर्ता के अनुकूल होती है। ‘सुधा गये’ या ‘सोहन गयी’ वाक्य में अन्विति का अभाव है क्योंकि इनमें व्याकरणगत एकरूपता नहीं है। अतः वाक्य में अन्विति का होना अनिवार्य है। आधुनिक भाषा विज्ञान में वाक्य को ही भाषा की पूर्ण इकाई माना गया है। मनुष्य का चिन्तन और लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति वाक्य के माध्यम से ही होती है। इसलिए भाषा में वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ‘वाक्य ही भाषा की पूर्ण एवं सार्थक इकाई है’।

वाक्य की परिभाषाओं के विश्लेषण से वाक्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं -

1. वाक्य सार्थक होता है।
2. वाक्य एक या एक से अधिक शब्दों या पदों का होता है।
3. वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण में दो बातें और भी सामने आती हैं कि वाक्य को शब्दों का समूह कहा गया है अर्थात् वाक्य में एक से अधिक शब्द होते हैं किन्तु एक शब्द का भी वाक्य हो सकता है। जैसे आग लगने पर कोई ‘आग-आग’ कहते हुए चिल्लाए या बच्चा माँ से केवल ‘पानी’ कहे तो भी वह वाक्य होगा और अर्थ की दृष्टि से पूर्ण अभिव्यक्त करेगा। इतना ही नहीं, कई शब्द वाक्य में बिना प्रयोग हुए भी अपना अर्थ व्यक्त करते हैं किन्तु ऐसा उसी स्थिति में होता है जब पूर्वापर प्रसंग ज्ञात हो। नाटक, कहानी उपन्यास के साथ ही प्रायः वार्तालाप में ऐसे वाक्य प्रयोगों को देखा जा सकता है। वाक्य में अप्रयुक्त शब्दों का अर्थ जब पूर्वापर प्रसंगों से व्यक्त होता है तब अध्याहार कहलाता है। उदाहरण के लिए इन वाक्यों को देखें -

सुनो, कहाँ जा रहे हो ? (तुम)
 तुम्हारी क्यों सुनूँ (बात)
 मैंने उसे निकाल दिया। (नौकरी से)

8.3.2 वाक्य की अवधारणा के विविध आयाम

आधुनिक भाषाविद वाक्य की अवधारणा पर विविध आयामों से विचार करते रहे हैं। जैसे वाक्य को अर्थ की एक इकाई माना जाय या संरचना की। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक और संदर्भपरक इकाई के रूप में भी वाक्य की अवधारणा पर आधुनिक वाक्य विज्ञान में विचार किया गया है। यहाँ हम वाक्य की उक्त अवधारणा को उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे।

(1) **अर्थ की एक इकाई के रूप में वाक्य** - प्राचीन काल के भाषाविदों ने वाक्य को अर्थ की एक पूर्ण इकाई मानते हुए उसे पूर्ण और स्वतंत्र माना है। कामताप्रसाद गुरु ने भी वाक्य को एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला समूह माना है। नीचे दिए गये दो वाक्य के उदाहरणों को ध्यान

से देखने पर पता चलता है कि इनमें पहले वाक्य के शब्द-समूह संगठित रूप में एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं जबकि दूसरे वाक्य के शब्द-समूह में परस्पर अर्थ संगति न होने के कारण पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं होता। स्पष्ट है कि पहला वाक्य अर्थ की एक पूर्ण इकाई होने के कारण 'वाक्य' कहा जायेगा जबकि दूसरा वाक्य अर्थ की पूर्ण इकाई न होने के कारण 'वाक्य' की श्रेणी में नहीं आयेगा।

1. मेरे माता-पिता कल मुझसे मिलने आ रहे हैं।
2. मेरे माता-पिता, घर में, आकाश पर जायेंगे।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वाक्य केवल शब्दों का समूह मात्र नहीं है बल्कि वह सार्थक और सुसम्बद्ध शब्दों का वह समूह है जिससे एक पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती है।

(2) **संरचनापरक इकाई के रूप में वाक्य** - अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने संरचनापरक इकाई के रूप में वाक्य में अर्थ या विचार की पूर्णता को सापेक्षिक माना है। एक विचार को एक या एक से अधिक वाक्य में भी व्यक्त किया जा सकता है। संरचनावादी भाषाविद् वाक्य को कुछ घटकों के मेल से बनी रचना मानते हैं। ब्लूम फील्ड इसी मत के समर्थक हैं। उनकी मान्यता है कि वाक्य एक ऐसी रचना है जो किसी उक्ति विशेष में अपने से बड़ी किसी रचना का अंग नहीं बन सकती। वाक्य की इसी विशेषता के कारण वाक्य को भाषा की पूर्ण और स्वतंत्र इकाई कहा गया है। इसी सन्दर्भ में नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखें -

ध्वनियाँ	-	ब + ए + ट + आ
शब्द	-	मेरा/बड़ा/बेटा/कल
पदबन्ध	-	मेरा बड़ा बेटा/कल/आ रहा है
उपवाक्य	-	मैंने उसे बताया कि/मेरा बड़ा बेटा कल आ रहा है।
वाक्य	-	मैंने उसे बताया कि मेरा बड़ा बेटा कल आ रहा है।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ध्वनियाँ, शब्द, पदबन्ध, उपवाक्य, वाक्य के विभिन्न घटक हैं। इसमें ध्वनि से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पदबन्ध, पदबन्ध से बड़ा उपवाक्य और उपवाक्य से बड़ा वाक्य एक पूर्ण इकाई है। इस तरह वाक्य विभिन्न घटकों में अन्तिम सबसे बड़ी इकाई है।

(3) **मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में वाक्य** - संरचनावादी भाषा वैज्ञानिकों ने वाक्य को एक सूत्र तथा विश्लेषणयुक्त रचना के रूप में स्थापित किया किन्तु चामस्की जैसे भाषा वैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में वाक्य की विवेचना की। चामस्की के अनुसार वाक्य मानव मस्तिष्क में अवस्थित एक अमूर्त संकल्पना है जिसका व्यक्त या व्यावहारिक रूप उक्ति है। अपने अव्यक्त मानसिक रूप में वाक्य एक आदर्श वाक्य होता है जिसे हर दृष्टि से पूर्ण और सही माना जाता है। बाह्य रचना के माध्यम से व्यक्त होने वाला उसका रूप मानसिक रूप से भिन्न भी हो सकता है। अतः वाक्य की दो प्रकार की संरचनाओं की कल्पना की गयी है - बाह्य रचना और आन्तरिक रचना।

आधुनिक भाषा विज्ञान में आन्तरिक या गहन रचना को अंतर्निहित स्वरूप कहते हैं क्योंकि यह उस अर्थ में संरचना नहीं है जिस अर्थ में बाह्य संरचना होती है। अतः बाह्य संरचना

और आन्तरिक संरचना में सूक्ष्म अन्तर है। आन्तरिक या गहन संरचना वक्ता के अन्तर्मन में निहित रहती है जबकि बाह्य संरचना ध्वनियों या लिपि के माध्यम से स्पष्ट व्यक्त होती है। जैसे बोलते या लिखते समय हमारे मन में भी एक संरचना बनती रहती है। आन्तरिक संरचना की सत्ता केवल मानसिक है जबकि बाह्य संरचना भौतिक रूप (लिखित रूप या मौखिक रूप) में है। आन्तरिक संरचना में शब्द और व्याकरण के घटक अपने अमूर्त रूप में होते हैं जबकि बाह्य संरचना में वे मूर्त रूप में एक रचना के रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार बाह्य रूप से एक दिखाई देने वाले वाक्य में एक या एक से अधिक आन्तरिक वाक्य निहित हो सकते हैं। इन आन्तरिक वाक्यों को आधायित वाक्य कहा गया है। जिस वाक्य में आधायित वाक्य छिपा होता है उसे आधात्री वाक्य कहा जाता है। जैसे -

- बाह्य संरचना - अध्यापक ने छात्रों को कक्षा में शोर मचाते हुए देखा।
 आन्तरिक संरचना- (1) अध्यापक ने छात्रों को देखा। (आधात्री वाक्य)
 (2) छात्र कक्षा में शोर मचा रहे थे। (आधायित वाक्य)

संरचनावादी भाषा वैज्ञानिकों का मानना था कि अर्थ का विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि अर्थ वाक्य की पूर्ण इकाई है। चामस्की ने अपने वाक्य विश्लेषण में अर्थ बोध को एक घटक के रूप में स्वीकार किया। इसी घटक के कारण बाह्य स्तर पर समान दिखाई पड़ने वाले किन्तु आन्तरिक स्तर पर भिन्न वाक्यों में अन्तर स्थापित करना सम्भव हो सका।

(4) **सन्दर्भपरक इकाई के रूप में वाक्य** - सामाजिक भाषा विज्ञान और सांकेतिक प्रयोग विज्ञान ने भाषा विज्ञान के विकास में अध्ययन का एक नया आयाम जोड़ा। इससे वाक्य की संकल्पना में बड़ा बदलाव आया। अब केवल भाषिक संरचना के रूप में ही नहीं बल्कि सामाजिक सन्दर्भपरक इकाई के रूप में वाक्य एक सामाजिक घटना या कार्यवृत्त के घटक के रूप में अध्ययन का विषय बना। वाक्य का सम्बन्ध पूरे सामाजिक परिवेश से जोड़ते हुए इसे मूल भाषिक इकाई नहीं अपितु सन्देश-सम्प्रेषण की एक इकाई माना गया। सन्देश-सम्प्रेषण की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई वाक्य को न मान कर प्रोक्ति को माना गया। प्रोक्ति वह वाक्य या वाक्य समूह है जो वक्ता के पूरे मन्तव्य या विचार बिन्दु को अभिव्यक्त करे। प्रसंग के अनुसार प्रोक्ति एक शब्द से लेकर एक या एक से अधिक वाक्य या एक अनुच्छेद से लेकर एक पूरे अध्याय की हो सकती है। वाक्य की परिभाषा उसके स्वरूप और तद्सम्बन्धित अवधारणाओं में निरन्तर विकास होता रहा है। फलतः वाक्य की अवधारणाओं में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है।

8.4 वाक्य के मुख्य तत्व

वाक्य में निम्नलिखित तत्व होते हैं-

पदबन्ध - वाक्य के उस भाग को पदबन्ध कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर सम्बद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किन्तु पूरा अर्थ नहीं देते - पदबन्ध या वाक्यांश कहते हैं। रचना की दृष्टि से पदबन्ध में तीन बातें आवश्यक हैं। पहली, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरी, ये पद इस

तरह सम्बद्ध होते हैं कि उनकी एक इकाई बन जाती है। तीसरी, पदबन्ध किसी वाक्य का अंश होता है। वाक्य में पदबन्ध का क्रम व्याकरण की दृष्टि से निश्चित होता है। पदबन्ध और उपवाक्य में अन्तर को भी समझ लेना आवश्यक है। उपवाक्य (बसनेम) भी पदबन्ध (चूीतंेम) की तरह पदों का समूह है लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं। पदबन्ध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया रहती है।

उद्देश्य और विधेय - वाक्य में मुख्य रूप से दो खण्ड होते हैं - उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में विधान करने वाला शब्द विधेय कहलाता है। जैसे 'पानी गिरता है' वाक्य में 'पानी' शब्द उद्देश्य है और 'गिरता है' शब्द विधेय।

उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। जो शब्द उद्देश्य के अर्थ में विस्तार करते हैं, उन्हें उद्देश्यवर्धक कहते हैं। जैसे - 'मेरी पुस्तक लाओ' वाक्य में 'मेरी' सम्बंधकारक उद्देश्यवर्धक है। मुख्य रूप से विधेय को क्रिया भी कहते हैं। जो शब्द विधेय का विस्तार करते हैं, उन्हें विधेयवर्धक कहते हैं। जैसे - 'माला कल आयेगी' या 'मोहन निबन्ध लिखता है' वाक्य में क्रमशः 'आयेगी', 'लिखता है' विधेय है और 'कल', 'निबन्ध' विधेय का विस्तार है।

समानाधिकरण शब्द - किसी समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त शब्द या शब्दांश को समानाधिकरण कहते हैं। जैसे - 'श्याम, श्री मोती राम का पुत्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ' वाक्य में श्याम को स्पष्ट करने वाला श्री मोतीराम का 'पुत्र' श्याम समानाधिकरण है।

निकटस्थ अवयव (Immediate constituent) - यह तो आप जानते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त 'पद' ही उसके अंग या अवयव हैं। इन्हीं से मिलकर वाक्य की संरचना होती है। कोई वाक्य रचना जिन दो या दो से अधिक अवयवों (पदों) से मिलकर बनती है उनमें से प्रत्येक 'निकटस्थ अवयव' कहलाता है। यहाँ निकटस्थ का तात्पर्य स्थान से नहीं बल्कि अर्थ से है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य को देखें -

जैसे ही वह स्टेशन पहुँचा, वैसे ही रेल चल दी।

इस वाक्य में सात पद हैं। निकटस्थ अवयव की दृष्टि से इस वाक्य का विभाजन इस प्रकार होगा।

जैसे ही वह स्टेशन पहुँचा।

वैसे ही रेल चल दी।

ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि कई स्तरों पर निकटस्थ अवयवों को अलग किया जा सकता है। निकटस्थ अवयव पदक्रम या शब्दक्रम पर निर्भर करते हैं जो वाक्य संरचना में दूर होने पर भी अर्थ की दृष्टि से निकट होते हैं। वाक्य में निकटस्थ अवयवों का अधिक महत्व है क्योंकि इन्हीं से अर्थ प्रकट होता है। भाषा का प्रयोक्ता या श्रोता जाने-अनजाने इससे परिचित होता है। यदि ऐसा न हो तो वह अर्थ नहीं समझ सकता।

डॉ भोलानाथ तिवारी ने 'वाक्य सुर' को भी निकटस्थ अवयव माना है क्योंकि इसके बिना कभी-कभी ठीक अर्थ की प्रतीति नहीं होती। जैसे 'आप जा रहे हैं' वाक्य के वाक्य सुर के आधार कई अर्थ हो सकते हैं -

आप जा रहे हैं। (सामान्य अर्थ)

आप जा रहे हैं ? (प्रश्नवाचक अर्थ)

आप जा रहे हैं ! (आश्चर्यसूचक अर्थ)

यहाँ तीनों वाक्य में ही भिन्न-भिन्न प्रकार के वाक्य सुर वाक्य के निकटस्थ अवयव हैं।

आधारभूत वाक्य - किसी भी भाषा के मूल वाक्य के निर्धारण किए बिना उस भाषा की वाक्य व्यवस्था को समझना मुश्किल है। भाषा में वाक्य कई स्वरूप ग्रहण कर प्रयुक्त होते हैं। इनमें कभी एक उपवाक्य हो सकता है और कभी एक से अधिक। कुछ वाक्य पूर्णांग हो सकते हैं, कुछ अल्पांग। संज्ञा पदबन्ध के रूप में संकुचित होकर एक ही वाक्य में दूसरा वाक्य अपना स्थान बना ले सकता है। प्रत्येक वाक्य में एक आधारभूत वाक्य की सत्ता अनिवार्य रूप से होती है। यह बीज वाक्य भी कहलाता है। इसी से भाषा के अनेक वास्तविक वाक्य प्रजनित होते हैं। जैसे देखें -

वास्तविक वाक्य - इस कक्षा के सभी छात्र नियमित रूप से होमवर्क करते हैं।

आधारभूत वाक्य - छात्र होमवर्क करते हैं।

आधारभूत वाक्य के कुछ सामान्य तत्व इस प्रकार हैं -

(क) अनिवार्य घटक - आधारभूत वाक्यों में केवल अनिवार्य घटक ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐच्छिक घटक नहीं। उदाहरण के लिए 'बच्चा दूध पीता है' को आधार वाक्य कहेंगे क्योंकि इसके सारे घटक अनिवार्य हैं जबकि 'बच्चा कभी-कभी दूध पीता है' में कभी-कभी ऐच्छिक घटक है क्योंकि इसके बिना भी वाक्य व्याकरण और मूल अर्थ की दृष्टि से पूर्ण है। इसलिए यह ऐच्छिक घटक आधारभूत वाक्य का अंग नहीं हो सकता।

(ख) कथानात्मक वाक्य - आधारभूत वाक्य सरल कथानक वाक्य से बनते हैं। संयुक्त मिश्र या अल्पांग वाक्य आधारभूत वाक्य के अन्तर्गत नहीं रखे जा सकते। इसी तरह प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक आदि संदर्भ-विशिष्ट वाक्य भी आधारभूत वाक्यों की कोटि में नहीं आते क्योंकि इन सबको आधारभूत वाक्यों से रूपान्तरित किया जा सकता है।

(ग) नियंत्रक तत्व क्रिया - आधारभूत वाक्यों में क्रिया ही नियंत्रक शक्ति है। क्रिया की प्रकृति और माँग के अनुसार ही वाक्य रचना का निर्धारण किया जाता है और वाक्य में आने वाले घटकों (कर्ता, कर्म) की संख्या भी क्रिया ही निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए 'रोना' क्रिया (अकर्मक) एक घटक (कर्ता) की अपेक्षा करती है। 'खाना' क्रिया (सकर्मक) दो घटकों (कर्ता तथा कर्म) की और 'लेना' क्रिया (द्विकर्मक) तीन घटकों (कर्ता, कर्म और संप्रदान) की। हर भाषा में आधारभूत वाक्यों की संख्या अलग-अलग हो सकती है।

वाक्य में पदक्रम - आप यह जान चुके हैं कि पदों के समूह से ही वाक्य की रचना होती है किन्तु पदों का एक निश्चित क्रम ही वाक्य रचना को पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। वाक्य में पदक्रम की दृष्टि से दो प्रकार की भाषाएँ हैं। कुछ भाषाओं में पदों का स्थान निश्चित नहीं होता है। इन भाषाओं में शब्दों के साथ या शब्दों में विभक्ति लगी हुई होती है। अतः कोई पद कहीं भी रख देने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। फारसी, संस्कृत आदि इस तरह की भाषाएँ हैं।

हिन्दी जैसी भाषा में वाक्य में पदक्रम निश्चित होता है। इनमें पदों का निश्चित स्थान बदलने से वाक्य में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। 'राम ने रावण को मारा' वाक्य में यदि 'राम' की जगह 'रावण' और 'रावण' की जगह 'राम' को रख दिया जाय तो अर्थ बदल जाता है। अतः हिन्दी में पदक्रम का स्थान निश्चित है। हिन्दी भाषा के वाक्य में कर्ता कर्म के पश्चात क्रिया रखते हैं। जैसे राम (कर्ता) ने रोटी (कर्म) खायी (क्रिया)। इसी तरह विश्लेषण संज्ञा के पूर्व और क्रिया विशेषण क्रिया के पूर्व रखे जाते हैं। सुन्दर (विशेषण) फूल (संज्ञा) धीरे-धीरे (क्रिया विशेषण) मुरझा गया (क्रिया)। प्रश्नवाचक शब्द जैसे (क्या, कौन, कहाँ) सामान्य रूप से वाक्य के पहले आते हैं।

जैसे - कहाँ जा रहे हो ?

किसने दरवाजा खोला ?

क्या तुम घर जाओगे ?

कौन घर जायेगा ?

कहानी, उपन्यास, आदि में भाषा में रोचकता लाने के लिए आजकल पदक्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। किसी शब्द विशेष के भाव पर बल देने के लिए पदक्रम को तोड़-मरोड़कर भी रखा जाता है किन्तु अर्थ की कोई हानि नहीं होती। कुछ वाक्यों को देखें -

थक गया हूँ मैं बहुत।

अब जा रहा हूँ घर मैं।

वह यहाँ आयेगी तो एक बार अवश्य।

कुछ लोग इस प्रकार की वाक्य रचना पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव भी स्वीकार करते हैं।
वाक्य में स्वराघात - वाक्य में बलात्मक स्वराघात का विशेष महत्व है। शब्दक्रम एक रहने पर भी इसके कारण वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। आश्चर्य, शंका, प्रश्न, निराशा आदि का भाव प्रायः संगीतात्मक स्वाराघात या वाक्यसुर से व्यक्त किया जाता है। जैसे - 'आप जा रहे हैं' वाक्य को विभिन्न रूप में सुर देकर इसे आश्चर्य, शंका, प्रश्न आदि का सूचक बनाया जा सकता है। यही बात बलात्मक स्वाराघात के सम्बंध में भी है। वाक्य के पद विशेष पर बल देकर उसका स्थान वाक्य में प्रधान किया जा सकता है।

8.5 वाक्य के भेद

निम्नलिखित आधारों पर वाक्य के विभिन्न भेदों का अध्ययन किया जा सकता है -

1. भाषा की आकृति
2. अर्थ की दृष्टि से
3. रचना या व्याकरणिक गठन
4. क्रिया
5. वाच्य
6. शैली

क - भाषा का आकृति - आकृति या रूप की दृष्टि से विश्व में प्रमुखतः दो प्रकार की भाषाएँ हैं - अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक या वियोगात्मक भाषाओं में शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय आदि का योग नहीं रहता अर्थात् शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि जोड़कर अन्य शब्द या वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य रूप नहीं बनाए जाते। अयोगात्मक भाषा में वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य में केवल स्थान के अनुसार शब्दों का अर्थ प्रकट होता है। इसलिए इस वर्ग में आने वाली भाषाओं के 'स्थान प्रधान' भाषा भी कहते हैं। इस वर्ग की प्रमुख भाषा चीनी है। इसके विपरीत योगात्मक भाषा में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय या विभक्ति आदि का योग रहता है। जैसे 'राम ने रावण को मारा' वाक्य में 'ने' 'को' विभक्ति से शब्दों का परस्पर सम्बंध प्रकट होता है जिससे वाक्य का पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है। अतः कह सकते हैं कि हिन्दी की वाक्य रचना आकृति की दृष्टि से योगात्मक है।

ख - अर्थ की दृष्टि - वाक्य में अर्थ एक अनिवार्य तत्व है। अर्थ की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति करने वाली रचना ही वाक्य कहलाती है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आठ भेद किए गए हैं -

1. **विधानार्थक वाक्य** - जिससे किसी बात का होना पाया जाया जैसे - नैनीताल पहले एक गाँव था।
2. **निषेधात्मक वाक्य** - किसी बात का निषेध अथवा विषय का अभाव सूचित करता है। जैसे - पानी के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। आपको वहाँ नहीं जाना था।
3. **आज्ञार्थक वाक्य** - इसमें आज्ञा, विनती या उपदेश का अर्थ व्यक्त होता है। जैसे - सदा सच बोलो। सभी छात्र यहाँ आये।
4. **प्रश्नवाचक वाक्य** - प्रश्नवाचक वाक्य किसी प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे - यह व्यक्ति कौन है ?
पेड़ किसने काटा ?
वह काम पर कब आयेगा ?
तुम्हारी माँ कैसी है ?
5. **विस्मयबोधक वाक्य** - वाक्य आश्चर्य, विस्मय आदि भाव प्रकट करते हैं। जैसे - वाह! ताजमहल कितना सुन्दर है।
वह इतना मूर्ख है।
6. **इच्छाबोधक वाक्य** - इसमें इच्छा या आशीष व्यक्त होता है। जैसे - ईश्वर सबका भला करे।
सभी सुखी व सम्पन्न हों।
7. **संदेह सूचक** - इसमें वाक्य से किसी बात का सन्देह या सम्भावना का भाव प्रकट होता है। जैसे -
कहीं वही तो चोर नहीं है।
शायद आज वर्षा हो।

8. **संकेतार्थक वाक्य** – इसमें संकेत अथवा शर्त का भाव होता है। जैसे -
आप कहें जो मैं जाऊँ।
गाड़ी आए तब मैं जाऊँ।

ग - व्याकरणिक रचना की दृष्टि से - व्याकरणिक रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं।

(1) सरल वाक्य (2) मिश्र वाक्य (3) संयुक्त वाक्य

सरल वाक्य - जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे 'साधारण या सरल वाक्य' कहते हैं, इसमें एक 'उद्देश्य और एक विधेय' रहते हैं। जैसे 'बिजली चमकती है', 'पानी बरसा'। इन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात् कर्ता और विधेय अर्थात् क्रिया है, अतः ये साधारण या सरल वाक्य हैं।

मिश्र वाक्य - जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उनके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक क्रियाएं हों, उसे 'मिश्र वाक्य' कहते हैं। जैसे 'वह कौन-सा मनुष्य है, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो।' 'मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य' और 'मुख्य विधेय' से जो वाक्य बनता है, उसे 'मुख्य उपवाक्य' कहते हैं और दूसरे वाक्यों को 'आश्रित उपवाक्य' कहते हैं। पहले को 'मुख्य वाक्य' और दूसरे को 'सहायक वाक्य' भी कहते हैं। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है।

संयुक्त वाक्य - 'संयुक्त वाक्य' उस वाक्य समूह को कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों, इस प्रकार वाक्य लम्बे और आपस में सम्बद्ध होते हैं। जैसे - 'मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरन्त डाक्टर को बुलाना पड़ा।'

वाच्य की दृष्टि से - इस दृष्टि से वाक्यों को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

(1) **कर्तृवाच्य** - जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उस वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे - राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में 'राम' उद्देश्य है और यही कर्ता भी है और उसी के बारे में बात कही गयी है।

(2) **कर्मवाच्य** - जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और वह वाक्य का उद्देश्य भी हेता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहा जाता है। उदाहरणतः पत्र लिख जा रहा है, इस वाक्य में पत्र कर्म है और इसी की इसमें प्रधानता भी है तथा यह उद्देश्य भी है।

(3) **भाववाच्य** - जिस वाक्य में कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता न होकर किसी क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। उदाहरणतः - उससे अब पढ़ाई की नहीं जाती है। इस वाक्य में पढ़ाई न किए जाने पर के भाव पर बग है, यह उद्देश्य भी है, अतः यह भाववाच्य वाक्य है।

घ - क्रिया की दृष्टि से - वाक्य में क्रिया का स्थान प्रमुख है। वह वाक्य का अनिवार्य तत्व है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य में क्रिया अवश्य रहती है। अतः क्रिया के होने या न होने के आधार पर भी वाक्य दो भेद हो सकते हैं - क्रियायुक्त वाक्य और क्रियाहीन वाक्य।

क्रियायुक्त वाक्य का आशय जिन वाक्य में क्रिया हो। अधिकांश वाक्य क्रिया युक्त ही होते हैं। क्रियाहीन वाक्य में क्रिया नहीं होती। हिन्दी यद्यपि क्रियाहीन वाक्य प्रधान भाषा नहीं है, तो भी समाचार पत्रों, टी.वी. की खबरों, विज्ञापनों और लोकोक्तियों में क्रियाहीन वाक्यों का प्रयोग तेजी से प्रचलित हो रहा है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -

केदारनाथ में जल-प्रलय, रूपया असहाय (समाचार)

जैसे साँपनाथ वैसे नागनाथ, जैसा देश वैसा भेस (लोकोक्ति)

दूध सी सफेदी, ठंडा मतलब कोको-कोला (विज्ञापन)

ड - शैली की दृष्टि - शैली की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित भेद किए गए हैं -

(1) **अलंकृत वाक्य** - इस कोटि के वाक्य अलंकारों से सुव्यवस्थित होते हैं। साहित्यिक भाषा में इनका प्रचुर प्रयोग होता है।

(2) **अनलंकृत वाक्य** - सामान्य और बिना अलंकार वाले वाक्य जो सहज गद्य में मिलते हैं। जैसे - गंगा के किनारे एक सुन्दर कुटी थी।

(3) **समांतरित वाक्य** - समांतरित शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें दो कथनों में भावों और शब्दों का समान्तर प्रयोग किया जाता है।

(4) **आवृत्त्यात्मक वाक्य** - जहाँ मुख कथन से पहले कौतूहल से भरे अवयवों की आकृति होती है और अंत में वाचन को पूरी ताकत के साथ कहा जाता है। उत्तेजनात्मक भाषणों में प्रायः ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है।

(5) **श्रंखलित वाक्य** - ग्रामीण लोग प्रायः बातचीत करते हुए प्रायः छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इस तरह छोटे-छोटे वाक्यों की एक श्रंखला सी बनती जाती है। जैसे - एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया तो राह भूल गया। राह भूल कर एक झोपड़ी के सामने जा पहुँचा।

8.6 वाक्य परिवर्तन

ध्वनि विज्ञान व रूप विज्ञान शीर्षक की इकाईयों में आप पढ़ चुके हैं कि भाषा के विकास में ध्वनि और रूप में परिवर्तन होता रहता है। वाक्य रचना भी परिवर्तन के नियम से अछूती नहीं है। भाषा में वाक्य गठन भी समय-समय पर अनेक कारणों से प्रभावित होकर परिवर्तित होता रहता है। यद्यपि ध्वनि, रूप की अपेक्षा वाक्य रचना में परिवर्तन की गति धीमी होती है ता भी परिवर्तन तो होता ही रहता है। संस्कृत और हिन्दी भाषा के सन्दर्भ में वाक्य परिवर्तन को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं -

अयोगात्मकता - भाषा की यह सामान्य प्रवृत्ति है कि वे प्रायः योगात्मकता से अयोगात्मकता की ओर विकसित होती हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में विभक्तियों के संयोग से संज्ञा, सर्वनाम

और विशेषण के रूप बनते थे। प्राकृतों तक आते-आते विभक्तियाँ लुप्त हो गयीं और परसर्गों का प्रयोग होने लगा। वर्तमान में हिन्दी में कर्ता और कर्म भी प्रायः अयोगात्मक हो गये हैं। कर्ता का 'ने' परसर्ग केवल भूतकाल में लगता है। जैसे - लता ने गाना गाया। इसी प्रकार 'को' परसर्ग भी केवल प्राणी संज्ञाओं तक सीमित है। जैसे - 'भूखे को अन्न दो, 'पक्षी को दाना खिलाना चाहिए'। वस्तु संज्ञा 'को' के बिना ही प्रयुक्त होती है। जैसे - 'वह पुस्तक पढ़ता है'।

पदक्रम में परिवर्तन - वाक्य गठन में पदक्रम का विशेष महत्व रहा है। लेखन शैली की मौलिकता और रोचकता लाने के लिए तथा कुछ विदेशी भाषाओं से अनुवाद के प्रभाव में वाक्य के पदक्रम को भी काफी प्रभावित किया है। जैसे - हिन्दी में विशेषण प्रायः संज्ञा के पूर्ण और क्रिया विशेषण, क्रिया के पूर्व लगाने का सामान्य नियम है। किन्तु अब वाक्य रचना में इस पदक्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। 'गरीब की व्यथा' की जगह 'व्यथा गरीब की', 'वह धीरे-धीरे जाता है' की जगह 'जाता है वह धीरे-धीरे' जैसी वाक्य रचना देखने में आती है।

अन्वय में परिवर्तन - आप जानते हैं कि संस्कृत में क्रिया, कर्ता के अनुरूप वचन तथा पुरुष की दृष्टि से होती थी किन्तु हिन्दी में कुछ अपवादों को छोड़कर लिंग के आधार पर भी होती है। जैसे संस्कृत में कर्ता पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, क्रिया नहीं बदलती। किन्तु हिन्दी में क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे - 'सोहन जाता है', 'माला जाती है'। इसी प्रकार हिन्दी में विशेषण भी संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। जैसे - अच्छी कविता, अच्छा उपन्यास, अच्छे दोहे।

पद या प्रत्यय आदि का लोप - कभी-कभी वाक्य में किसी पद या प्रत्यय का लोप होना भी वाक्य-परिवर्तन का एक रूप है। ऐसा प्रायः इसके पीछे प्रत्यय लाघव की प्रवृत्ति ही प्रेरक होती है। जैसे - कुछ वाक्यों को देखें -

कानों से सुनी बात।

कानों सुनी बात।

वह पढ़ेगा-लिखेगा नहीं।

वह पढ़े लिखेगा नहीं।

मैं वहाँ नहीं जाता हूँ।

मैं वहाँ नहीं जाता।

अधिक/अनावश्यक पदों का प्रयोग - वाक्य में अधिक या अनावश्यक पदों के प्रयोग से भी वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे वाक्य उदाहरण की दृष्टि से प्रायः अशुद्ध होते हैं। कुछ उदाहरण देखें -

आपका भवदीय

मुझको-मेरे को

दरअसल में

कृपया करके

8.6.1 वाक्य में परिवर्तन के कारण

वाक्य में परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं -

1. **अज्ञान** - भाषिक परिवर्तन में चाहें वह ध्वनि, शब्द, वाक्य किसी भी रूप में हो, सबसे मुख्य कारण अज्ञान है। व्याकरण या भाषा के पूर्ण न होने पर प्रायः व्यक्ति आधे-अधूरे ज्ञान या

गलत अनुकरण के कारण अशुद्ध वाक्य रचना का प्रयोग करते हैं जिससे वाक्य परिवर्तन होता है। जैसे -

मुझे केवल पाँच रु. मात्र चाहिए।

कृपया करके मुझे जाने दें।

इन वाक्यों में 'केवल' के साथ 'मात्र' और 'कृपया' के साथ 'करके' का प्रयोग अज्ञान का ही परिणाम है।

2. **अन्य भाषा का प्रभाव** - दूसरी भाषा का प्रभाव भाषा विशेष के वाक्य गठन को भी प्रभावित करता है। हिन्दी पर फारसी और उसके बाद अंग्रेजी का प्रभाव काफी समय से हो रहा है। अतः इन भाषाओं के प्रभाव से हिन्दी की वाक्य संरचना भी प्रभावित हुई है। 'कि' लगाकर वाक्य बनाने की परम्परा को फारसी की देन माना गया है। इससे पहले हिन्दी में 'कि' का प्रयोग नहीं होता था। इसी प्रकार हिन्दी में परोक्ष कथन की प्रवृत्ति भी अंग्रेजी के प्रभाव से आयी है। जैसे - हिन्दी में प्रचलित वाक्य 'उसने कहा कि मैं आज आऊँगा' अंग्रेजी के प्रभाव से 'उसने कहा था कि वह आज आयेगा' रूप में प्रयुक्त होने लगा है। अन्य वाक्य भी हैं -

हमें हमारे देश पर गर्व है।

ये मेरे अपने पिताजी हैं।

अब सहा नहीं जाता मुझसे।

आखिर आओगे कब तुम।

3. **प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति** - सरलता के प्रति आग्रह भी वाक्य-रचना को प्रभावित करता है। हिन्दी वाक्यों में मेरे को (मुझे), मेरे से (मुझसे), तेरे से (तुझे), तेरे को (तुझको) जैसे सर्वनाम प्रयत्न लाघव और सरलता की प्रवृत्ति के चले आये हैं। इनके प्रभाव साम्य से मुझ, मुझे, तुझ, तुझे जैसे प्रयोग कम होते जा रहे हैं।

4. **स्पष्टता या बल के लिए सहायक शब्दों को प्रयोग** - बात को स्पष्ट रूप से कहने या विशेष बल देने के लिए प्रायः विभक्तियों का लोप होने लगा और उनका स्थान परसर्गों ने ले लिया। इसके कारण भाषा की वाक्य संरचना संयोगात्मकता से वियोगात्मक की ओर बढ़ने लगी। इसका सबसे अधिक प्रभाव पदक्रम पर पड़ा।

5. **वक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन** - इसके परिवर्तन से वाक्य की अभिव्यंजना शैली प्रभावित होती है। अतः वाक्य की गठन भी प्रभावित होता है। दुःखी, भयभीत या हर्षातिरेक वाले व्यक्ति की अभिव्यंजना शैली एक सी नहीं होती। इसमें कहीं वाक्य सीधे तो कहीं वाक्यों की पुतरावृत्ति दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त नवीनता या मौलिकता के लोभ में भी साहित्यकार, लेखक वाक्य संरचना में नये-नये प्रयोग करते रहे हैं जो वाक्य परिवर्तन का कारण बनता है।

8.7 प्रोक्ति (Discourse)

आप इस तथ्य से भली-भाँति अवगत हैं कि भाषा का काम केवल विचारों या भावों की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है बल्कि उसके माध्यम से कही गयी बात को श्रोता तक सम्प्रेषित करना भी है। अपनी बात को सार्थक ढंग से कहने, श्रोता द्वारा उसे ठीक से समझने फिर उसका उचित जवाब देने की प्रक्रिया में एक से अधिक वाक्य सामने आते हैं जो अर्थ और प्रसंग की

दृष्टि से एक दूसरे से सम्बद्ध रहते हैं। इस स्थिति में ही दो लोगों के बीच सम्प्रेषण सम्भव हो पाता है। सम्प्रेषण की इस इकाई को ही 'प्रोक्ति' कहा जाता है।

8.7.1 प्रोक्ति की संकल्पना

आप जानते हैं कि वक्ता द्वारा विचारों को प्रकट करने और श्रोता द्वारा उसे सही सन्दर्भ और सही अर्थ में समझने में ही सम्प्रेषण सार्थक होता है। सम्प्रेषण में सन्दर्भ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वाक्य में सन्दर्भ की भिन्नता होने से अर्थ भी भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य के विभिन्न सन्दर्भ देखें -

तुमने बहुत अच्छा किया ?

सन्दर्भ - 1	माँ	-	क्या गिराया ?
(व्यंग्य के अर्थ में)	बेटा	-	माँ, कप टूट गया।
	मँ	-	तुमने बहुत अच्छा किया।
सन्दर्भ - 2	बेटा	-	माँ, मैंने आज एक अन्धे की मदद की।
(प्रशंसा के अर्थ में)	माँ	-	कैसे ?
	बेटा	-	मैंने उसे सहारा देकर सड़क पार करायी।
	माँ	-	तुमने बहुत अच्छा किया।
सन्दर्भ - 3	चोर	-	बॉस ! हमने आज सेठ को लूट लिया।
(चोर के अर्थ में)	बॉस	-	तुमने बहुत अच्छा किया।

इसी तरह एक अन्य उदाहरण के लिए एक वाक्य देखें -

‘दस बज गए हैं।’

इस वाक्य का सामान्य अर्थ समय की जानकारी देना है किन्तु निम्नलिखित वार्तालाप में देखा जाय तो इसका अर्थ भिन्न हो जाता है -

पिता	-	बेटा, दस बज गए हैं।
पुत्र	-	बस पिताजी, अभी चलता हूँ।

यहाँ पिता, पुत्र से कहना चाहता है कि 'देर हो रही है।' अर्थात् यह संदेश पिता अप्रत्यक्ष कथन के रूप में पुत्र को दे रहा है। पुत्र इस संदेश का सन्दर्भ ग्रहण कर उचित उत्तर देता है। सन्दर्भ की जानकारी के अभाव में इस संदेश के अन्य सम्भावित उत्तर भी हो सकते थे -

पिता	-	बेटा, दस बज गए हैं।
पुत्र	-	(1) तो मैं क्या करूँ ?
		(2) यह घड़ी आगे चल रही है।

स्पष्ट है कि विचारों का आदान-प्रदान तभी हो सकता है जब वक्ता और श्रोता दोनों को सन्दर्भ की जानकारी हो। अतः प्रोक्ति की संकल्पना के बारे में हम सार रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं - 'प्रोक्ति किसी संदेश को संप्रेषित करने वाली वाक्य के ऊपर की वह इकाई है जिसका आधार संलाप होता है। विचारों के आदान-प्रदान के लिए यह एक से अधिक वाक्यों की कड़ी के रूप में

सामने आता है क्योंकि सभी वाक्य एक दूसरे के जुड़ने पर ही एक विशेष संदर्भ में सार्थकता पाते हैं। अर्थात् उन सबके बीच एक व्यवस्था का होना आवश्यक होता है।

प्रोक्ति के प्रमुख अभिलक्षण - प्रोक्ति के संबंध में की गई उपर्युक्त चर्चा के आधार पर हम निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं -

1. जिस प्रकार वाक्य शब्दों के समूह से बनता है, उस प्रकार प्रोक्ति वाक्यों के समूह से बनती है। इसीलिए इसे वाक्य के ऊपर की इकाई माना गया है।
2. सभी वाक्यों का आपस में संबंध होना आवश्यक है। यदि वाक्यों के बीच पूर्वापर संबंध नहीं है तो उसे प्रोक्ति का उदाहरण नहीं माना जा सकता।
3. वक्ता/लेखक द्वारा बोला गया वाक्य सार्थक होना चाहिए जिसका अर्थ या भाव ग्रहण कर श्रोता/पाठक उत्तर दे सके। निरर्थक वाक्यों का प्रोक्ति में स्थान नहीं होता। अर्थात् जिस अभिव्यक्ति से विचारों का आदान-प्रदान न हो, उसे प्रोक्ति नहीं माना जा सकता।
4. प्रोक्ति का स्वरूप उसके आकार से निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसके प्रकार से निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। इसका संबंध एक शब्द, एक वाक्य, पूरी एक घटना, प्रसंग या पूरे जीवनवृत्त से हो सकता है।
5. प्रोक्ति की संरचना का आधार संलाप होता है। इसीलिए संलाप को प्रोक्ति की सार्थक इकाई स्वीकार किया जाता है।
6. प्रोक्ति में संप्रेषणीयता का तत्व विद्यमान रहता है, जो संदर्भ (context) की माँग करता है। यही संदर्भ वक्ता/लेखक और श्रोता/पाठक के कथन या संदेश को एक दूसरे से जोड़ता है।
7. संप्रेषण की इकाई होने के कारण प्रोक्ति संदेश को श्रोता तक केवल पहुँचाती ही नहीं, बल्कि श्रोता की प्रतिक्रिया को वक्ता तक भी पहुँचाती है। इसके कारण ही संलाप की स्थिति बन पाती है। वास्तव में संप्रेषण का सशक्त और स्वाभाविक माध्यम संलाप है।
8. प्रोक्ति के माध्यम से विचारों को विभिन्न रूपों में तथा तर्क संगत ढंग से अभिव्यक्त के किया जा सकता है।
9. किसी संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता/लेखक, श्रोता/पाठक, संदेश, संदर्भ, अभिव्यक्ति के मौखिक/लिखित रूप तथा कोड का होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 'भाषिक संप्रेषण की इकाई प्रोक्ति है।'

8.7.2 प्रोक्ति के प्रमुख भेद

आप यह समझ गए हैं कि प्रोक्ति में संवाद अनिवार्य है क्योंकि इसका सम्बन्ध भाषा व्यवहार से है। भाषा व्यवहार दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है जिसे 'संलाप' कहते हैं। जहाँ एक ही व्यक्ति वक्ता और श्रोता होता है, वहाँ 'एकालाप' होता है। प्रायः भावावेश की स्थिति में एकालाप की स्थिति होती है। अतः मोटे तौर पर प्रोक्ति के दो प्रमुख भेद किए जा सकते हैं-

1 संलाप

2 एकालाप

वक्ता और श्रोता की भूमिका के आधार पर संलाप और एकालाप के भी दो-दो उपभेद किए जा सकते हैं -

1. संलाप - (1) गत्यात्मक संलाप (2) स्थिर संलाप
2. एकालाप - (1) गत्यात्मक एकालाप (2) स्थिर एकालाप

अब हम भेदों और उपभेदों पर क्रमशः विस्तार से चर्चा करेंगे।

संलाप की संकल्पना - सभी तरह के भाषा व्यवहार संलाप के अन्तर्गत आते हैं। इसके लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'संलाप भाषा व्यवहार की वह इकाई है जिसमें कम से कम दो पात्रों (वक्ता और श्रोता) के बीच विचारों का परस्पर आदान-प्रदान होता है।' संलाप में वक्ता तथा श्रोता के अनुभवों में साम्य होना जरूरी है। नहीं तो सम्प्रेषण में बाधा आयेगी। इसे दो उदाहरणों से समझा जा सकता है।

- | | | |
|------|---|--------------------------|
| माँ | - | बेटा, क्या कर रहे हो ? |
| बेटा | - | स्कूल का काम कर रहा हूँ। |
| माँ | - | बहुत देर हो गयी है। |
| बेटा | - | बस, अभी सोता हूँ। |

यहाँ माँ-बेटे में अनुभव की समानता के कारण संवाद सहज रूप में हो रहा है। अब दूसरे उदाहरण देखें -

- | | | |
|----------|---|--|
| व्यक्ति | - | क्या चाय में चीनी डाली है ? |
| चाय वाला | - | क्या चीनी कम है साहब ? |
| व्यक्ति | - | नहीं भाई, मुझे बिना चीनी के चाय चाहिए। |
| चाय वाला | - | ओह, मैं समझा चीनी और चाहिए। |

यहाँ व्यक्ति और चाय वाले के अनुभवों में समानता नहीं है। इसलिए सम्प्रेषण में कठिनाई हो रही है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि विचारों के आदान-प्रदान अथवा संलाप के लिए वक्ता और श्रोता के बीच मानसिक स्तर पर भी साम्य होना जरूरी है।

जैसाकि हम पहले बता चुके हैं कि वक्ता और श्रोता की भूमिका के आधार पर संलाप के दो उपभेद होते हैं -

1. गत्यात्मक संलाप
2. स्थिर संलाप

1. गत्यात्मक संलाप - इसमें वक्ता तथा श्रोता सक्रियता से आगे बढ़ते हैं। यदि सक्रियता न हो तो संलाप आगे बढ़ ही नहीं सकता साथ ही इसमें वक्ता श्रोता की भूमिका बदलती रहती है। अर्थात् वक्ता जो कहता है, उसे सुनकर श्रोता जवाब देता है, तब श्रोता वक्ता की भूमिका में आ जाता है और उसकी बात सुनने के कारण वक्ता, श्रोता हो जाता है।

2. स्थिर संलाप - गत्यात्मक संलाप की तुलना में स्थिर संलाप में श्रोता की भूमिका सक्रिय नहीं होती अर्थात् वक्ता तो सक्रिय रहता है किन्तु श्रोता निष्क्रिय ही रहता है। वह अपने विचार उस रूप में प्रकट नहीं कर सकता जिससे संलाप आगे बढ़ सके। साथ ही स्थिर संलाप में

वक्ता व श्रोता की भूमिका भी नहीं बदलती। रेडियो व दूरदर्शन आदि में प्रसारित होने वाले समाचार जैसे कार्यक्रम स्थिर संलाप के उदाहरण हैं।

एकालाप - ऐसे अवसरों पर जहाँ भावावेश में व्यक्ति स्वयं से कहता है और स्वयं ही उत्तर भी देता है, एकालाप की स्थिति होती है। इसमें भी वक्ता और श्रोता की स्थिति बनी रहती है। अन्तर केवल इतना ही है कि श्रोता वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होकर स्वयं वक्ता ही होता है।

संलाप की तरह एकालाप के भी दो भेद किए गए हैं -

1. गत्यात्मक एकालाप

2. स्थिर एकालाप

1. **गत्यात्मक एकालाप** - इस प्रकार के एकालाप में वक्ता ही स्वयं से प्रश्न करता है और स्वयं ही उसका उत्तर देता चलता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति वक्ता और श्रोता की भूमिका निभाता है। ऐसा लगता है कि मानों दो व्यक्ति परस्पर बातें कर रहे हों। उदाहरण देखें -

‘कौन जाने कल क्या हो ? कल त्याग पत्र देने के बाद कौन जानता है कि क्या होगा ? सम्भव है यहाँ रहना न हो। तब क्या होगा ? क्या कहीं बाहर जाया जाएगा ? क्या पता ? सरो, गुणवंती, सुशीला, देवव्रत का क्या होगा ? नहीं, यह नहीं हो सकता कि ये लोग अनाथ हो जाएँ। लेकिन माँ हैं ही। पिता चाहे अनासक्त हों, लेकिन माँ उन्हें अभी भी संबंधों से घेरे हुए हैं।’

(यह पथ बंधु था)

2. स्थिर एकालाप - गत्यात्मक एकालाप की तुलना में स्थिर एकालाप में वक्ता स्वयं से प्रश्न नहीं करता बल्कि स्थिर विचार के रूप में एक के बाद एक अपने भाव प्रकट करता है।

स्थिर एकालाप को प्रायः ‘स्वगत कथन’ भी कहा जाता है। सैद्धान्तिक रूप से इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है किन्तु सूक्ष्म अन्तर यह है कि स्वगत कथन किसी को सुनाने के लिए नहीं होता जबकि एकालाप में व्यक्ति अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए स्वयं से बातें करता अर्थात् वह स्वयं वक्ता और श्रोता होता है। स्वगत कथन में व्यक्ति केवल वक्ता होता है, श्रोता नहीं।

उदाहरण देखें -

‘सरो सवेरे से देर राम ऐसे ही, बस ऐसे ही बिताती रहती है। उस पर भी किसी को दर्द नहीं। दिनभर पलंग पर बैठकर पान खाते हुए, हुकुम चलाते हुए भाभी को यह दर्द नहीं कि अब तो तीसरा पहर हो गया। खुद तो जाने क्या-क्या दवाइयों के नाम पर खा-पी लेती हैं तो भूख नहीं लगती, लेकिन इस बे-टके के चाकर को तो भूख लग सकती है न ?’

(यह पथ बंधु था)

8.8 शब्दावली

आधायित वाक्य	-	मन में निहित आन्तरिक वाक्य
प्रोक्ति	-	भाषा सम्प्रेषण की इकाई
पदबन्ध	-	एक से अधिक पदों का खण्ड
उपवाक्य	-	वाक्य का क्रियायुक्त अंश
उद्देश्य	-	वाक्य में विषय को सूचित करने वाला शब्द अर्थात् कर्ता

विधेय	-	वाक्य के विषय में विधान करने वाला शब्द अर्थात् क्रिया
बीज वाक्य	-	आधार वाक्य या मुख्य वाक्य

8.9 सारांश

इस इकाई के अध्ययन से आपने जाना कि वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है क्योंकि वाक्य के माध्यम से ही हम अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। वाक्य की परिभाषा और अवधारणा के सन्दर्भ में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। इसी प्रकार वाक्य की अवधारणा में भी विद्वानों ने अपनी-अपनी व्याख्या की है। अपने वाक्य की विभिन्न अवधारणाओं को समझ कर उनमें परस्पर अन्तर की भी जानकारी प्राप्त की। वाक्य-संरचना के अन्तर्गत आपने उसके मुख्य तत्व-पदबन्ध, उद्देश्य और विधेय, समानाधिकरण शब्द, निकटस्थ अवयव, आधारभूत वाक्य, पदक्रम, स्वराघात, आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। साथ ही आकृति, अर्थ, रचना, शैली आदि के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेदों का परिचय प्राप्त किया। वाक्य परिवर्तन के अन्तर्गत आपने जाना कि ध्वनि व रूप की तरह वाक्य रचना में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। इसमें आपने वाक्य परिवर्तन की दिशाएं और वाक्य परिवर्तन के विभिन्न कारणों का भी सोदाहरण परिचय प्राप्त किया। आप भली-भाँति जानते हैं कि भाषा हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है किन्तु भाषा का काम केवल भावों या विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि उसका उसे श्रोता तक ठीक से सम्प्रेषित करना भी है। प्रोक्ति शीर्षक के अन्तर्गत आपने प्रोक्ति की संकल्पना की जानकारी प्राप्त की। साथ ही, उसके अभिलक्षणों और प्रमुख भेदों का भी ज्ञान प्राप्त किया।

इस तरह प्रस्तुत इकाई के विस्तृत अध्ययन के पश्चात आप वाक्य संरचना के विविध पक्षों से पूर्ण रूप से परिचित हो गए होंगे।

8.10 अभ्यास प्रश्न एवं उत्तर

लघु उत्तरी प्रश्न -

1. अध्याहार से क्या तात्पर्य है।
2. उपवाक्य और पदबंध में क्या अंतर है।
3. उद्देश्य और विधेय को रूपष्ट कीजिए।
4. अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए।
5. बाह्य संरचना और गहन संरचना पर टिप्पणी लिखिए।
6. संदर्भपरक इकाई के रूप में वाक्य की विवेचना कीजिए।
7. वाक्य में योग्यता और आकांक्षा पर टिप्पणी लिखिए।
8. व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए।
9. आधायित वाक्य किसे कहते हैं ?
10. प्रोक्ति के भेद स्पष्ट कीजिए।

सही/गलत वाक्य पर निशान लगाइए -

1. भाषा में वाक्य की सत्ता ही प्रधान होती है सही/गलत
2. हिन्दी वाक्य संरचना में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया आते हैं। सही/गलत
3. हिन्दी की वाक्य रचना अयोगात्मक है। सही/गलत
4. समाचार-पत्रों व विज्ञापनों में क्रियाहीन वाक्य प्रचलित हैं। सही/गलत
5. एकालाप और स्वगत कथन में कोई अन्तर नहीं है। सही/गलत

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए -

1. वाक्य में एक या एक से अधिक आंतरिक वाक्य को वाक्य होते हैं।
(आधायित/आधात्री)
2. व्याकरणिक रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। (दो/तीन)
3. आंतरिक संरचना की सत्ता है। (मानसिक/भौतिक)
4. हिन्दी में विशेषण प्रायः संज्ञा के आते हैं। (पूर्व/पश्चात्)
5. हिन्दी भाषा है। (क्रियायुक्त/क्रियाहीन)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1. वाक्य में 'योग्यता' से क्या आशय है ?
(अ) समीप होना (ब) अभिव्यक्ति (स) पदक्रम (द) क्षमता
2. 'ईश्वर सबका भला करे' किस प्रकार का वाक्य है ?
(अ) इच्छाबोधक (ब) विधानार्थक (स) आज्ञार्थक (द) संकेतार्थक
3. 'वाक्य प्रदीप' किसकी रचना है ?
(अ) पतंजलि (ब) विश्वनाथ (स) कुमारिल (द) भट्टहरि
4. वाक्य में अप्रयुक्त शब्दों का अर्थ जब पूर्वापर प्रसंगों से व्यक्त होता है तब क्या कहलाता है ?
(अ) आंतरिक वाक्य (ब) आधायित वाक्य (स) अध्याहार (द) आधात्री वाक्य
5. 'चाँद से भी प्यारा' कौन-सा पदबंध है ?
(अ) संज्ञा पदबंध (ब) विशेषण पदबंध
(स) सर्वनाम पदबंध (द) क्रिया पदबंध

उत्तर -**सही/गलत वाक्य -**

1. सही 2. सही 3. गलत 4. सही 5. गलत

रिक्त स्थानों की पूर्ति -

1. आधायित 2. तीन 3. मानसिक 4. पूर्व 5. क्रियायुक्त

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1. (ब) 2. (अ) 3. (द) 4. अध्याहार 5. विशेषण

8.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल, पटना
 2. डॉ भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा की संरचना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
 3. डॉ राम किशोर वर्मा, भाषा चिंतन के नये आयाम, लोक भारती, इलाहाबाद
 4. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव एवं हिन्दी का सामाजिक सन्दर्भ, केन्द्रीय हिन्दी रामनाथ सहाय(संपा), संस्थान आगरा
 5. मंजु गुप्ता (संयोजक), वाक्य संरचना भाग 1 व 2, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि, नई दिल्ली
-

8.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. वाक्य की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए एवं वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए।
2. वाक्य के प्रमुख तत्वों का परिचय दीजिए तथा वाक्य-परिवर्तन के कारणों की सोदाहरण विवेचना कीजिए।

इकाई 9 अर्थ विज्ञान

इकाई की रूपरेखा

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 अर्थ विज्ञान का परिचय
- 9.4 शब्द की अवधारणा
- 9.5 शब्द और अर्थ का अन्तर्सम्बंध
- 9.6 अर्थ बोधन के साधन
 - 9.6.1 भारतीय मत
 - 9.6.2 पाश्चात्य मत
- 9.7 अर्थ परिवर्तन
- 9.8 अर्थ परिवर्तन की दिशाएं
 - 9.8.1 अर्थ विस्तार
 - 9.8.2 अर्थ संकोच
 - 9.8.3 अर्थदिश
- 9.9 अर्थ परिवर्तन के कारण और विशेषताएं
- 9.10 सारांश
- 9.11 शब्दावली
- 9.12 बोध प्रश्न
- 9.13 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 9.14 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

पिछली इकाईयों में आप ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत इकाई में आप अर्थ विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। अर्थ का सम्बंध शब्द से है। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई एक अर्थ होता है। कभी-कभी एक ही शब्द के एक से अनेक अर्थ भी होते हैं। इस तरह भाषा में एकार्थी और अनेकार्थी दो प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ को शब्द का प्राणतत्व या आत्मा कहा गया है बिना अर्थ के शब्द निष्प्राण है और भाषा

की दृष्टि से उसका महत्व नहीं है। इसीलिए प्राचीन और आधुनिक सभी चिन्तकों ने भाषा में शब्द उसी पद को माना है जिससे एक निश्चित अर्थ का बोध हो। पंतजलि के अनुसार 'प्रतीत पदार्थकों लोके ध्वनि शब्दः। अर्थात् वह ध्वनि जिससे लोक व्यवहार में पद के अर्थ की प्रतीति हो, शब्द है।' आधुनिक भाषाविद भोलानाथ तिवारी ने शब्द को अर्थ के स्तर पर 'भाषा की लघुतम इकाई माना है। स्पष्ट है कि भाषा में शब्द वही हैं, जिसका एक निश्चित अर्थ है।'

इस इकाई में आप अर्थ की अवधारणा को भली-भाँति समझ सकेंगे। अर्थ परिवर्तन के विविध आयाम हैं। जैसे देशकाल, परिस्थिति के अनुसार अर्थ में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन विविध दिशाओं में होता है। कभी-कभी शब्द का अर्थ विस्तार हो जाता है अर्थात् वह सीमित से विस्तृत हो जाता है जैसे 'सर्फ' शब्द पहले एक कम्पनी विशेष का डिटर्जेंट पाउडर था, अब कई कम्पनियों (निरमा, व्हील, एरियल आदि) के डिटर्जेंट पाउडर को भी 'सर्फ' कहने लगे हैं। कभी शब्द का अर्थ संकुचित हो जाता है जैसे गांधी जी ने सभी हरि के जनों के लिए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया था - 'हरि को भजे सो हरिजन होई'। किन्तु अब 'हरिजन' शब्द जाति विशेष के लिए संकुचित होकर रह गया। इसी प्रकार शब्द परिवर्तन का एक आयाम अर्थदिश भी है जिसमें एक निश्चित अर्थ हटकर बिल्कुल दूसरा या नया अर्थ रूढ़ होकर प्रचलित हो जाता है जैसे वर का अर्थ 'श्रेष्ठ' था जो अब 'दूल्हा' हो गया है। स्पष्ट है कि देश, काल, परिस्थितियों के कारण अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। यही मुख्यतः अर्थ परिवर्तन के कारण भी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भाषाशास्त्रीय कारण भी होते हैं। अर्थ परिवर्तन की विविध दिशाओं और विभिन्न कारणों का आप प्रस्तुत इकाई में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे।

9.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में अर्थ विज्ञान के विविध आयामों का परिचय दिया गया है जिसे पढ़कर आप -

1. भाषा में अर्थ क्या है और उसका किस रूप में महत्व है ? शब्द और अर्थ का क्या अन्तर्सम्बन्ध है ? आदि तथ्यों से भली-भाँति परिचित हो सकेंगे।
2. किसी शब्द का अर्थ परिवर्तन कैसे और किन रूपों (दिशाओं) में होता है ? इसके बारे में अच्छी तरह जान सकेंगे।
3. अर्थ परिवर्तन के कारणों के साथ ही उनकी पृष्ठभूमि में सक्रिय भाषाशास्त्रीय, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
4. अर्थ परिवर्तन के अध्ययन से किसी भी विशेष समुदाय की जातीय संस्कृति का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
5. अर्थ विज्ञान के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से अर्थ परिवर्तन के सन्दर्भ में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण बना सकेंगे।

9.3 अर्थ विज्ञान का परिचय

अर्थ विज्ञान वस्तुतः (शब्द के) अर्थ का विज्ञान है। ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान की तरह 'अर्थ विज्ञान' भाषा विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जिसमें अर्थ के अनेक आयामों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हिन्दी में इसके लिए 'शब्दार्थ विचार' या 'अर्थ विचार' नाम प्रचलित रहे हैं। अंग्रेजी में इसके अनेक नाम रहे हैं किन्तु वर्तमान में Semantics नाम अधिक प्रचलन में है। अर्थ विज्ञान में अर्थ का अध्ययन मुख्यतः ऐतिहासिक और तुलनात्मक होता है किन्तु संरचना या वर्णनात्मक स्तर पर भी अब अर्थ के अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। अर्थ विज्ञान के सम्बंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। अधिकांश विद्वान इसे भाषा विज्ञान की शाखा मानते हैं किन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार यह दर्शनशास्त्र की एक शाखा है। कुछ लोग इसे किसी अन्य शास्त्र के साथ न जोड़कर स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखते हैं।

भोलानाथ तिवारी के अनुसार, 'इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थ विज्ञान, दर्शन शास्त्र से बहुत अंशों से सम्बद्ध है और उसका काफी अंश ऐसा है जो मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र की अपेक्षा रखता है किन्तु इसमें संदेह नहीं है कि अर्थ भाषा की आत्मा है और भाषाविज्ञान जब 'भाषा' का विज्ञान है तो बिना उसके अध्ययन के उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता।' किसी भी भाषा में प्रत्येक सार्थक शब्द का एक निश्चित अर्थ या भाव होता है। वही शब्द की आत्मा या सार है। शब्द साधन है अर्थ साध्य है। अतः शब्द में अर्थ की सत्ता महत्वपूर्ण है। भाषा विज्ञान में उस अर्थ को 'अर्थतत्व' या 'अर्थग्राम' कहते हैं। जिस प्रकार शब्द की ध्वनियों में परिवर्तन होता है, तदनुसार उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। अर्थात् किसी भी शब्द का अर्थ सदैव एक सा नहीं रहता। अर्थ विज्ञान में इसका अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास के रूप में अध्ययन किया जाता है जिसके अन्तर्गत अर्थ के विकास या परिवर्तन की दिशा और उसके मूल में निहित कारणों का अध्ययन करते हैं।

9.4 शब्द की अवधारणा

जैसा कि आप जानते हैं कि - अर्थ विज्ञान में अर्थ का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 'अर्थ' का आधार 'शब्द' है। अतः शब्द की विभिन्न अवधारणाओं का परिचय भी आवश्यक है। 'शब्द' के सम्बंध में प्राचीन शास्त्रों में पर्याप्त चिंतन मिलता है। वेदांत चिंतन के अनुसार जीव (प्राणी) की रचना के दो संयोजन तत्व हैं - आत्मा और प्रकृति। ब्रह्म का अंश होने के कारण आत्मा अविनाशी है और पंचभूतात्मक (क्षिति, जल, पावक, गगन, वायु) होने के कारण प्रकृति क्षयमाण, नाशवान और परिवर्तनशील है। प्रकृति के पाँच महाभूतों (तत्वों) में एक आकाश है। आकाश का गुण है 'शब्द' जो प्राणियों में ध्वनि के विधायी तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। स्पष्ट है कि 'शब्द' का आधार 'ध्वनि' है। इसलिए आधुनिक भाषा में विज्ञान में 'शब्द' को 'ध्वनि' से पृथक नहीं माना है।

कामताप्रसाद गुरु एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को 'शब्द' कहते हैं। वहीं भोलानाथ तिवारी ने अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई को 'शब्द' माना है। वस्तुतः शब्द मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त भाषिक अर्थ सत्ता से जुड़ा हुआ है। इस अर्थ में शब्द का अभिप्रेत 'विचार' भी हो सकता है। अतः मनुष्य के अभिप्रेत अर्थ को व्यक्त करने के लिए जिस ध्वनि समूह का प्रयोग किया जाता है - उसे 'शब्द' कहते हैं।

इस प्रकार शब्द के सम्बंध निम्नलिखित प्रमुख बातें स्पष्ट होती हैं -

1. शब्द का आधार ध्वनि है।
2. सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहा जा सकता है।
3. सार्थक ध्वनि एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी।
4. शब्द का एकमात्र अभिप्रेत अर्थ, विचार या भाव का सम्प्रेषण है।
5. शब्द अपनी ध्वनि संरचना में और अन्तर्निहित अर्थ के संदर्भ में परिवर्तनशील है।

9.5 शब्द और अर्थ का अन्तर्सम्बन्ध

शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसके प्राण। इसलिए अर्थ को शब्द की आत्मा कहा गया है। भाषा की प्रकृति का अध्ययन उसके शब्द अर्थ के सम्बंध के आधार पर किया जाता है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म को ओंकार (शब्द) कहा गया है। इस ओंकार की प्रतिध्वनि अर्थात् छाया ही अर्थ के रूप में व्याप्त है। इस दृष्टि से अर्थ की स्वयंसत्ता स्वतः सिद्ध होती है। यास्क भी 'निरुक्त' में लिखते हैं कि जिस प्रकार बिना अग्नि के शुष्क ईंधन भी प्रज्वलित नहीं होता, उसी तह अर्थबोध के बिना शब्द को दोहराने मात्र से अभीप्सित विषय को व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्राचीन अर्थ वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ की अभिव्यक्ति चार चरणों में सम्पन्न होती है - परा लाकोत्तर भाव लोक है। पश्यंती के अन्तर्गत वक्ता अपने अभिप्रेत अर्थ की खोज करता है। मध्यमा में इस अभिप्रेत अर्थ का भाषा ध्वनियों के साथ अन्तःसम्बंध होता है और वैखरी के रूप में वक्ता के प्रयोज्य अर्थ को भाषा व्यक्त कर देती है जिसे सुनकर श्रोता वक्ता के अभिप्राय को समझने का प्रयत्न करता है। श्रोता में अभिप्राय समझने की प्रक्रिया उक्त वक्ता क्रम के विपरीत चलती है जिसमें श्रोता वैखरी से होता हुआ परा तक पहुँचता है जहाँ एक स्फोट के रूप में वक्ता का अभिप्रेत अर्थ उद्भासित हो जाता है। भर्तृहरि ने अपने 'वाक्यदीप' ग्रंथ में वाक्यार्थ के सन्दर्भ में 'स्फोटवाद' का प्रवर्तन किया है। अभिव्यक्ति के अंतिम चरण में अर्थ भाषा ध्वनियों से सम्पृक्त होकर 'शब्द' के रूप में प्रकट होता है। हम कह सकते हैं कि अर्थ के अभाव में शब्द निष्प्राण हैं। अर्थ के कारण ही शब्द में चेतना का संचार है। चेतना से गति आती है क्योंकि चेतना का स्वभाव ही सक्रिय रहना है। इसलिए शब्द में निहित अर्थ चेतना उसे शब्द के विकास की यात्रा पर ले जाती है। यह यात्रा कब शुरू होती है, किस दिशा में और किन-किन दिशाओं में पहुँचते हुए कहाँ खत्म होती है, यह बहुत कुछ विविध परिस्थितियों, संदर्भों और विशेष भाषा-भाषी समाज की मानसिकता और आवश्यकता पर निर्भर करता है। जिनका अध्ययन हम अर्थ

विज्ञान के अन्तर्गत करते रहे हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। इसका अर्थ ये है कि भाषा के शब्द प्रतीक हैं। जैसे 'गाय' शब्द एक पशु विशेष का प्रतीक है जिसे समाज ने गाय शब्द के अर्थ के रूप में मान लिया है। 'गाय' शब्द कहने से केवल 'गाय' का ही बोध होगा अन्य किसी पशु का नहीं। इसी को दृष्टि रखते हुए शब्द के साथ किसी वस्तु के सम्बंध-स्थापन को संकेतग्रह कहा गया है जिसके द्वारा शब्द अपने अर्थ विशेष का बोध कराता है। शब्द से अर्थ बोध होता है। अतः शब्द 'बोधक- हैं और अर्थ 'बोध्य'। शब्द अर्थ के सम्बंध को वाक्य-वाचक या बोध्य-बोधक सम्बंध कहा गया है। शब्द वाचक या बोधक है और अर्थ वाच्य या बोध्य। संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द और अर्थ के सम्बंध को लेकर गहन चिन्तन मिलता है जो 'शब्द शक्ति' या 'वृत्ति निरूपण' नाम से प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द से होने वाले अर्थ तीन प्रकार के हैं - वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। इसी आधार पर शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं - वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों में विद्यमान शक्ति या वृत्ति को अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कहा जाता है।

9.6 अर्थ बोध के साधन

अर्थ बोध के साधनों पर चर्चा करने से पूर्व यह जानना प्रासंगिक होगा कि अर्थ का ज्ञान कैसे होता है। हम पहले यह पढ़ आये हैं कि शब्द प्रतीक हैं। तभी शब्द के साथ किसी वस्तु, क्रिया या भाव-विचार के सम्बंध स्थापन को संकेतग्रह कहा गया है। इस तरह अर्थ का ज्ञान प्रत्यय या प्रतीत के रूप में होता है। प्रतीत अनुभव से होती है। अनुभव दो प्रकार से होता है - आत्म अनुभव और पर अनुभव।

आत्म अनुभव - आत्म अनुभव का अर्थ है कि किसी वस्तु आदि को स्वयं देखना या अनुभव करना। हमारे आस-पास जितनी वस्तुएं या प्राणी हैं, उन्हें देखकर या उन्हें अनुभव करके हमें उसके अर्थ का बोध हो जाता है। सर्दी, गरमी के अर्थ की अनुभूति भी हमें आत्म अनुभव से होती है। आत्म अनुभव के भी दो भेद हैं - इन्द्रियजन्य और अतीन्द्रियजन्य। इन्द्रियजन्य अनुभव में हमारी पाँच इन्द्रियाँ हैं - आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभा। आँख से देखी हुई वस्तु, कान से सुना हुआ, नाक से सूँधी हुई गंध, त्वचा से स्पर्श हुआ पदार्थ और जीभ से चखा हुआ स्वाद इन्द्रियजन्य अनुभव हैं। अतीन्द्रिय अनुभव का सम्बंध अन्तःकरण या मन से है जो सूक्ष्म भावों को अनुभव करता है। सुख-दुःख, प्रेम-घृणा, मान-अपमान, भूख-प्यास आदि का अनुभव व्यक्ति स्वयं मन से करता है। यह अतीन्द्रियजन्य आत्म अनुभव है।

पर अनुभव - दूसरों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को पर अनुभव कहते हैं। अनेक क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ हमारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता अतः उस क्षेत्र से सम्बंधित शब्दों की अर्थ प्रतीति के लिए हमें पर-अनुभव पर निर्भर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष हो या युद्ध क्षेत्र - इनसे जुड़े हुए शब्दों के अर्थ की प्रतीति के लिए दूसरों का अनुभव ही हमें अर्थ का बोध कराता है। भारतीय परम्परा में अर्थ बोध के निम्नलिखित आठ साधन माने गए हैं - व्यवहार, कोश, व्याकरण, प्रकरण,

व्याख्या, उपमान, आप्तवाक्य, प्रसिद्ध पद या ज्ञात का सान्निध्य। इनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है -

1. व्यवहार - अर्थ बोध का यह प्रमुख साधन है। व्यवहार का तात्पर्य लोक व्यवहार या सामाजिक व्यवहार से है। आप जानते हैं कि भाषा अनुकरण से अर्जित की जाती है। अनुकरण व्यवहार से ही सिद्ध होता है। व्यवहार से हम शब्द और उसका अर्थ अथवा संकेत ग्रहण करते हैं। लोक में प्रचलित सभी प्राणी, वस्तु, और प्रकृति सम्बंधी शब्दों के अर्थ का ज्ञान हमें लोक व्यवहार से होता है।

2. कोश - अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान हमें शब्द कोश से होता है।

3. व्याकरण - व्याकरण से हमें एक ही शब्द के अनेक रूपों के अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे 'मीठा' से 'मिठाई' का क्या अर्थ है। 'मनुष्य' का अर्थ हमें ज्ञात है किन्तु 'मनुष्य' से 'मनुष्यता' कैसे बना और उसका अर्थ क्या है, यह व्याकरण के द्वारा जाना जा सकता है।

4. प्रकरण - आप जानते हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं - एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ रूढ़ है और अनेकार्थी, जिनके एक से अधिक अर्थ हों। अनेकार्थी शब्दों का अर्थ प्रकरण अर्थात् संदर्भ पर निर्भर करता है। यदि प्यासा कहे कि 'पानी' तो पानी का सीधा सा अर्थ जल है किन्तु कोई कहे कि तुम्हारी आँखों में जरा भी पानी नहीं है, तो यहाँ 'पानी' का अर्थ 'शर्म' से है। इसी तरह 'रस' के भी विभिन्न अर्थ संदर्भ या प्रकरण से ही स्पष्ट होते हैं।

5. व्याख्या - इसे 'विवृति' भी कहा गया है। अनेक शब्द (विशेषकर पारिभाषिक शब्द) ऐसे हैं जिनका अर्थ बोध व्याख्या द्वारा ही कराया जा सकता है। जैसे 'ध्वनि' एक सामान्य शब्द है किन्तु भाषा वैज्ञानिक अर्थ समझने के लिए 'ध्वनि' की व्याख्या करना अपेक्षित है।

6. उपमान - उपमान का अर्थ है 'सादृश्य'। एक वस्तु के सादृश्य पर दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे 'गाय' के सादृश्य पर 'नीलगाय' या 'कुत्ते' के सादृश्य पर 'भेड़िया' शब्द का अर्थ जाना जा सकता है।

7. आप्तवाक्य - महान, विद्वान, प्रसिद्ध, सिद्ध लोगों के वाक्य भी अर्थबोध कराने में सहायक बनते हैं। व्यवहारिक जगत में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जिनसे हमारा प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। जैसे आस्थावान लोगों का ईश्वर, नरक-स्वर्ग, आत्मा-परमात्मा और पुनर्जन्म जैसे शब्दों का अर्थबोध मुख्यतः धर्मग्रंथों के आप्तवाक्यों पर आधारित है।

8. प्रसिद्ध पद या ज्ञात का सान्निध्य - ज्ञात शब्दों के सान्निध्य से भी कभी-कभी अज्ञात शब्द का अर्थ बोध हो जाता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध पद के सान्निध्य से उस वर्ग के अन्य शब्द जिसका अर्थ ज्ञात नहीं है, उसका भी अर्थ बोध हो जाता है। जैसे - एक वाक्य लें: शरबती से बासमती शब्द का अर्थ बोध हो जाता है। यहाँ 'बासमती' और 'चावल' प्रसिद्ध पद हैं। इनके सान्निध्य से 'शरबती' का अर्थबोध सहज में हो जाता है कि वह भी एक प्रकार का चावल ही है। पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थबोध के तीन साधन बताए हैं -

1. निदर्शन अर्थात् किसी वस्तु का प्रदर्शन कर शब्द विशेष का अर्थ बोध कराना। जैसे आम, अमरूद, कलम, कापी, घड़ी, पुस्तक आदि वस्तुएं दिखाकर इनसे सम्बद्ध शब्द का उच्चारण करके अर्थ बोध कराना।
2. विवरण में किसी वस्तु विशेष का विस्तार से विवरण प्रस्तुत करके अर्थ बोध कराना।
3. अनुवाद के द्वारा भी अर्थ बोध होता है। जैसे - अहिंदी भाषी व्यक्ति को उसकी मूल भाषा में अनुवाद करके हिन्दी शब्दों का अर्थज्ञान कराया जाता है।

9.7 अर्थ परिवर्तन

अब तक के अध्ययन से आप यह अच्छी तरह समझ गये होंगे कि भाषा परिवर्तन शील है। जिस प्रकार शब्द की भाषिक ध्वनियों में परिवर्तन उसके रूप को परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार शब्द के अर्थ में परिवर्तन उसके मूल भाव या विचार को बदल देता है। अर्थ के कारण शब्द की चेतना में गति है। भाषा विकास शब्दार्थ की चेतना का ही विकास है जो विभिन्न देशकाल, परिस्थितियों में सतत रूप से परिवर्तन के माध्यम से सक्रिय रहता है। विद्वानों का भी मानना है कि भाषा कभी गतिहीन नहीं होती। उसका गतिहीन होना या जड़ होना ही उसकी मृत्यु होना है। भाषा के विकास में उसकी गतिशीलता बहुत सूक्ष्म रूप में होती है जिसका प्रभाव ध्वनिगठन, शब्दरूप, शब्दार्थ आदि में देखा जा सकता है। विद्वानों का मानना है कि शब्द के रूपगत परिवर्तनों का आधार मनुष्य का बाह्येन्द्रियाँ हैं और अर्थगत परिवर्तन का सीधा सम्बंध उसके मानस जगत से है। अर्थ परिवर्तन का अध्ययन व्यक्ति, समाज और उसकी जातीय संस्कृति के विकास के विभिन्न सोपानों को उद्घाटित करता है। आधुनिक भाषाविदों का यह मानना है कि पहले की तुलना में आधुनिक समाज में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण अर्थ परिवर्तन भी अधिक हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाव-विचार की संवाहिक होने के नाते भाषा के अर्थगत परिवर्तन किसी भी मानव समाज और उसकी जातीय संस्कृति के अध्ययन में अन्य भाषागत परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक सहायक हो सकते हैं।

9.8 अर्थ परिवर्तन की दिशाएं

किस स्थिति विशेष में किसी शब्द का अर्थ किस दिशा में विकसित होता है - यह जानने के लिए भाषाविदों ने अनेक प्रयत्न किए किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी तक अर्थ परिवर्तन का कोई भाषा वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बीसवीं सदी में फ्रेंच भाषा वैज्ञानिक 'ब्रेआल' ने सर्वप्रथम अर्थ विज्ञान को भाषा विज्ञान में स्वतंत्र अध्ययन का विषय बनाया। उन्होंने तार्किक आधार देते हुए यह सिद्ध किया कि अर्थ विकास या अर्थ परिवर्तन की तीन दिशाएं हो सकती हैं -

1. अर्थ विस्तार
 2. अर्थ संकोच
 3. अर्थदिश
- अर्थ परिवर्तन की इन दिशाओं का उदाहरण सहित विस्तार से परिचय इस प्रकार है।

9.8.1 अर्थ विस्तार

शब्द में बिना किसी परिवर्तन के अर्थ का विस्तार होना प्रत्येक विकासशील भाषा का स्वभाव है। हिन्दी का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें यह प्रक्रिया आवश्यक और स्वाभाविक है। प्रारम्भ में शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है किन्तु धीरे-धीरे उसके प्रयोग में विविधता आती जाती है। इसलिए वह व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। अपनी व्यापकता में मूल अर्थ लगभग भुला दिया जाता है और व्यापक अर्थ ही सामान्य हो जाता है। जैसे - प्रारम्भ में केवल तिल के रस को 'तेल' कहते थे। धीरे-धीरे सरसों, नारियल, बादाम ही नहीं मिट्टी, मछली के तेल को भी 'तेल' कहा जाने लगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं - 'स्याह' का अर्थ काला है। इसी से 'स्याही' बना किन्तु अब लाल, नीली, हरी सभी तरह की 'स्याही' हैं। 'अधर' नीचे के दोनों ओठों को कहते थे। अब दोनों ओष्ठों के लिए 'अधर' प्रयुक्त होता है। वीणा बजाने में पारंगत व्यक्ति को 'प्रवीण' कहा जाता था। अब किसी भी कार्य में कुशल व्यक्ति को 'प्रवीण' कहते हैं। इसी प्रकार 'ग्रंथ' का प्रारम्भिक अर्थ 'गूँथना' या 'बाँधना' है। कागज के पन्नों को एक में बाँधकर ग्रंथ तैयार होता था। वर्तमान में किसी भी पुस्तक के लिए 'ग्रंथ' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'ग्लास' पहले केवल शीशे के होते थे, अब स्टील, प्लास्टिक, चाँदी, थर्मोकोल के भी ग्लास चलने लगे हैं। खोयी हुई गायों को खोजने के लिए 'गवेषणा' शब्द चलता था। अब किसी भी खोजपूर्ण लेखन या कार्य के लिए 'गवेषणा' का प्रयोग होता है जैसे गवेषणात्मक लेख या साहित्य। इसी प्रकार हवन-पूजा में प्रयुक्त होने वाली विशेष प्रकार की छोटी घास 'कुश' को लाने वाले को 'कुशल' कहते थे। अर्थ विस्तार में इसका अर्थ ठीक तरह से (कुशल पूर्वक, कुशल मंगल) हो गया। सब्ज (हरा रंग) से 'सब्जी' बना अर्थात् हरे रंग की सब्जी होती थी। अब किसी भी रंग की सब्जी को 'सब्जी' कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात् व्यक्तियों के नामों पर भी अर्थ विस्तार देखा जा सकता है जो उनके गुणों और कार्यों के कारण रूढ़ हो गया। जैसे विभीषण (घर का भेदिया), नारद (लड़ाई लगाने वाला), जयचंद (देशद्रोही), भगीरथ (असम्भव को सम्भव करने वाला), मंथरा (कुमंत्रणा करने वाली), सती-सावित्री (पतिव्रता), कुबेर (धनाढ्य व्यक्ति) आदि।

इसी प्रकार संख्यावाची शब्दों में भी अर्थ विस्तार की प्रवृत्ति दृष्ट्य है। भारतीय दण्ड विधान में 420 की धारा धोखाखड़ी और 110 नम्बर की धारा जनता की निगाह में बुरे व्यक्ति पर लगती है। इसी आधार पर धोखेबाज व्यक्ति के लिए 'चार सौ बीस' और बुरे व्यक्ति के लिए 'दस नम्बरी' शब्द चलने लगा। साठ वर्ष की उम्र में पहले व्यक्ति की बुद्धि और सोचने-समझने की क्षमता क्षीण होने लगती थी। शायद रिटायरमेंट की उम्र इसीलिए साठ रखी गयी थी। 'सठियाना' अर्थ इसी सन्दर्भ में विकसित हुआ है। भाषा में अर्थ विस्तार की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। यद्यपि इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते क्योंकि भाषा में ज्यों-ज्यों विकास होता है, उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं और छोटी से छोटी वस्तुओं को प्रकट करने की क्षमता भी विकसित होती जाती है।

9.8.2 अर्थ - संकोच

भाषा के विकास में अर्थ-संकोच महत्वपूर्ण है। प्रारम्भ में शब्दों का अर्थ सामान्य रहा होगा। सामान्य या विस्तृत अर्थ जब विशिष्ट अर्थ में सीमित हो जाता है, तो इसे अर्थ-संकोच कहते हैं। तात्पर्य यह है कि विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में अर्थ की व्यापकता सीमित या संकुचित हो जाती है। जैसे 'मृग' शब्द को ही लें। प्रायः सभी पशुओं के लिए 'मृग' शब्द प्रचलित था। इसी से 'मृगया' (पशुओं का शिकार करना) बना किन्तु धीरे-धीरे यही 'मृग' केवल हिरन के अर्थ में संकुचित हो गया। अर्थ परिवर्तन के अन्तर्गत अर्थ-संकोच की प्रवृत्ति को भाषा वैज्ञानिकों ने अन्य प्रवृत्तियों (अर्थ-विस्तार, अर्थादेश आदि) से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण माना है। बाबू श्यामसुन्दर दास का मानना है कि इस संकोच की सविस्तार कथा लिखी जाय तो अर्थ-विचार का अत्यंत मनोरंजक और शिक्षाप्रद अंग तैयार हो जाय। इसी प्रकार पाश्चात्य भाषाविद् ब्रील का कथन है कि राष्ट्र या जाति जितनी ही अधिक विकसित होगी, उसकी भाषा में अर्थ-संकोच के उदाहरण उतने ही अधिक मिलेंगे। डॉ. हरदेव बाहरी का भी मानना है कि भाषा में सापेक्षता या सुनिश्चिता लाने के लिए अर्थ-संकोच आवश्यक भी है। अर्थ-संकोच से भाषा का व्यवहार स्थिर और समृद्ध होता है। अतः अर्थ-संकोच की अपेक्षा अर्थ-प्रसार की प्रक्रिया कम होती है क्योंकि भाषा का लक्ष्य विचारों या भावों को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त करना होता है। विशेषकर जब वह साहित्य और ज्ञान-विज्ञान का माध्यम बन जाती है।

निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा अर्थ-संकोच की प्रवृत्ति को अच्छी तरह समझा जा सकता है -

शब्द	सामान्य अर्थ	अर्थ-संकोच
जलज	जल से उत्पन्न सभी वस्तुएं	कमल
गो	चलने वाला प्राणी मनुष्य, पशु	गाय
खग	आकाश में उड़ने वाला	पक्षी
रसाल	रस से पूर्ण वस्तु	आम
भार्या	जिसका भरण-पोषण किया जाय	पत्नी
वेदना	जानना (सुःख-दुःख दोनों)	दुःख
सर्प	जो सरकता है	साँप
मोदक	प्रसन्न करने वाला	लड्डू
धान्य	धन से सम्बद्ध	अन्न
दुहिता	जो गाय दुहे	पुत्री
वहन	वहन (ढोने) करने वाला	अग्नि
गंध	अच्छी-बुरी महक	बुरी गंध
बू	अच्छी-बुरी दोनों गंध के लिए	बुरी गंध
घृत	सींचना	घी
दण्ड	डंडा	सजा

नट	नाट्य कला में प्रवीण	विशेष जाति
गौ	इंद्रियाँ, पृथ्वी, गाय	गाय

इसी प्रकार वत्स, बाछा, बछेड़ा, पाड़ा, छौना, मेमना, चूजा, पोआ, पिल्ला, आदि सभी शब्दों का अर्थ 'बच्चा' है किन्तु अर्थ-संकुचन के कारण ये क्रमशः मनुष्य, गाय, घोड़ा, भैंस, सुअर, भेड़, साँप और कुत्ते के बच्चे के विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। डॉ. हरदेव बाहरी ने अर्थ-संकोच की निम्नलिखित स्थितियाँ बतायी है -

1. विशेषण लगने पर - बार (द्वार) = चौबारा, पुरुष = राजपुरुष, काल = महाकाल
2. विशेषण के विशेष्य और विशेष्य के विशेषण में लुप्त होकर समाने पर - पत्र = समाचार-पत्र, जन्माष्टमी = कृष्ण जन्माष्टमी, लगन = शुभ लगन, चाल = खोटी चाल
3. समानार्थक शब्द इकट्ठा होने पर एक का अर्थ-संकोच हो जाता है जैसे - भात और भत्ता, गर्भिणी (स्त्री) और गाभिन (गाय, भैंस), चून (चूर्ण) और चूना

इसी प्रकार समास उपसर्ग,-प्रत्यय द्वारा भी किसी शब्द के अर्थ की विशिष्टीकरण प्रक्रिया होती है जो अर्थ-संकोच के ही उदाहरण हैं। जैसे - घनश्याम और पीताम्बर का अर्थ कृष्ण के लिए, दशानन रावण के लिए, गजवदन गणेश के लिए संकुचित हो गया।

9.8.3 अर्थादेश

भावों की समानता के कारण कभी-कभी शब्द के मुख्य अर्थ के साथ अन्य गौण अर्थ भी चलने लगते हैं। कुछ समय बाद मुख्य अर्थ तो लुप्त हो जाता है और गौण अर्थ ही प्रचलन में मुख्य हो जाता है। इस तरह मुख्य अर्थ के लोप होने और उसके स्थान पर नवीन अर्थ के चलन को 'अर्थादेश' कहते हैं। जैसे - 'असुर' पहले देववाची शब्द था जिसका अर्थ 'देवता' था किन्तु 'असुर' अब 'राक्षसवाची' शब्द हो गया है। इसी प्रकार 'मौन' शब्द 'मुनि' से बना है। आरम्भ में इसका प्रयोग मुनियों के विशुद्ध आचरण के लिए होता था। अब 'मौन' चुप रहने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 'वर' का अर्थ 'श्रेष्ठ' था। अब यह 'दूल्हे' के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि 'दूल्हा' शब्द भी 'दुर्लभ' से बना है। कन्या के लिए दूल्हा खोजना आसान तो नहीं दुर्लभ कार्य है। बंगला भाषा में 'गृह' से हिन्दी में 'घर' बना जिसका अर्थ हिन्दी में तो घर है किन्तु बंगला में 'कमरा'। अच्छे-बुरे भाव की दृष्टि से अर्थादेश के दो भेद किए गये हैं -

1. अर्थोपकर्ष
2. अर्थोत्कर्ष

अर्थोपकर्ष - सामाजिक दृष्टि से किसी शब्द का प्रारम्भ में अच्छा अर्थ जब बुरे भाव में परिवर्तित हो जाता है, तब अर्थोपकर्ष होता है। जैसे - भक्त के अर्थ में प्रयुक्त 'हरिजन' शब्द का अर्थ जाति विशेष तक सीमित होकर रह गया। 'जुगुप्सा' शब्द पालने या छिपाने के अर्थ में चलता था। अब उसका अर्थ 'घृणा' है। यह भी देखा गया है कि तत्सम् शब्द तो अच्छे भाव के अर्थ में है किन्तु उसी से विकसित तद्भव शब्द बुरे या हीन भाव के अर्थ में प्रचलित हो जाता है। 'गर्भिणी' से विकसित 'गाभिन' को ही लें। गर्भिणी स्त्रियों के लिए है और गाभिन पशुओं के

लिए प्रणाली (रास्ता, युक्ति) से निकला 'पनारी' या 'पनारा' (गंदी नाली या नाला) भी इसी अर्थोपकर्ष के उदाहरण हैं।

अर्थोत्कर्ष - यह अर्थोपकर्ष का उल्टा है। इसमें पूर्व में प्रचलित बुरे भाव का अर्थ बाद में अच्छे भाव के अर्थ में प्रचलित हो जाता है। जैसे 'मुग्ध' और 'साहस' शब्दों के अर्थ को देखें। संस्कृत में 'मुग्ध' का अर्थ 'मूढ़' के लिए होता था। अब वह मोहित होने के अर्थ में चलता है। इसी प्रकार 'साहस' पहले व्यभिचार, हत्या जैसे बुरे भाव का शब्द था, अब तो 'साहस' और 'साहसी' की सभी प्रशंसा करते हैं किन्तु 'दुस्साहस' की नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थ परिवर्तन की मुख्य रूप में तीन ही दिशाएं हैं। विस्तृत और गहन अध्ययन के लिए इनके भेद-उपभेद किए जा सकते हैं।

9.9 अर्थ-परिवर्तन के कारण

अर्थ-परिवर्तन का सम्बंध मनुष्य की मानसिकता से है। इसलिए अर्थ-परिवर्तन के निश्चित सिद्धान्त नहीं स्थापित किए जा सकते हैं। वास्तव में किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन का कोई एक निश्चित कारण न होकर कई कारणों का योगदान होता है। भाव सादृश्य के साथ सामाजिक कारण भी हो सकता है। इसलिए यहाँ अर्थ परिवर्तन के मुख्य कारणों पर हम विचार करेंगे। अर्थ परिवर्तन के मुख्य कारण और उनके भेद-उपभेद इस प्रकार हैं -

1. भाषा शास्त्रीय -
 - I. बल का अपसरण
 - II. सादृश्य
 - III. अन्य भाषाओं से आए शब्द
 - IV. व्याकरण
 - V. लाघव की प्रवृत्ति
 - VI. शब्द का रूप परिवर्तन
 - VII. अज्ञानता
2. सभ्यता का विकास -
 - I. नवीन वस्तुओं/ आविष्कारों की खोज
3. सामाजिक साँस्कृतिक -
 - I. सामाजिक परम्पराएं और मान्यताएं
 - II. नम्रता प्रदर्शन
 - III. अशुभ-छोटेकार्य
 - IV. सामाजिक परिवेश
4. भौगोलिक परिवेश -
 - I. साहित्यिक कारण -
 - I. लाक्षणिक प्रयोग

II. व्यंग्य

6. ऐतिहासिक कारण - पीढ़ी परिवर्तन
7. सभ्यता का विकास -
8. सामाजिक-सांस्कृतिक -

- I. भ्रान्त धारणा
- II. अंधविश्वास
- III. नम्रता प्रदर्शन

1. अर्थ परिवर्तन के भाषा शास्त्रीय कारण -

- I. बल का अपसरण - किसी शब्द के उच्चारण में यदि ध्वनि विशेष पर बल दिया जाय तो शेष ध्वनियाँ कमजोर पड़कर धीरे-धीरे लुप्त हो जाती हैं। 'उपाध्याय' से 'ओझा' होना इसका अच्छा उदाहरण है। ध्वनि में बल अपसरण से शब्द रूप के साथ ही उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसी प्रकार पहले 'गोस्वामी' का अर्थ 'बहुत सी गायों का स्वामी' था जो बाद में धार्मिक व्यक्ति के लिए 'गुंसाई' रूप में प्रचलित हुआ।
- II. सादृश्य - अर्थ-परिवर्तन में इसके उदाहरण कम ही हैं। 'प्रश्रय' का संस्कृत में अर्थ था - विनय, शिष्टता, या नम्रता। इससे मिलता जुलता शब्द 'आश्रय' है जिसका अर्थ सहारा है। अतः आश्रय के सादृश्य में 'प्रश्रय' भी सहारा के अर्थ में प्रयोग होने लगा।
- III. अन्य भाषाओं से आये शब्द - हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं के अनेक शब्द आये हैं किन्तु हिन्दी भाषा में उनके अर्थ बदल गये हैं। जैसे - फारसी 'दरिया' शब्द (नदी) गुजराती में 'समुद्र' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार फारसी का 'मुर्ग' (पक्षी) हिन्दी में पक्षी विशेष हो गया।
- IV. व्याकरण - व्याकरण के कारण भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे - 'हार' शब्द में उपसर्ग जोड़ने से उपहार, विहार, आहार, संहार या 'कार' शब्द में उपसर्ग जोड़ने से आकार, विकार, संहार नये अर्थवान शब्द बनते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय जोड़ने या समास रचना से भी अर्थ भेद आ जाता है। जैसे - मीठा से मिठाई, गृहपति (गृहस्वामी), पतिगृह (ससुराल) आदि।
- V. लाघव की प्रवृत्ति - उच्चारण में मुख-सुख या लाघव की प्रवृत्ति मनुष्य का स्वभाव है। इसमें लम्बे-लम्बे शब्दों के कुछ अंश हट जाते हैं जिससे अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे - रेलवे स्टेशन की जगह केवल 'स्टेशन' से भी रेलवे स्टेशन का बोध होता है। ऐसे ही 'मोटर बाइक' बाइक और 'आटो रिक्शा' शब्द केवल आटो के रूप में पूरा अर्थ देता है।

VI. शब्द का रूप-परिवर्तन - शब्द के तत्सम रूप से तद्भव रूप भी बनते हैं जैसे - गर्भिणी से गाभिन, स्तन से थन, श्रेष्ठ से सेठा इसे अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे गर्भिणी और स्तन स्त्री के सम्बंध में और गाभिन और थन शब्दों का प्रयोग पशुओं के संदर्भ में होता है। इसी प्रकार श्रेष्ठ का अर्थ आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति से है और सेठ धनी व्यक्ति को कहते हैं।

VII. अज्ञानता - भाषा की अज्ञानता के कारण भी अर्थ-परिवर्तन होता है। जैसे - संस्कृत का 'धन्यवाद' (प्रशंसा) शुक्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अज्ञान के कारण कभी-कभी शब्दों के दोहरे अर्थ वाले रूप चलने लगते हैं। जैसे 'फ़जूल' के लिए बेफ़िजूल, 'खालिस' के लिए निखालिस, 'विंध्याचल' के लिए विंध्याचल पर्वत, 'सज्जन' के लिए सज्जन व्यक्ति आदि।

2. सभ्यता का विकास - सभ्यता के विकास के साथ ही नवीन वस्तुओं का निर्माण और नये-नये आविष्कार होते रहते हैं। शासन-प्रशासन, शिक्षा पद्धति में नये बदलाव आते हैं जो अर्थ-परिवर्तन का कारण बनते हैं। कलम पहले पंख (पेन) से बनती थी 'पत्र' का अर्थ वृक्ष का पत्ता था। सभ्यता के विकास में पेन और पत्र कितने विस्तृत अर्थ के हो गए। सभ्य होने के साथ ही व्यक्ति अश्लील और गंदे कार्यों के लिए प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर संकेतात्मक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करने लगा है। नहाने, पेशाब-लैट्रीन जाने-सभी के लिए बाथरूम शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह रेडियो के आने पर 'आकाशवाणी' का प्रयोग प्रचलित हुआ।

3. सामाजिक साँस्कृतिक - सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं के कारण भी अर्थ-परिवर्तन होते हैं। जैसे - अंधविश्वास के कारण 'चेचक' को देवीमाता कहना। पत्नी द्वारा अपने पति का नाम न लेने के अंधविश्वास ने पति के अर्थ में आदमी, मलिकार, घरवाला, बेटवा के बाबू आदि अनेक शब्दों को जन्म दिया। इसी तरह अशुभ या बुरी खबर को सीधे न कहकर घुमा-फिराकर संकेत में कहा जाता है। किसी की मृत्यु होने पर 'मर गया' सीधे न कहकर बल्कि 'नहीं रहा', स्वर्गवासी या दिवंगत हो गया कहा जाता है। 'लाश' को पार्थिव शरीर या मिट्टी कहते हैं। किसी के विधवा होने पर सिंदूर पुछना, सुहाग मिटना कहते हैं। एकमात्र संतान की मृत्यु पर चिराग बुझना कहते हैं। सामाजिक कारणों में नम्रता प्रदर्शन भी एक कारण है। उर्दू भाषा में नम्रता प्रदर्शन के प्रचुर उदाहरण हैं। हिन्दी में भी कम नहीं हैं क्योंकि वहाँ भी नम्रता, शिष्टाचार बना हुआ है। 'मेरे यहाँ आइये' के अर्थ में 'मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए' चलता है। बहुत दिन बाद मिलने पर 'कैसे दर्शन दिए' या 'इधर कैसे रास्ता भूल गए' वाक्यांशों का प्रयोग देखा जा सकता है। छोटे कार्यों को करने वालों के लिए भी आदर सूचक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता था। जैसे नाई के लिए 'नाई राजा', और नाईन के लिए 'नाईन चाची या नाईन काकी' प्रयुक्त होता था। खाना बनाने वाला या वाली महाराज या महाराजिन होते थे।

सामाजिक परिवेश से भी अर्थ-परिवर्तन होता है। अंग्रेजी के 'सिस्टर', 'फादर', 'मदर' शब्द घर में बहन, पिता, माँ के लिए प्रयुक्त होते हैं किन्तु 'सिस्टर' गिरिजाघर में 'नन' के अर्थ में और अस्पताल में 'नर्स' के अर्थ में प्रचलित है।

1. प्रत्येक समाज और समुदाय की साँस्कृतिक अस्मिता होती है जो भाषा व्यवहार को प्रभावित करती है। समुदाय विशेष की साँस्कृतिक अवधारणाएँ शब्दों के अर्थ ग्रहण को प्रभावित करती है। इनमें परस्पर भेद के कारण अर्थभेद भी पैदा होता है। एक समुदाय विशेष में धर्म - अधर्म, पाप - पुण्य, स्वर्ग - नरक आदि शब्दों के अर्थ से भिन्न हो सकते हैं। यह भिन्नता साँस्कृतिक अस्मिता की भिन्नता के कारण होती है।

4. भौगोलिक परिवेश - भौगोलिक परिवेश बदलने से भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। वैदिक युग में 'उष्ट्र' शब्द जंगली बैल के लिए होता था। आर्य जब रेगिस्तान क्षेत्र में आये तो उन्होंने इसे 'ऊँट' कहा। इसी प्रकार अंग्रेजी के 'कार्न' का मूल अर्थ 'गल्ला' है। यही 'गल्ला' अमेरिका में 'मक्का' के लिए और स्काटलैण्ड में 'बाजरा' के लिए प्रयुक्त होता है। शायद 'गल्ला मंडी' (अनाज की मंडी) कार्न के मूल अर्थ से ही विकसित हुआ है। इसी प्रकार 'गंगा' उत्तर भारत में विशिष्ट नदी है। गुजरात में सभी नदियों के लिए 'गंगा' शब्द प्रचलित है। पूर्वी भारत में पके हुए चावल को 'भात' कहते हैं किंतु खड़ी बोली क्षेत्र में कच्चे-पके दोनों प्रकार के चावल के लिए 'चावल' ही कहते हैं। इसी प्रकार 'ठाकुर' का अर्थ उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय, बिहार में नाई और बंगाल में खाना बनाने वाले के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित विशेष व्यंजन 'कढ़ी' शब्द कुमाऊँ क्षेत्र में अशोभनीय माना जाता है। भौगोलिक परिवर्तन के ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। 'पिल्ला' उत्तर भारत में कुत्ते के बच्चे को कहते हैं किन्तु दक्षिण भारत में उसका अर्थ है 'बच्चा' वह चाहें किसी का भी हो।

2. किसी विशेष क्षेत्र का सम्बंध होने के कारण भी वस्तु विशेष या उत्पादन विशेष के आधार पर उनके नये अर्थ को समाहित कर लिया जाता है। जैसे सिंधु में नमक का अधिक उत्पादन होता था। अतः उसे 'सैन्धव' कहा गया। सेंधा नमक भी 'सैन्धव' से विकसित हुआ है। इसी प्रकार तम्बाकू का जहाज पहली बार 'सूरत' में उतरा। खाने वाली तम्बाकू 'सुरती' कहलायी। 'चीनी' (शक्कर) का अर्थ भी चीन से सम्बद्धता दर्शाता है। लंका से आयातित मिर्च को 'लंका' कहते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो वस्तुओं के साथ क्षेत्र विशेष की सम्बद्धता दर्शाते हैं।

5. साहित्यिक कारण - इसके अन्तर्गत दो कारण हैं। लाक्षणिक प्रयोग और व्यंग्य। प्रायः साहित्यकार कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए शब्द के अर्थ की शक्ति को घटाता-बढ़ाता है। निर्जीव की विशेषता के लिए सजीव के गुण-धर्म का प्रयोग करता है। इससे उसमें अर्थ-परिवर्तन होता है। जैसे - घड़े का मुँह, नारियल की आँख, गुफा का पेट, आरी के दाँत आदि। पशु-पक्षियों के स्वभाव को मनुष्य पर आरोपित करते हुए भी उसके गुण विशेष को लक्षण द्वारा व्यंजित किया जाता है। जैसे डरपोक को गीदड़, मूर्ख को गधा, खुशामदी को कुत्ता या चमचा, और कपटी को साँप कहना। व्यंग्य में अर्थादिश की प्रवृत्ति होती है। इसमें अच्छे गुणों के व्यंग्यात्मक प्रयोग द्वारा दुर्गुण को प्रकट करते हैं। जैसे बदसूरत व्यक्ति के लिए 'कामदेव' और स्त्री के लिए 'अप्सरा' कहना। झूठे व्यक्ति के लिए 'युधिष्ठिर के अवतार' और कंजूस व्यक्ति के लिए 'कर्ण' कहना व्यंग्य के उदाहरण हैं। सूक्ष्म वस्तुओं या व्यापारों की साधारण शब्दों में अभिव्यक्ति

आसान नहीं होती। इसके लिए उपमा, रूपक जैसे अलंकारों या लक्षणा शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जैसे गहरी बात, निर्जीव भाषा, रूखी हँसी, सूखी हँसी, मधुर संगीत, दुःख काटना, सुख भोगना, विपत्तियों से घिर जाना जैसे प्रयोग देख जा सकते हैं। आलंकारिक अर्थ में कुछ प्रतीक रूढ़ हो जाते हैं। जैसे - पत्थर दिल (कठोर हृदय), बेपेंदी का लोटा (जिसका कुछ निश्चय न हो), भैंस (बेवकूफ), बैल (मूर्ख) आदि। इनके कुछ अन्य उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। आलंकारिक प्रयोग में ये शब्द अपने अभिधात्मक अर्थ को छोड़कर गुण का अर्थ देते हैं। अर्थ-परिवर्तन के उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं।

अर्थ-परिवर्तन की विशेषताएं - डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अर्थ-परिवर्तन की निम्नलिखित तीन विशेषताओं का उल्लेख किया है -

(क) अनेकार्थक - कभी-कभी शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन होता है किन्तु शब्द अपना नवीन अर्थ ही धारण करने पर भी मूल अर्थ को नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति में एक शब्द दो-दो या इससे अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे 'जड़' शब्द को लें। इसका प्रयोग वृक्ष की जड़, रोग की जड़, समस्या की जड़, झगड़े की जड़, आदि कई रूपों में देखा जा सकता है। इस प्रकार के शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा गया है।

(ख) एकमूलीय भिन्नार्थक शब्द - कभी-कभी एक ही मूल से निकले दो शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। पक्षी (चिड़िया) से निकले 'पंखी' का अर्थ हवा करने वाले पंखे से है।

(ग) समध्वनि भिन्नार्थक शब्द - इसमें ध्वनियों की दृष्टि से एक से रहने पर भी दो भाषाओं के शब्दों के अर्थ में परस्पर पर्याप्त अंतर रहता है। जैसे हिन्दी आम (फल), सहन (सहना), कुल (परिवार) के अर्थ अरबी शब्दों में क्रमशः आम (साधारण), सहन (आँगन), कुल (समस्त) हो जाते हैं।

9.10 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने भाषा में अर्थ-संरचना में अर्थ के विविध पहलुओं का अध्ययन किया। भाषा की अर्थ-संरचना का अध्ययन अर्थ विज्ञान के ही अन्तर्गत किया जाता है। शब्द में अर्थ के महत्व के सम्बंध में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मतों को पढ़कर आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि भाषा में शब्द के अर्थ का कितना महत्व है। भाषा विचारों या भावों की संवाहिका कही जाती है तो शब्दों में निहित अर्थ अर्थात् भाव या विचार के कारण। इसीलिए शब्द यदि भाषा का शरीर रूप है तो अर्थ उसकी आत्मा। शब्द और अर्थ के अन्तर्सम्बंध के अन्तर्गत आपने इन सब तथ्यों को भली-भाँति समझा है। आप यह भी जान गए होंगे कि किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान प्रत्यय या प्रतीति से होता है। अनुभव ही अर्थ-बोध के साधन हैं। अनुभव दो प्रकार के हैं - आत्म अनुभव जिनके ऐन्द्रिक और अतीन्द्रिय दो उपभेद हैं, और पर अनुभव। इसी प्रकार पाश्चात्य मत में निदर्शन, विवरण, अनुवाद आदि को अर्थ-बोध का साधन माना गया है। आप जानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार शब्दों की ध्वनियों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार उसमें अर्थ-परिवर्तन भी होता है। अर्थ-

परिवर्तन कई रूपों में होता है किन्तु भाषा वैज्ञानिकों ने अर्थ-परिवर्तन की मुख्य दिशाएं अर्थ-विस्तार, अर्थ-संकोच, और अर्थादेश मानी है जिनका विस्तार से आप अध्ययन करके समझ गए हैं। अर्थ-परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करने के पश्चात आप यह अच्छी तरह समझ गये होंगे कि अर्थ-परिवर्तन का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता बल्कि उसमें कई कारणों की एक साथ भूमिका होती है। इस तरह अर्थ-परिवर्तन के कारणों को पढ़ते समय आप इन परिवर्तनों के पीछे सक्रिय भाषा शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से भी परिचित हो गए होंगे और भाषा में अर्थ-परिवर्तन के सम्बंध में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बना पाए होंगे।

9.11 शब्दावली

प्रतीति	-	बोध होना/जानना
निरुक्त	-	यास्क का प्राचीन ग्रंथ
अर्थतत्व	-	शब्द का अर्थ
अनुकरणात्मक	-	देखकर सीखना या ग्रहण करना
यादृच्छिक	-	इच्छानुसार माना हुआ
संकेतग्रह	-	ध्वनियों का सम्बंध स्थापन जिसके द्वारा हमारे मन- मस्तिष्क में वस्तु-विशेष का बिम्ब बनता है।
प्रकरण	-	संदर्भ। इसे वाक्य विशेष कहा गया है।
व्याख्या	-	इसे 'विवृति' भी कहा गया है। विस्तार से बताना।
उपमान	-	जिसके सादृश्य से उपमा दी जाय।
आप्त वाक्य	-	प्रसिद्ध वचन
अर्थ-विस्तार	-	शब्दों का अर्थ सीमित से विस्तृत होना।
अर्थ-संकोच	-	शब्द का सामान्य या विस्तृत से विशिष्ट या सीमित अर्थ होना।
अर्थादेश	-	शब्द के मूल अर्थ के स्थान पर नवीन अर्थ होना।
अथोपकर्ष	-	अर्थ का अच्छे संदर्भ से बुरे संदर्भ में बदल जाना।
अथोत्कर्ष	-	अर्थ को बुरे संदर्भ से अच्छे संदर्भ में बदल जाना।
लुंचन	-	बालों को हाथ से नोचकर हटाने की क्रिया लुंचन कहलाती है। जैसे जैन साधुओं में यह प्रचलित है। इसी से 'लुच्चा' बना है।
अपसरण	-	एक स्थान से दूसरे स्थान पर होना।
निदर्शन	-	किसी वस्तु को प्रदर्शित कर शब्दों का अर्थ-बोध कराने की पद्धति
अभीप्सित	-	इच्छित

9.12 अभ्यास प्रश्न

लघु उत्तरी प्रश्न -

1. अर्थ-विज्ञान क्या है ? स्पष्ट कीजिए।
2. अर्थ विस्तार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. अर्थ-परिवर्तन के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालिए।
4. अर्थ संकोच क्या है ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
5. 'अर्थदिश' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
6. अर्थ-परिवर्तन की विशेषताएं बताइए।
7. अर्थ-परिवर्तन में भौगोलिक कारणों के उदाहरण दीजिए।

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए -

1. भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है।
2. शब्द का अभिप्रेत है।
3. अर्थ-बोध का प्रमुख साधन है।
4. सर्वप्रथम अर्थ विज्ञान का स्वतंत्र अध्ययन करने वाले हैं।
5. 'स्याह' में अर्थ-परिवर्तन की दिशा भाषा वैज्ञानिक है।

वाक्य में सही/गलत होने पर (□)का निशान लगाइए -

1. अर्थ-परिवर्तन में अर्थ विस्तार की अपेक्षा अर्थ-संकोच अधिक होता है।
सही/गलत
2. भाषा में शब्द साध्य हैं अर्थ साधन।
सही/गलत
3. अतीन्द्रिय आत्मबोध का सम्बंध अन्तःकरण से है।
सही/गलत
4. 'कुशल' में अर्थ-परिवर्तन की दिशा अर्थ-संकोच है।
सही/गलत
5. मुख्य अर्थ के स्थान पर नवीन अर्थ के प्रचलित होने को 'अर्थदिश' कहते हैं।
सही/गलत

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1. निम्नलिखित में अर्थ बोधन का कौन-सा साधन है ?
(अ) आत्म अनुभव (ब) पर अनुभव(स) उपर्युक्त दोनों (द) इनमें से कोई नहीं
2. 'दण्ड' शब्द में अर्थ-परिवर्तन का कौन-सी प्रवृत्ति है ?

(अ) अर्थ विस्तार (ब) अर्थ संकोच (स) अर्थादेश (द) इनमें से कोई नहीं

3. 'अर्थादेश' का अर्थ है।

(अ) अर्थ का विस्तृत होना (ब) अर्थ का संकुचित होना

(स) मूल अर्थ की जगह नया अर्थ आना (द) कई अर्थ एक साथ प्रचलित होना

4. निम्न में किस शब्द का अर्थ-परिवर्तन 'अर्थोत्कर्ष' की श्रेणी में आता है ?

(अ) साहस (ब) मधुर (स) गोष्ठी (द) उपर्युक्त सभी

5. 'मृग' शब्द का 'मूल' अर्थ था।

(अ) शिकार (ब) कोई भी पशु (स) शिकारी (द) हिरन

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर -

रिक्त स्थानों की पूर्ति -

1. यादृच्छिक 2. विचार या भाव 3. व्यवहार 4. ब्रेआल 5. अर्थविस्तार

सही गलत वाक्य -

1. सही 2. गलत 3. सही 4. गलत 5. सही

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1. (स) 2. (ब) 3. (स) 4. (द) 5. (ब)

9.13 संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल इलाहाबाद
2. डॉ भोलानाथ तिवारी, शब्दों का जीवन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
3. प्रो. रामकिशोर शर्मा, आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धान्त, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
4. डॉ बाबूराम सक्सेना, अर्थ विज्ञान, पटना विश्वविद्यालय, पटना
5. अजित वडनेरकर, शब्दों का सफर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
6. डॉ कपिल देव द्विवेदी, अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

9.14 निबंधात्मक प्रश्न -

1. शब्द का परिचय देते हुए शब्द और अर्थ को सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए तथा अर्थ-बोधन के साधनों पर प्रकाश डालिए।
2. अर्थ-परिवर्तन की दिशाएं बताइये एवं साथ ही अर्थ-परिवर्तन के कारणों की सोदाहरण विवेचना कीजिए।

इकाई 10 अन्य व्याकरणिक इकाईयाँ

इकाई की रूपरेखा

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 संज्ञा
 - 10.3.1 संज्ञा के भेद
 - 10.3.2 लिंग
 - 10.3.3 वचन
 - 10.3.4 कारक ओर विभक्ति
 - 10.3.5 संज्ञा के शुद्ध प्रयोग
- 10.4 सर्वनाम
 - 10.4.1 सर्वनाम के भेद
 - 10.4.2 सर्वनाम के शुद्ध प्रयोग
- 1 0.5 विशेषण
 - 10.5.1 विशेषण के भेद
 - 10.5.2 विशेषण के शुद्ध प्रयोग
- 10.6 क्रिया
 - 10.6.1 क्रिया के भेद
 - 10.6.2 काल
 - 10.6.3 क्रिया के शुद्ध प्रयोग
- 10.7 अव्यय
 - 10.7.1 अव्यय के भेद
 - 10.7.2 अव्यय और क्रिया विशेषण
 - 10.7.3 अव्यय के शुद्ध प्रयोग
- 10.8 सारांश
- 10.9 शब्दावली
- 10.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 10.11 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 10.12 निबंधात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना

आप जानते हैं कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष भली-भाँति व्यक्त कर सकता है और दूसरों के विचारों को भी समझ सकता है। इस तरह भाषा मनुष्य के विचार-विनिमय का मुख्य साधन है। कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में कहें तो 'जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल (की भाषा) अथवा लिखा-पढ़ी (लिखित भाषा) से चलता है।' इसलिए भाषा, जगत के व्यवहार का मूल है। मनुष्य की भाषा से उसके विचार भली-भाँति प्रकट होते हैं। इसलिए कामता प्रसाद गुरु ने उसे 'व्यक्त भाषा' कहा है। व्याकरण (वि + आ + करण) शब्द का अर्थ है - भली-भाँति जानना। जिस शास्त्र में वाक्य संरचना के अन्तर्गत शब्दों के शुद्ध और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा और व्याकरण का अभिन्न सम्बंध है। व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा के विकास के साथ ही उसमें भी बदलाव होता रहता है। भाषा को शिष्ट और मानक रूप प्रदान करने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कामता प्रसाद गुरु ने भाषा और व्याकरण के सम्बंध की तुलना प्राकृतिक विकारों और विज्ञान के सम्बंध से की है। जिस प्रकार सृष्टि की कोई भी प्राकृतिक घटना नियम विरुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार भाषा भी नियम विरुद्ध नहीं बोली जाती। वैयाकरण भाषा के इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धान्त सुनिश्चित करते हैं।

भाषा का मुख्य अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों के मेल से। व्याकरण के अन्तर्गत भाषा के इन तीनों अंगों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इस इकाई में वाक्य संरचना में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों के स्वरूप और उनके भेद पर विस्तार से चर्चा की गयी है। साथ ही लिंग, वचन, कारक, अवयव आदि का भी परिचय दिया गया है जो व्याकरण के ही अंग हैं। इनसे सम्बंधित व्याकरण के नियमों के परिचय के साथ ही उनके शुद्ध-अशुद्ध प्रयोगों को भी उदाहरण द्वारा समझाया गया है जिससे आप भाषा के शुद्ध प्रयोग से भली-भाँति अवगत हो सकेंगे।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई में हिन्दी के व्याकरण के विविध तत्वों का विस्तार से परिचय दिया गया है। जिसके अध्ययन के बाद आप -

1. भाषा में व्याकरण की आवश्यकता और उसके महत्व को समझ सकेंगे।
2. हिन्दी व्याकरण के विभिन्न तत्वों तथा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के बारे में परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
3. साथ ही लिंग, वचन, कारक, अवयव आदि के स्वरूप और उनके प्रयोग के विविध नियमों से अवगत हो सकेंगे।

10.3 संज्ञा (NOUN)

संज्ञा का अर्थ है। नाम। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध होता है। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में है जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं बल्कि उसके धर्मों को भी व्यक्त करता है। अतः संज्ञा के अन्तर्गत वस्तु और प्राणी के नाम के साथ ही उसके धर्म-गुण भी आते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है क्योंकि संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार अर्थात् रूप परिवर्तन होता है। निम्नलिखित उदाहरणों से इसे भली-भाँति समझा जा सकता है-

लिंग के अनुसार -	दादा-दादी, नायक-नायिका, मोर-मोरनी
वचन के अनुसार -	लता-लताएं, पुस्तक-पुस्तकें
कारक के अनुसार-	लड़की से पूछो, लड़कियों से पूछो

कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अलग-अलग संदर्भों में प्रयुक्त होने पर भी कोई रूप परिवर्तन नहीं होता किन्तु उनके अर्थ में पर्याप्त अन्तर होता है। जैसे 'पानी' संज्ञा शब्द के विभिन्न अर्थों को निम्नलिखित वाक्यों में देखें -

मुझे ठंडा पानी पिलाओ।	उसके मुँह में पानी भर आया।
उसकी आँखों में जरा भी पानी नहीं है।	मेरी आशाओं पर पानी फिर गया।
उसका चेहरा पानी-पानी हो गया।	मुझे पानी देने वाला भी न मिलेगा।

संज्ञा के भेद - संज्ञा के पाँच भेद माने गये हैं -

1. जातिवाचक संज्ञा
2. व्यक्तिवाचक संज्ञा
3. द्रव्यवाचक संज्ञा
4. समूहवाचक संज्ञा
5. भाववाचक संज्ञा

1. जातिवाचक संज्ञा (Common Noun) - प्राणियों या वस्तुओं की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे -

मनुष्य	-	लड़का, लड़की, नर, नारी
पशु-पक्षी	-	गाय, बैल, बन्दर, कोयल, कौआ, तोता
वस्तु	-	घर, किताब, कलम, मेज, बर्तन,
पद-व्यवसाय	-	अध्यापक, छात्रा, लेखक, व्यापारी, नेता, अभिनेता

2. व्यक्तिवाचक संज्ञा (Proper Noun) - किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने मूल रूप में जातिवाचक संज्ञा होती है, किन्तु जाति विशेष के प्राणी या वस्तु को जब कोई नाम दिया जाता है, तब वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में हाती हैं -

व्यक्तियों के नाम	-	गीता, अनिल, मंजू
दिन/महीनों के नाम	-	जनवरी, फरवरी, मंगलवार, रविवार
देशों के नाम	-	भारत, चीन, पाकिस्तान, अमरीका

दिशाओं के नाम	-	उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
नदियों के नाम	-	गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सिंधु
त्यौहार/उत्सवों के नाम	-	होली, दीवाली, ईद, बैसाखी
नगरों के नाम	-	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, महात्मा गाँधी मार्ग
पुस्तकों के नाम	-	रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल,
समाचार पत्रों के नाम	-	अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान
पर्वतों के नाम	-	हिमालय, विन्ध्याचल, शिवालिक, अलकनंदा

3. द्रव्यवाचक संज्ञा (Material Nouns) - इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इससे उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिन्हें हम माप-तौल तो सकते हैं किन्तु गिन नहीं सकते। यह संज्ञा सामान्यतः एक वचन में होती है। इसका बहुवचन नहीं होता। जैसे -

धातु अथवा खनिज पदार्थ	-	सोना, चाँदी, कोयला
खाद्य पदार्थ	-	दूध, पानी, तेल, घी

4. समूहवाचक संज्ञा (Collective Nouns) - जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे -

व्यक्ति समूह	-	संघ, वर्ग, दल, गिरोह, सभा
वस्तु-समूह	-	ढेर, गुच्छा, श्रंखला

5. भाववाचक संज्ञा (Abstract Nouns) - व्यक्ति या वस्तु के गुण-धर्म, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता। जैसे -

प्रेम, घृणा, दुःख, शांति	(मनोभाव)
बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी	(अवस्था)

भाववाचक संज्ञाओं की रचना - सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनायी जाती हैं। कुछ उदाहरण देखें -

1. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा

जातिवाचक संज्ञा	भाववाचक संज्ञा
बालक	बालकपन
मनुष्य	मनुष्यत्व/मनुष्यता
देव	देवत्व
नारी	नारीत्व
जातिवाचक संज्ञा	भाववाचक संज्ञा
विद्वान	विद्वता
मित्र	मित्रता/मैत्री
अमीर	अमीरी
व्यक्ति	व्यक्तित्व

स्त्री	स्त्रीत्व
पिता	पितृत्व
मानव	मानवता
बच्चा	बचपन

2. सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा -

सर्वनाम	भाववाचक संज्ञा
आप	आपा
अपना	अपनापन/अपनत्व
पराया	परायापनमम
निज	निजता
स्व	स्वत्व

3. विशेषण से भाववाचक संज्ञा -

विशेषण	भाववाचक संज्ञा
ठंडा	ठंडाई
बूढ़ा	बुढ़ापा
मधुर	माधुर्य/मधुरता
मीठा	मिठाई/मिठास
सुन्दर	सुन्दरता
तपस्वी	तप
भला	भलाई
कमजोर	कमजोरी
चतुर	चातुर्य/चतुराई/चतुरता
स्वस्थ	स्वास्थ्य
स्वतंत्र	स्वतंत्रता/स्वातंत्र्य
काला	कालिया
कंजूस	कंजूसी
क्रूर	क्रूरता
स्वाधीन	स्वाधीनता
महान	महानता

4. क्रिया से भाववाचक संज्ञा -

क्रिया	भाववाचक संज्ञा
पढ़ना	पढ़ाई
रोना	रुलाई
धोना	धुलाई

हँसना	हँसी
चिल्लाना	चिल्लाहट
खेलना	खेल
घबराना	घबराहट
सजाना	सजावट
दिखाना	दिखावट
धिक्	धिक्कार
लिखना	लिखावट/लिखाई
बनाना	बनावट
कमाना	कमाई

संज्ञा की पद व्याख्या - किसी वाक्य से संज्ञा पदों का चयन कर उनके भेद और लिंग, वचन, रूप (तिर्यक या मूल), कारक तथा कारकीय सम्बन्ध दिखलाना ही संज्ञा पद की व्याख्या करना कहलाता है।

संज्ञा पद की व्याख्या के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -

1. छात्रों ने विद्यालय में सभा की।

संज्ञापद - छात्रों (ने), विद्यालय (में), सभा

छात्रों (ने) - जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग बहुवचन, तिर्यक रूप, कर्ताकारक, 'ने' का सम्बन्ध क्रिया 'की'

विद्यालय (में) - जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एकवचन, तिर्यक रूप, अधिकरण कारक

सभा - जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, मूलरूप, कर्मकारक।

2. मोहन अपने घर गया है।

संज्ञा पद - मोहन, घर

मोहन - जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, मूलरूप, कर्ताकारक

घर - जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन मूलरूप

3. देवियों ! कृपया शांत रहें।

संज्ञा पद - देवियों

देवियों - जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, बहुवचन, सम्बोधन रूप, सम्बोधन कारक

10.3.1 संज्ञा के शुद्ध प्रयोग सम्बन्धी विशेष नियम

1. समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का सम्बन्ध - सभी समूहवाचक संज्ञाएं प्रत्येक जातिवाचक संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त नहीं होती। दोनों में विशिष्ट सम्बन्ध होता है जिनके आधार पर उनका परस्पर प्रयोग सुनिश्चित होता है, जैसे -

अशुद्ध प्रयोग -

1. नेताओं का गिरोह प्रधानमंत्री से मिला।

2. अंगूरों का ढेर कितना ताजा है।
3. डाकुओं के शिष्टमंडल ने आत्मसमर्पण कर दिया।
4. लताओं का झुंड बहुत सुन्दर है।

इन वाक्यों में नेताओं, अंगूरों, डाकुओं और लताओं के लिए क्रमशः गिरोह, ढेर, शिष्टमंडल और झुंड का प्रयोग अशुद्ध है।

अतः अशुद्ध प्रयोग से बचने के लिए समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के निम्नलिखित सम्बन्ध को ध्यान रखें -

- | | | | |
|-----|---------------|---|--|
| 1. | शृंखला | - | पर्वतों की (अब मानव शृंखला भी बनने लगी है) |
| 2. | जत्था | - | सैनिक, स्वयंसेवकों का |
| 3. | मण्डल | - | नक्षत्रों, व्यक्तियों का |
| 4. | गिरोह | - | चोर, डाकुओं, लुटेरों, पाकिटमारों का |
| 5. | काफिला/कारवाँ | - | ऊँटों, यात्रियों का |
| 6. | ढेर | - | अनाज, फल, तरकारी का |
| 7. | मण्डली | - | गायकों, विद्वानों, मूर्खों की |
| 8. | संघ | - | कर्मचारी, मजदूर, राज्यों का |
| 9. | झुण्ड | - | भेड़ों या बिना सोचे समझे काम करने वालों का |
| 10. | शिष्टमंडल | - | अच्छे उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों का |

2. द्रव्यवाचक संज्ञाओं का वचन - द्रव्यवाचक संज्ञाओं के साथ यदि मात्रावाचक विशेषण का प्रयोग हो तो वे एकवचन में प्रयुक्त होती है, जैसे इन वाक्यों को देखें -

1. मुझे दो किलो मिठाइयाँ चाहिए।
2. उसने पाँच टन कोयले खरीदे।

इन वाक्यों में मिठाइयाँ और कोयले का प्रयोग अशुद्ध है क्योंकि उनके साथ मात्रावाचक शब्दों 'दो किलो' और 'पाँच टन' का प्रयोग हुआ

इसके साथ ही खाने-पीने के अर्थ में भी द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एकवचन में ही करना चाहिए, जैसे -

1. मुझे पूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती।
2. तेल की बनी मिठाइयाँ अच्छी नहीं होती।
3. आज मैंने रोटियाँ और मछलियाँ खायीं।

इन वाक्यों में पूड़ियाँ, मिठाइयाँ, रोटियाँ और मछलियाँ का अशुद्ध प्रयोग है। इसके स्थान पर पूड़ी, मिठाई, रोटी और मछली का प्रयोग शुद्ध होगा।

3. भाववाचक संज्ञाओं का वचन - प्रायः भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, जैसे -

1. बच्चों की चंचलताएं मन को मोह लेती हैं।
2. भारत-पाक के बीच शत्रुताएं अधिक हैं, मित्रताएं कम।
3. इन कमरों की लम्बाईयाँ-चौड़ाईयाँ क्या हैं ?
4. मरीज कमजोरियों के कारण चल-फिर नहीं सकता।
5. तुमने मेरे साथ बहुत भलाईयाँ की हैं।

इन वाक्यों में भाववाचक संज्ञाएं - चंचलताएं, शत्रुताएं, मित्रताएं, लम्बाईयाँ-चौड़ाईयाँ, कमजोरियाँ और भलाईयाँ का बहुवचन में अशुद्ध प्रयोग है। इनके स्थान पर इनका प्रयोग एकवचन में ही होना चाहिए। अपवादस्वरूप भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन प्रयोग वहाँ उचित होता है जहाँ विविधता का बोध होता है। ऐसे स्थलों पर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है। इन वाक्यों पर ध्यान दें -

1. मनुष्य में बहुत सी कमजोरियाँ होती हैं।
2. 'कामायनी' की अनेक विशेषताएं हैं।

4. आदरसूचक संज्ञा के लिए बहुवचन का प्रयोग - व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं के साथ एकवचन होने पर भी आदर का भाव प्रकट करने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों पर ध्यान दें -

1. तुलसीदास समन्वयकारी कवि थे।
2. आप आजकल क्या कर रहे हैं ?
3. प्रधानमंत्री आज नहीं आयेंगे।
4. पिताजी अभी लखनऊ से नहीं लौटे हैं।
5. माँजी! आप क्या सोच रही हैं।
6. आपके दर्शन के लिए रुका था।

5. पुल्लिंग बहुवचन की जातिवाचक संज्ञाएं - कुछ जातिवाचक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में प्रयोग की जाती हैं। जैसे - प्राण, आँसू, अक्षत, ओठ आदि एकवचन में होते हुए भी बहुवचन में प्रयुक्त किये जाते हैं। इन वाक्यों को देखें -

1. रोगी के प्राण निकल चुके थे।
2. शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं।
3. मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये थे।
4. बारातियों पर अक्षत बरसाए गए।

आपने संज्ञा के विविध भेदों का उदाहरण सहित परिचय प्राप्त किया। साथ ही संज्ञा का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाय, इससे सम्बंधित नियमों से भी अवगत हुए। आगे हम संज्ञा से सम्बद्ध लिंग, वचन, कारक और उसकी विभक्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न -1. निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को छाँटकर उनके भेद के समक्ष लिखिए -

गंगा सोना-चाँदी अध्यापक सभा पौरुष
कोयल रामायण गुच्छा बुढ़ापा भारत

कोयला मिठास व्यापारी तेल गिरोह
जातिवाचक संज्ञा -
व्यक्तिवाचक संज्ञा -
द्रव्यवाचक संज्ञा -
समूहवाचक संज्ञा -
भाववाचक संज्ञा -

अभ्यास प्रश्न -2. निम्नलिखित शब्दों के आगे उनकी भाववाचक संज्ञा लिखिए -

विद्वान	स्वस्थ
पराया	मधुर
कंजूस	वकील
दुश्मन	पंडित
सुन्दर	भला

10.3.2 लिंग (Gender)

लिंग का अर्थ होता है चिह्न। संज्ञा के जिस रूप में किसी प्राणी या वस्तु की स्त्री अथवा पुरुषजाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। हिन्दी में लिंग का विचार संज्ञा (लड़का-लड़की), विशेषण (अच्छा-अच्छी), सम्बन्धकारक (का, की), कृदन्त (चला-चली), सहायक क्रिया (था, थी) तथा क्रिया विशेषण (बड़ा-बड़ी) में होता है। हिन्दी में दो लिंग माने गये हैं - पुल्लिंग (Masculine Gender) और स्त्रीलिंग (Feminine Gender)। इसलिए सभी प्राणवाचक और वस्तुवाचक (अप्राणवाचक) संज्ञाएं भी दो प्रकार की ही होती हैं - पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग।

पुल्लिंग प्राणवाचक संज्ञाएं -

पिता पुत्र चाचा नाना मौसा दादा लड़का राजा काका
बाबा पुरुष पति ससुर समधी गायक नेता अभिनेता साधु

स्त्रीलिंग प्राणवाचक संज्ञाएं -

माता	पुत्री	चाची	नानी	मौसी
दादी	लड़की	रानी	राजकुमारी	काकी
स्त्री	पत्नी	सास	गायिका	नायिका
जीजी	देवी	अबला	मामी	भाभी
साली	औरत	गाय	साध्वी	घोड़ी
बाधिन	कोयल	बिल्ली	बकरी	बहू
वेश्या	तितली	सर्पिणी	चिड़िया	कुतिया
अभिनेत्री				

लिंग सम्बन्धी विशेष नियम - 1. द्वन्द्वसमास वाली प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं और तत्पुरुष समास वाली संज्ञाओं का लिंग अन्तिम संज्ञापद के अनुसार होता है। जैसे -

द्वन्द्व समास पुल्लिंग - नर-नारी, भाई-बहन, राजा-रानी, गाय-बैल

तत्पुरुष समास पुल्लिंग - राजकुमार, सेनापति, राष्ट्रगीत, राजीभवन, रसोईघर, राजमार्ग, ऋतुराज, विद्यालय, प्रतीक्षालय, बिजलीघर

तत्पुरुष समास स्त्रीलिंग - राजकुमारी, राजमाता, लोकसभा, विधानसभा, धर्मशाला, देशभक्ति, हथकड़ी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्यसभा, रामकहानी, रेतघड़ी, शब्दशक्ति, पर्वतमाला

2. पशु-पक्षी, कीड़े आदि जातियों का बोध कराने वाली कुछ संज्ञाएं या तो केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती है। जैसे - पुल्लिंग - खटमल, भेड़िया, मच्छर, उल्लू, गैंडा, कौआ, चीता

स्त्रीलिंग - मछली, चिड़िया, मैना, गिलहरी, चील, तितली, मक्खी, कोयल, बुलबुल, लोमड़ी, जोंक,

3. उपयुक्त पुल्लिंग संज्ञाओं से स्त्रीलिंग का बोध कराने के लिए संज्ञा के पूर्व 'मादा' शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे - मादा पक्षी, मादा खटमल, मादा कीड़ा। इसी प्रकार स्त्रीलिंग संज्ञाओं से पुल्लिंग का बोध कराने के लिए संज्ञा के पूर्व 'नर' शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे - नर मक्खी, नर चील, नर मछली।

4. समूहवाची संज्ञा का लिंग उनके प्रयोग पर आधारित होता है, जैसे -

पुल्लिंग - परिवार, कुटुम्ब, दल, कुंज, गुच्छा, गिरोह, झुण्ड

स्त्रीलिंग - सभा, मंडली, फौज, भीड़, सेना, टोली

अप्राणिवाचक संज्ञाओं के लिंग - अनेक विद्वानों ने अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग- निर्णय उनके रूप (एकवचन, बहुवचन) के अनुसार किया है। अतः रूप के अनुसार अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग-निर्णय

निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है -

1. जिन अप्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर 'आ' का 'ए' हो जाता है, वे पुल्लिंग और जिनका 'आ' का 'ए' नहीं होता अर्थात् 'आ' का 'आ' ही रहता है, वे स्त्रीलिंग होती हैं -

एकवचन पुल्लिंग	बहुवचन	एकवचन स्त्रीलिंग	बहुवचन
मेला	मेले	कृपा	कृपा
पहिया	पहिये	लज्जा	लज्जा
चना	चने	याचना	याचना
चरखा	चरखे	भिक्षा	भिक्षा
बुढ़ापा	बुढ़ापे	निराशा	निराशा

2. जिन अप्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर 'आ' का 'आए' अथवा 'आ' का 'एँ' हो जाता है, वे स्त्रीलिंग होती हैं -

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
दिशा	दिशाएँ	कथा	कथाएँ
लता	लताएँ	कामना	कामनाएँ
सूचना	सूचनाएँ	हवा	हवाएँ

शाखा	शाखाएँ	आलोचना	आलोचनाएँ
घटना	घटनाएँ	कविता	कविताएँ
परीक्षा	परीक्षाएँ	उपमा	उपमाएँ
दवा	दवाएँ	टीका	टीकाएँ
भाषा	भाषाएँ	मंजिल	मंजिलें

3. जिन अप्राणिवाचक संज्ञाओं का रूप एकवचन और बहुवचन में एक समान रहता है अर्थात् उनमें परिवर्तन नहीं होता, वे पुल्लिंग होती हैं। जैसे -

कल	तेल	खेल	नाच
दाँत	भवन	जल	मकान
दस्तखत	नमक	गुलाब	क्रोध
प्रेम	प्राण	दर्शन	आँसू
गाल	सामान	अनाज	बाजार
बाल	आनन्द	शरीर	वचन

इसी प्रकार कुछ द्रव्यवाचक तथा जातिवाचक संज्ञाएं भी पुल्लिंग होती हैं जिनका रूप दोनों वचनों में एक समान रहता है, जैसे - दही, मोती, पानी, पक्षी, घी आदि।

अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय - ऐसे अनेकार्थी संज्ञा शब्द जो एक अर्थ में पुल्लिंग और दूसरे अर्थ में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनका लिंग निर्धारण संदर्भ पर निर्भर करता है। ऐसे अनेकार्थी शब्दों को कुछ विद्वानों ने 'उभयलिंगी' कहा है किन्तु हिन्दी व्याकरण में ऐसा कोई लिंग-भेद नहीं है। अतः इन्हें उभयलिंग नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं -

संज्ञाशब्द	लिंग	अर्थ	वाक्य प्रयोग
कल	पुल्लिंग	आगामी दिन	तुम्हारा कल कब आएगा ?
	स्त्रीलिंग	चैन	रोगी को अभी चैन की पड़ी है।
हार	पुल्लिंग	माला	यह फूलों का हार है।
	स्त्रीलिंग	पराजय	हमारी हार हो गई।
टीका	पुल्लिंग	तिलक	पूजा पर सबने टीका लगाया।
	स्त्रीलिंग	टिप्पणी	सतसई की अनेक टीकाएं हैं।

कुछ संज्ञा शब्द (पद या व्यवसाय से सम्बद्ध) ऐसे हैं जिनका प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से होता है, जैसे -

मित्र	विद्यार्थी	मंत्री	कुलपति	राष्ट्रपति	वकील	प्रधानमंत्री
दोस्त	प्रोफेसर	जज	प्रवक्ता	सचिव	रीडर	एडवोकेट

यद्यपि इस प्रकार के शब्दों के स्त्रीलिंग भी काफी प्रचलित हो गये हैं। जैसे - प्राचार्य - प्राचार्या, अध्यापक - अध्यापिका, लेखक - लेखिका, शिक्षक - शिक्षिका, छात्र - छात्रा, कवि - कवियत्री

आदि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनायें - पुल्लिंग से स्त्रीलिंग संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग परम्परा से होता आया है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं -

1. अकारान्त या आकारान्त पुल्लिंग संज्ञा में 'ई' प्रत्यय लगाकर -

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
पुत्र	पुत्री	गरम	गरमी
दास	दासी	चालाक	चालाकी
मामा	मामी	बीमार	बीमारी
घोड़ा	घोड़ी	अच्छा	अच्छी
बकरा	बकरी	नौकर	नौकरी

2. अकारान्त या आकारान्त पुल्लिंग संज्ञा में 'इया/आई/इमा' प्रत्यय लगाकर -

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
बेटा	बिटिया	बुरा	बुराई
खाट	खटिया	लम्बा	लम्बाई
कुत्ता	कुतिया	कठिन	कठिनाई

3. वर्ग, जाति और व्यवसाय का बोध कराने वाले शब्दों में इन/आइन/आनी, अनी प्रत्यय लगाकर -

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
सुनार	सुनारिन	लाला	ललाइन
लुहार	लुहारिन	मुंशी	मुंशीआइन
वकील	वकीलिन	मास्टर	मास्टरनी
नाई	नाइन	डाक्टर	डाक्टरनी

4. धातु में क/त/ती/इ/आई/आस/आवट/आहट प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं -

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
बैठना	बैठक	धोना	धुलाई
रँगना	रँगत	बोना	बुवाई
बचाना	बचत	आना	आहट
गिनना	गिनती	घबराना	घबराहट

5. कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं से पुल्लिंग संज्ञाएं भी बनती हैं जैसे - भैंस-भैंसा, ननद-नन्दोई, बहन-बहनोई, जीजी-जीजा आदि।

6. कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न (स्वतंत्र) होते हैं। जैसे - पिता-माता, भाई-बहन, विधुर-विधवा, बैल-गाय, फूफा-बुआ, बाप-माँ आदि।

अभ्यास प्रश्न - 3. नीचे लिखे शब्दों को छाँटकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शीर्षक के समक्ष लिखिए -

अकाल, अदालत, अवस्था, योजना, चमत्कार, गुलाब, अंतरिक्ष, मुद्रा, गुफा, कर्मी

पुल्लिंग -

स्त्रीलिंग -

अभ्यास प्रश्न - 4. निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग लिखिए -

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
विधुर	विद्वान
ठाकुर	खिलाड़ी
कवि	चंचल
माली	वर
जेठ	इन्द्र

10.3.2 वचन (Number)

हिन्दी में अंग्रजी की तरह दो वचन हैं - एकवचन (Singular Number) और बहुवचन (Plural Number)। एकवचन से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है और बहुवचन से एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। जैसे -

एकवचन - घोड़ा दौड़ रहा है। बच्चा खेल रहा है।

बहुवचन - घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं।

इन उदाहरणों में आपने देखा कि एकवचन से बहुवचन बनाने पर संज्ञा शब्द 'घोड़ा' और 'बच्चा' का रूपान्तरण होकर 'घोड़े' और 'बच्चे' हो गया है। संज्ञा शब्दों के वचन रूपान्तरण के साथ ही सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में भी रूपान्तरण हो जाता है।

एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम - एकवचन से बहुवचन बनाने के निम्नलिखित नियम हैं -

1. आकारान्त पुल्लिंग संज्ञाओं को एकारान्त कर देने पर बहुवचन बनता है। जैसे -

एकवचन - कपड़ा, बच्चा, ताजा

बहुवचन - कपड़े, बच्चे, ताजे

इस नियम का अपवाद भी है। कुछ अकारान्त पुल्लिंग संज्ञा शब्द बहुवचन में भी एक-से रहते हैं। ये संज्ञा शब्द प्रायः सम्बंध वाचक हैं। जैसे - मामा, चाचा, दादा, नाना, योद्धा, पिता आदि बहुवचन में भी एक से रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन बनाने पर नहीं बदलते। जैसे -

एकवचन - पेड़ पर उल्लू बैठा है। वह बड़ा दयालु है।

बहुवचन - पेड़ पर उल्लू बैठे हैं। वे बड़े दयालु हैं।

2. अकारान्त और आकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में 'एँ' लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे -

एकवचन - कथा, कामना, गाय, सड़क, रात, लता, बहन

बहुवचन - कथाएँ, कामनाएँ, गायें, सड़कें, रातें, लताएँ, बहनें

3. इकारान्त या ईकारान्त संज्ञा शब्दों के 'इ' या 'ई' को 'इयाँ' करने पर बहुवचन बनता है। देखें -

एकवचन - कुर्सी, नीति, नारी, तिथि, बकरी, रीति

बहुवचन - कुर्सियाँ, नीतियाँ, नारियाँ, तिथियाँ, बकरियाँ, रीतियाँ

4. जिन स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अन्त में 'या' आता है, तो 'या' के ऊपर चन्द्रबिन्दु लगाने पर बहुवचन बनता है। जैसे -

एकवचन - डिबिया, गुड़िया, चिड़िया, खटिया

बहुवचन - डिबियाँ, गुड़ियाँ, चिड़ियाँ, खटियाँ

5. उकारान्त या ऊकारान्त संज्ञा शब्दों में भी 'एँ' लगाकर बहुवचन बनता है किन्तु यदि शब्द का अन्तिम स्वर 'ऊ' हुआ तो उसे ह्रस्व 'उ' करना पड़ता है। जैसे - वस्तु का बहुवचन वस्तुएँ होगा किन्तु 'बहू' के अन्तिम 'ऊ' स्वर को ह्रस्व कर 'बहुएँ' बहुवचन बनेगा।

6. संज्ञा शब्दों (पुल्लिंग या स्त्रीलिंग) के साथ लोग, जन, वृन्द, गण आदि लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे -

एकवचन - पाठक, आर्य, भक्त, गुरु, मुनि

बहुवचन - पाठकगण, आर्य लोग, भक्तजन, गुरुजन, मुनिवृन्द

7. शब्दों की पुनरुक्ति द्वारा भी बहुवचन का बोध होता है। इन वाक्यों को देखें -

मैंने घर का कोना-कोना देख डाला।

बारात में कौन-कौन आया था।

वह वोट माँगने गाँव-गाँव गया।

यहाँ से जो-जो गया, वापस नहीं आया।

आपने एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम देखे। इन नियमों के अपवाद भी हैं। अनेक संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता अथवा जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। वाक्य रचना के संदर्भ में इन अपवादों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

1. आदर सूचक संज्ञाएं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे - प्रधानमंत्री कल नैनीताल आयेगे। पिताजी अभी तक नहीं आये। इन वाक्यों में प्रधानमंत्री और पिताजी आदरणीय व्यक्ति हैं। अतः इनके लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है।

2. 'प्रत्येक' 'हरएक' का प्रयोग सदा एकवचन में होता है। जैसे - प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। हर एक वृक्ष फलदायी नहीं होता।

3. भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है। इनका बहुवचन नहीं होता। किन्तु जहाँ उनके साथ संख्या का बोध हो, वहाँ वे बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। इन वाक्यों को ध्यान से देखें -

उसकी सज्जनता प्रशंसनीय है। इस व्यक्ति में अनेक खूबियाँ हैं।

4. द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द भी एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे - हीरा, सोना, चाँदी, धन, तेल, लोहा आदि।

5. प्राण, दर्शन, आँसू, दाम, ओठ, हस्ताक्षर, अक्षत आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। इन वाक्यों को देखें -

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| उसके प्राण निकल गये | मेरा सौभाग्य कि आपके दर्शन
हुए। |
| मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। | उसकी आँखों में आँसू आ गए। |
| लड़की के ओठ सूखे थे। | इस कमीज के क्या दाम हैं। |
6. भीड़, जनता, प्रजा जैसे बहुवचन बोधक संज्ञा शब्द एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे -
वहाँ बहुत भीड़ थी। जनता में गहरा आक्रोश था।
- अभ्यास प्रश्न -5.** निम्नलिखित एकवचन शब्दों के आगे उनका बहुवचन लिखिए -

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
आदत	बच्चा
रात	गली
लता	घर
पाठक	आप
नीति	तिथि

10.3.3 कारक (Case) और विभक्ति / परसर्ग (Pre-Position)

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका (संज्ञा या सर्वनाम का) क्रिया से सम्बंध व्यक्त हो, उसे 'कारक' कहते हैं। स्पष्ट है कि कारक का मुख्य कार्य वाक्य के अन्य शब्दों - संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया से सम्बंध को सूचित करना है। जैसे - 'राम रावण बाण मार दिया।' इस वाक्य को पढ़कर कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता क्योंकि राम, रावण, बाण का क्रिया 'मार दिया' से कोई सम्बंध ही नहीं सूचित होता। अब इस वाक्य को इस रूप में पढ़ें - 'राम ने रावण को बाण से मार दिया।' इसमें - ने, को, से वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है और संज्ञा राम, रावण, बाण का क्रिया 'मार दिया' से सम्बंध भी सूचित होता है। अतः वाक्य रचना में कारक और विभक्ति (कारक चिह्न) का महत्व स्पष्ट है। संस्कृत में कारकीय रूपों की रचना के लिए जो सम्बंध तत्व जोड़े जाते थे, विभक्ति कहलाते थे। हिन्दी में इन्हें विभक्ति के साथ ही कारक-चिह्न या परसर्ग कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी ने विभक्ति के स्थान पर 'कारक चिह्न' कहना अधिक उपयुक्त माना है।

कारक के भेद - हिन्दी में आठ कारक हैं। इन कारकों को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिह्न लगाये जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। विभक्ति को कुछ विद्वानों ने परसर्ग भी कहा है। अन्ततः विभक्ति, परसर्ग, कारक चिह्न - तीनों एक ही हैं। यहाँ हमने कारक चिह्नों के लिए परम्परा से प्रसिद्ध विभक्ति शब्द का ही प्रयोग किया है। कारक और उसकी विभक्तियाँ इस प्रकार हैं -

कारक	विभक्ति
1. कर्ता (Nominative)	ने
2. कर्म (Objective)	को
3. करण (Instrumental)	से

4. सम्प्रदान (Dative)	को, के, लिए
5. अपादान (Nominative)	से
6. सम्बंध (Genitive)	की, को, के, रा, रे, री
7. अधिकरण (Locative)	में, पर
8. सम्बोधन (Addressive)	हे, अहो, अरे, अजी

विभक्ति की विशेषता - हिन्दी में विभक्ति दो प्रकार की होती हैं - संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियाँ संश्लिष्ट होती हैं अर्थात् वे सर्वनाम के साथ मिली हुई होती हैं। जैसे - तुम्हें, इन्हें, तुमको, इनको, में 'को' और तुम्हारा, आपका में 'का' विभक्ति संश्लिष्ट है।

1. संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं अर्थात् वे संज्ञा से अलग होती हैं। जैसे - राम को, सीता ने, रावण का, मेज पर, घर में आदि।

2. विभक्तियों का प्रयोग मूलतः संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है।

3. विभक्तियों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। इनका कार्य शब्दों का परस्पर सम्बंध दिखाना होता है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने पर ही विभक्तियाँ सार्थक होती हैं।

यहाँ हम कारक और उसकी विभक्ति के प्रयोग के बारे में उदाहरण सहित चर्चा करेंगे।

कर्ताकारक - कर्ता (शब्द) वह है जिससे क्रिया या कार्य करने का बोध हो। इसकी विभक्ति 'ने' है। जैसे - श्याम ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में कर्ता कारक 'श्याम' है जो संज्ञा शब्द है। 'ने' विभक्ति संज्ञा श्याम, पुस्तक, का सम्बंध क्रिया 'पढ़ी' से सूचित करती है।

कर्मकारक - क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति 'को' है। प्रायः बुलाना, सुलाना, पुकारना, जगाना, भगाना आदि क्रियाओं के कर्मों के साथ 'को' विभक्ति लगती है। इन वाक्यों पर ध्यान दें -

माँ ने बच्चे को सुलाया।

शेर बकरी को खा गया।

लोगों ने चोर को मारा।

बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है।

किन्तु निम्नलिखित वाक्यों में 'को' का प्रयोग अशुद्ध है -

राम ने रोटी को खाया।(रोटी खायी)

उसने पगड़ी को पहना।(पगड़ी पहनी)

करणकारक - इसमें क्रिया/ कार्य में सहायक हाने वाले साधन को बोध होता है। इसकी विभक्ति 'से' है। 'से' के अतिरिक्त 'के द्वारा', 'जरिये', 'के साथ', 'के बिना' भी साधन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इन वाक्यों में करणकारक विभक्ति को देखें -

मुझसे ये काम नहीं होगा।

सिपाही ने लाठी से चोर को मारा।

आपके जरिये यह काम हो सका।

मेरे द्वारा नींव रखी गयी।

'से' करण और अपादान दोनों कारकों की विभक्ति है किन्तु करणकारक में 'से' साधन का बोध करता है तो अपादान में अलगाव का। इन वाक्यों से इस अन्तर को स्पष्ट किया जा सकता है।

वह साइकिल से बाजार गया।

(करण कारक)

पेड़ से फल गिरा।

(अपादान कारक)

सम्प्रदान कारक - जिसके लिए कुछ किया जाय अथवा जिसको कुछ दिया जाय - इसका बोध कराने वाले वाक्य सम्प्रदान कारक के होते हैं। इसकी विभक्ति को, के लिए है। इसके अतिरिक्त 'के हित', 'के वास्ते', 'के निमित्त' आदि प्रत्यय भी सम्प्रदान कारक के अन्तर्गत आते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त सम्प्रदान कारक विभक्ति चिह्नों पर ध्यान दें -

पिता ने बेटे को रुपये दिए।

उसने छात्रों को मिठाई खिलाई।

गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है।

उसने मेरे लिए अंगूठी खरीदी।

भगत सिंह देश के हित शहीद हुए।

माँ बेटे के लिए कपड़े लाई।

अपादान कारक - इसमें संज्ञा से किसी वस्तु का अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त होता है। इसकी विभक्ति 'से' किसी वस्तु के अलग होने का बोध कराती है। जैसे -

पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं।

नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं।

वह मुझसे योग्य नहीं है।

बंदर छत से कूद पड़ा।

सम्बन्ध कारक - जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध को बोध होता है। इसकी विभक्ति 'का' है जो वचन-लिंग के अनुसार 'के' और 'की' रूप में प्रयुक्त होती है। कभी-कभी सम्बन्धकारक 'वाला' प्रत्यय भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें -

उसका पुत्र मेधावी है।

प्रेमचन्द के उपन्यास अच्छे हैं।

रावण ने विभीषण के लात मारी।

श्याम की गणित तेज है।

मुझे चाँदी वाली पेन दो।

मेरे घर आना।

अधिकरण कारक - इसमें क्रिया के आधार का बोध होता है। इसकी विभक्ति 'में', 'पर' है। इन वाक्यों से समझे -

पेड़ पर बन्दर बैठा है।

तुम्हारी पुस्तक मेज पर है।

आजकल वह घर पर ही है।

घड़े में पानी नहीं है।

सम्बोधन कारक - इसमें सम्बोधन अर्थात् किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव व्यक्त होता है।

इसकी कोई विभक्ति नहीं होती बल्कि अजी, अरे, अहो प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे -

अजी सुनते हो।

हे भगवान ! मेरे बेटे की रक्षा करो।

अरे ! तुम कहाँ जा रहे हो?

ए लड़के! इधर आओ।

भोलानाथ तिवारी ने कुछ अन्य शब्दों की भी सूची दी है जो कारक चिह्न न होते हुए भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे -

अंदर

-

घर के अंदर कौन है? मेरे अंदर कोई चोर नहीं है।

आगे

-

एक तमाशा मेरे आगे।

ओर

-

अपनी ओर से मैंने कुछ नहीं कहा।

खातिर

-

मेरी खातिर, ये काम करो।

नीचे

-

अंगूठी मेज के नीचे पड़ी थी।

पास	-	उसके पास कुछ नहीं है।
पीछे	-	घर के पीछे सुन्दर बगीचा है।
बाहर	-	कमरे के बाहर कितना गंदा है।
बीच	-	घर के बीच पूजा घर है।
भीतर	-	घर के भीतर बिल्कुल अंधेरा था।
मारे	-	चिंता के मारे उसका बुरा हाल था।
वास्ते	-	खुदा के वास्ते, मुझ पर रहम करो।
साथ	-	तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ।

अभ्यास प्रश्न -6. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उनके कारक बताइए -

पेड़ पर चिड़िया बैठी है।

.....

गुरु शिष्य को ज्ञान देता है।

.....

प्रेमचंद की कहानियाँ श्रेष्ठ हैं।

.....

10.4 सर्वनाम (Pronoun)

सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर सम्बन्ध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। दूसरे शब्दों में, सर्व (सब) नामों (संज्ञाओं) के बदले जो शब्द प्रयोग में आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे - मैं, तू, यह, वह। कामताप्रसाद गुरु के अनुसार, 'सर्वनाम में एक विशेष विलक्षणता है जो संज्ञा में नहीं पायी जाती। संज्ञा में सदैव उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह (संज्ञा) नाम है परन्तु सर्वनाम से पूर्वापर सम्बन्ध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। 'लड़का' संज्ञा से 'लड़के' का ही बोध होता है, घर, सड़क आदि का बोध नहीं हो सकता किन्तु 'वह' कहने से पूर्वापर सम्बन्ध 'वह' लड़का, घर, सड़क आदि किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है।'

10.4.1 सर्वनाम के भेद

हिन्दी में कुल 11 सर्वनाम हैं - मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनामों में छह भेद हैं -

1. पुरुषवाचक
2. निजवाचक
3. निश्चयवाचक
4. अनिश्चयवाचक सर्वनाम
5. सम्बन्धवाचक सर्वनाम
6. प्रश्नवाचक सर्वनाम

क. पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal Pronoun) - पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के बदले आते हैं। इसकी तीन कोटियाँ हैं - प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। जैसे -

उत्तम/प्रथम पुरुष	-	मैं, हम
मध्यम पुरुष	-	तू, तुम, आप
अन्य पुरुष	-	वह, वे, यह, ये

ख. निजवाचक सर्वनाम (Reflective Pronoun) - निजवाचक सर्वनाम का रूप 'आप' है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 'आप' है किन्तु दोनों के अर्थ और प्रयोग में अन्तर है। पुरुषवाचक 'आप' बहुवचन में आदर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे - आप आए, हमारा सौभाग्य है। किन्तु निजवाचक 'आप' से 'स्वयं' या 'निजता' का बोध होता है। जैसे - आप भला तो जग भला। यह काम आप ही हो गया।

निजवाचक सर्वनाम 'आप' का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है -

1. 'आप' के साथ 'ही' जोड़कर - मैं तो आप ही आ रहा था।
2. 'आप' के साथ 'अपने' जोड़कर - कोई अपने-आप नहीं सुधरता।
3. सर्वसाधारण के रूप में - अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए।
4. 'आप' के साथ 'स्वयं' 'स्वतः' या 'खुद' जोड़कर - आप स्वयं समझ जायेंगे।
आप खुद आकर देख लीजिए।
5. 'आप' के साथ 'आप से आप' जोड़कर - मेरा हृदय आप से आप उमड़ पड़ा।

ग. निश्चयवाचक सर्वनाम (Definite Pronoun) - जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे - यह, वह, ये, वो। इनके प्रयोग के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं -

यह किसका कोट है ?	(निकट की वस्तु के लिए)
वह कौन रो रहा है ?	(दूर की वस्तु के लिए)

घ. अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinite Pronoun) - जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम केवल दो हैं - 'कोई' और 'कुछ'। 'कोई' पुरुष के लिए और 'कुछ' पदार्थ या उसके गुण धर्म के लिए आता है। 'कोई' का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में होता है लेकिन 'कुछ' का प्रयोग एकवचन में होता है। नीचे दिए गए उदाहरणों में इसके प्रयोग के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है -

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. देखो, दरवाजे पर कोई खड़ा है। | 7. दाल में कुछ मिला है। |
| 2. आज कोई न कोई अवश्य आयेगा। | 8. तुमने कुछ न कुछ तो किया होगा। |
| 3. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। | 9. एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ। |
| 4. कोई दूसरा होता तो मैं देख लेता। | 10. मैं समझता सब कुछ हूँ। |

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 5. कोई एक ने यह बात कही थी। | 11. मेरा हाल कुछ न पूछो। |
| 6. यह काम हर कोई नहीं कर सकता। | 12. खीर कुछ फीकी है। |

ड. सम्बंधवाचक सर्वनाम (Relative Pronoun) - जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से सम्बंध का बोध हो उसे सम्बंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे - जो,सो। 'जो'के साथ 'वह' या 'सो' का प्रयोग प्रायः होता है। कुछ उदाहरणों से सम्बंधवाचक सर्वनाम के प्रयोग के विभिन्न रूपों को समझा जा सकता है -

1. जो बोले सो निहाल
2. क्या हुआ जो इस बार हार गये।
3. किसी में इतना साहस नहीं जो उसका साहस करे।
4. वह कौन-सा काम है जो तुम नहीं कर सकते।

च. प्रश्नवाचक सर्वनाम (Introgative Pronoun) - प्राणी या वस्तु के संदर्भ में प्रश्न करने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये दो हैं - कौन और क्या। 'कौन' व्यक्तियों के लिए और 'क्या' वस्तु या उसके गुण धर्म के लिए प्रयुक्त होता है। इन उदाहरणों में 'कौन' और 'क्या' के प्रयोग के विभिन्न रूपों पर ध्यान दें -

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. दरवाजे पर कौन खड़ा है। | 6. क्या गाड़ी चली गयी ? |
| 2. बारात में कौन-कौन आया था। | 7. मोहन वहाँ क्या कर रहा है ? |
| 3. मुझे रोकने वाले तुम कौन हो। | 8. देखते-देखते क्या से क्या हो गया ? |
| 4. इसमें नाराज होने वाली कौन-सी बात है ? | 9. आदमी क्या है, राक्षस है। |
| 5. मैं किस-किस से पूछूँ ? | 10. मैं तुम्हें क्या-क्या बताऊँ ? |

10.4.2 सर्वनाम प्रयोग के प्रमुख नियम

1. सर्वनाम विकारी शब्द है क्योंकि इसमें पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से रूपान्तरण होता है। जैसे - वह (एकवचन), वे (बहुवचन)। सर्वनाम में लिंग-भेद के कारण रूपान्तरण नहीं होता। जैसे - वह खाता है। (पुल्लिंग), वह खाती है। (स्त्रीलिंग)

2. सर्वनाम में केवल सात कारक होते हैं। सम्बोधन कारक नहीं होता। कारक की विभक्तियाँ लगने से सर्वनाम में रूपान्तरण होता है। जैसे -

- मैं - मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा। तुम - तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे।
 हम - हमें, हमारा, हमारे। वह - उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होने।
 यह - इसने, इसे, इससे, इन्होंने, इन्हें, इनको, इससे।
 कौन - किसने, किसको, किसे।

अभ्यास प्रश्न - 7. निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध सर्वनामों को शुद्ध करके लिखिए -
 हमें हमारे देश पर गर्व है।

.....मुझे

डाँटने वाले तुम क्या हो ?

गुरु जी, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ

कोई से यह बात मत कहना।

मेरे को काम करने दो।

10.5 विशेषण

संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता (गुण-दोष, रूप-रंग, आकार-प्रकार) आदि बताने वाले शब्द 'विशेषण' कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे 'विशेष्य' कहते हैं। जैसे -

अच्छा लड़का।

काली गाय।

यहाँ 'अच्छा' और 'काली' विशेषण हैं और 'लड़का' 'गाय' विशेष्य। वाक्यों में विशेषण के भी विशेषण प्रयोग करने का प्रचलन बढ़ा है। जैसे -

वह बहुत सुन्दर लड़की है।

यहाँ 'सुन्दर' विशेषण है और 'बहुत' विशेषण का भी विशेषण। विशेषण के भी विशेषण को 'प्रविशेषण' कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु ने इन्हें 'अन्तर्विशेषण' कहा है।

10.5.1 विशेषण के भेद

विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं -

1. गुणवाचक विशेषण
2. संख्यावाचक विशेषण
3. परिमाणवाचक विशेषण
4. सार्वनामिक विशेषण

1. गुणवाचक विशेषण (Adjective of Quality) - गुणवाचक विशेषण से संज्ञा के रूप-रंग, आकार-प्रकार, समय-स्थान, गुण-दोष आदि का बोध होता है। विशेषण में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -

काल - नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, प्राचीन, वर्तमान, भविष्य, आगामी, टिकाऊ आदि।

स्थान - ऊँचा, नीचा, गहरा, भीतरी, स्थानीय, उजड़ा, दायँ, बायाँ, देशीय, क्षेत्रीय, पंजाबी, भारतीय आदि।

आकार - गोल, सुडौल, समान, नुकीला, लम्बा, चौड़ा, तिरछा, सीधा, सँकरा आदि।

रंग - लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, सुनहरी, धुँधला, चमकीला, फीका आदि।

दशा - दुबला, पतला, मोटा, भारी, सूखा, गीला, पिघला, गरीब, रोगी, पालतू, उद्यमी आदि।

गुण - भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, दुष्ट, सीधा, शांत आदि।

गुणवाचक विशेषण के साथ 'सा' सादृश्यवाचक शब्दहीनता के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे - छोटा-सा, पीला-सा, बड़ा-सा आदि।

2. संख्यावाचक विशेषण (Adjective of Number) - संज्ञा की संख्या बताने वाले विशेषण 'संख्यावाचक विशेषण' कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं -

निश्चित संख्यावाचक - दो लड़के, तीन लड़कियाँ, सौ रुपये।

अनिश्चित संख्यावाचक - कुछ लड़के, अनेक लड़कियाँ, थोड़े रुपये।

निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी पाँच भेद हैं -

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| 1. गणनावाचक | - | एक, दो, तीन, चार |
| 2. क्रमवाचक | - | पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा |
| 3. समुदायवाचक | - | तीनों, चारों, पाँचों |
| 4. आवृत्तिवाचक | - | दूना, तिगुना, चौगुना |
| 5. प्रत्येकवाचक | - | हर, प्रत्येक |

3. परिमाणवाचक विशेषण (Adjective of Quality) - वस्तु की मात्रा या माप-तौल बताने वाले विशेषण 'परिमाणवाचक विशेषण' कहलाते हैं। जैसे - पूरा दूध, कम पानी, बहुत सोना, थोड़ी चाँदी, सारा जेवर, कितनी पुस्तकें, जितनी चाय, उतनी चीनी।

4. सार्वनामिक विशेषण (Pronominal Adjective) - सर्वनाम से बनने वाले विशेषण 'सार्वनामिक विशेषण' कहलाते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के पहले होता है। जैसे - ऐसी लड़की, वैसा लड़का, यह कलम, वह पुस्तक, वैसी गाड़ी, ऐसा चालक, जैसा नाम, वैसा काम, मेरा घर, उसकी खिड़की, ऐसे-वैसे लोग, ऐसी-वैसी बातें।

विशेषण के एक अन्य रूप तुलनात्मक विशेषण का उल्लेख भी यहाँ प्रासंगिक होगा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। इसमें 'से', 'अपेक्षा', 'सामने', 'सबसे', 'सबमें' आदि विशेषणों की तुलना की जाती है। इन वाक्यों को देखें -

यह सबसे अच्छा फूल है।	उसके सामने तुम कुछ भी नहीं।
फूल की अपेक्षा काँटे बहुत हैं।	तुम्हारा भाई तुमसे बड़कर है।
बाप से बेटा अधिक लम्बा है।	वह तुमसे कहीं अच्छा है।

10.5.2 विशेषण प्रयोग के प्रमुख नियम

1. विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूप, लिंग-वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते जैसाकि विकारी विशेषणों में होता है। अविकारी विशेषण अपने मूल रूप में बने रहते हैं। लाल, सुन्दर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल - अविकारी विशेषण हैं। लिंग-वचन के अनुसार इनमें रूप परिवर्तित नहीं होता। जैसे - लड़का कितना चंचल है। लड़की कितनी चंचल है।

2. संज्ञा में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाये जाते हैं। जैसे -

धर्म + इक = धार्मिक

जाति + इय = जातीय

धन + वान = धनवान

दान + इ = दानी

चमक + ईला = चमकीला

अभ्यास प्रश्न 8. नीचे दिए गये वाक्यों में विशेषणों को शुद्ध करके लिखिए -

1. आज मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है।
2. 2. कृष्ण के अनेक नाम हैं।
3. 3. मैं दूसरे उत्साह से पढ़ाई में जुट गया।
4. 4. अपना कमाई सब खाते हैं।
5. 5. उसका बचपन गरीब में बीता।

10.6 क्रिया (Verb)

क्रिया का सामान्य अर्थ है - काम करना या होना। अतः वाक्य में जिस शब्द से कार्य करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे - सोना, जागना, खाना, हँसना, रोना, दौड़ना आदि। क्रिया विकारी शब्द है क्योंकि इसमें लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार रूपान्तरण होता है। जैसे - पढ़ना है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि। सामान्यतः क्रिया धातु से बनती है। मूल धातु में 'ना' प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे - चल (धातु) + ना = चलना। मार (धातु) + ना = मारना। धातु क्या है? यह जानने के लिए सामान्य क्रिया से 'ना' हटा देने पर जो शब्द रह जाता है वही धातु है। जैसे पढ़ना (क्रिया) - ना = पढ़। इसके अतिरिक्त संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया बनती है। जैसे - काम (संज्ञा) + आना = कमाना। चमक (विशेषण) + आना = चमकाना। इन शब्दों को वाक्यों में देखें - वह कमा रहा है। सुनार आभूषण चमका रहा है। कुछ धातुओं का प्रयोग शुद्ध भाववाचक संज्ञा की तरह होता है। इन वाक्यों को देखें -

मुझे बहुत मार पड़ी।

यह बात उसकी समझ में नहीं आती।

यहाँ 'मार' और 'समझ' धातु है जो भाववाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुई है। इनमें यदि 'ना' जोड़ दें तो इनका प्रयोग क्रिया की तरह होता है। जैसे - वह मुझे बहुत मारता है। वह मेरी बात नहीं समझता। इस तरह अब आप ये जान गये होंगे कि धातु में 'ना' प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है। साथ ही संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया बनती है। अब हम क्रिया के भेदों पर विचार करेंगे।

10.6.1 क्रिया के भेद

क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं -

1. सकर्मक क्रिया
2. अकर्मक क्रिया
3. द्विकर्मक क्रिया
4. संयुक्त क्रिया
5. सहायक क्रिया
6. प्रेरणार्थक क्रिया
7. नामबोधक क्रिया
8. पूर्ण कालिक क्रिया

1. सकर्मक क्रिया - सकर्मक अर्थात् कर्म सहित। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म जुड़ा हो। कर्म के बिना उसका अर्थ पूरा नहीं होता क्योंकि सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे - उसने पेड़ काटा। माँ ने बेटी को मारा। इन वाक्यों में 'पेड़' और 'बेटी' कर्म हैं। यदि इन्हें (कर्म) हटा दिया जाय तो यह नहीं स्पष्ट होगा कि 'उसने' क्या काटा अथवा 'माँ' ने किसको मारा। कभी - कभी सकर्मक क्रिया में कर्म छिपा भी रहता है अर्थात् उसके होने की सम्भावना रहती है। इन वाक्यों को देखें -

वह गाता है।

वह पढ़ता है।

2. अकर्मक क्रिया - अकर्मक अर्थात् बिना कर्म के। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया का सीधा सम्बंध कर्ता से है। इसका फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे -

वह हँसता है।

बच्चा रोता है।

रमेश भागता है।

इन वाक्यों में 'हँसता है', 'रोता है', 'भागता है' अकर्मक क्रिया है क्योंकि इनका फल क्रमशः वह, बच्चा, रमेश पर पड़ता है। निम्नलिखित क्रियाएं सदैव अकर्मक रहती हैं -

जातिबोधक क्रियाएं - आना, जाना, घूमना, दौड़ना, उड़ना आदि।

अवस्थाबोधक क्रियाएं - होना, रहना, सोना, आदि।

3. द्विकर्मक क्रिया - द्वि + कर्मक अर्थात् दो कर्म वाली क्रिया। कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो-दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे -

शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा।

(दो कर्म - छात्र, प्रश्न)

माँ बच्चे को दूध पिलाती है।

(दो कर्म - बच्चे, दूध)

4. संयुक्त क्रिया - दो क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया की विशेषता यह है कि उसमें पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे - मैं चल सकता हूँ। इस वाक्य में 'चल' प्रधान क्रिया है और 'सकना' सहायक क्रिया जो प्रधान क्रिया 'चल' की विशेषता बताती है। अन्य उदाहरण भी देखें -

श्रद्धा रोने लगी।

सिद्धार्थ घर आ गया।

उसने फूल तोड़ लिया।

सिपाही ने चोर को छोड़ दिया।

संयुक्त क्रियाएं इन क्रियाओं के मेल से बनती हैं - आना, जाना, होना, लेना, देना, पाना, उठना, बैठना, करना, चाहना, चुकना, डालना, सकना, बनना, पड़ना, रहना, चलना आदि।

संयुक्त क्रिया के भेद - अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं -

1. आरम्भबोधक - जहाँ कार्य आरम्भ होने का बोध हो। जैसे -

पानी बरसने लगा।

वे खेलने लगे।

मैं पढ़ने लगा।

वह सोने लगी।

2. समाप्तिबोधक - जहाँ कार्य समाप्त होने का बोध हो। जैसे -

वह खा चुका है।

वह पढ़ चुकी है।

3. अवकाश बोधक - जहाँ कार्य को सम्पन्न करने में अन्तराल (अवकाश) का बोध हो। जैसे -

- माला सो न पायी। वह जाने न पाया।
4. **अनुमतिबोधक** - जहाँ कार्य करने की अनुमति दिये जाने का बोध हो। जैसे -
उसे घर जाने दो। मुझे अपनी बात कहने दो।
5. **आवश्यकताबोधक** - जहाँ कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो। जैसे -
तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसे तुरन्त जाना पड़ा।
6. **शक्तिबोधक** - जहाँ कार्य करने की शक्ति या सामर्थ्य का बोध हो। जैसे -
अब वह चल सकता है। मैं पढ़ सकता हूँ।
7. **निश्चयबोधक** - जहाँ कार्य व्यापार की निश्चयता का बोध हो। जैसे -
वह पेड़ से गिर पड़ा। अब उसकी किताब दे ही दो।
8. **इच्छाबोधक** - जहाँ कार्य करने की इच्छा व्यक्त हो। जैसे -
मैं अब सोना चाहता हूँ। बेटा घर आना चाहता है।
9. **अभ्यासबोधक** - जहाँ कार्य के करने का अभ्यास का बोध हो। जैसे -
वह हमेशा पढ़ा करती है। वह गाया करती है।
10. **नित्यताबोधक** - जहाँ कार्य के चालू रहने का बोध हो। जैसे -
वर्षा हो रही है। वह रात भर पढ़ती रही।
11. **आकस्मिकताबोधक** - जहाँ अचानक कार्य होने का बोध हो। जैसे -
वह एकाएक रो उठी। मैं अचानक उठ बैठा।
वह बेटे को मार बैठा। वह हँस पड़ी।
12. **पुनरुक्त संयुक्त क्रिया** - जहाँ समान वर्ग के दो कार्यों का एक साथ बोध हो। जैसे - वह यहाँ आया-जाया करता है। आपस में मिलते-जुलते रहो। कुछ खाना-पीना हो जाय।

5. **सहायक क्रिया** - सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। एक से अधिक सहायक क्रियाएँ भी प्रयुक्त होती हैं। जैसे - मैंने पढ़ा था। तुम सोये हुए थे। इन वाक्यों में 'पढ़ना' और 'सोना' मुख्य क्रिया हैं। शेष 'था', 'हुए थे' सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करती है।

6. **प्रेरणार्थक क्रिया** - जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता दूसरों की प्रेरणा या सहायता लेता अथवा दूसरों को देता है - ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे - मैंने नौकर से पेड़ कटवाया। इस वाक्य में 'कटवाया' प्रेरणार्थक क्रिया है क्योंकि कार्य कर्ता (मैंने) द्वारा नहीं 'नौकर' द्वारा किया गया है।

7. **नामबोधक क्रिया** - संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़कर बनने वाली क्रिया नामबोधक कहलाती है। उदाहरण पर ध्यान दें -

भस्म (संज्ञा) + करना (क्रिया) - भस्मकरना

निराश (विशेषण) + होना (क्रिया) - निराश होना

इन वाक्यों में नामबोधक क्रिया का शुद्ध प्रयोग देखें -

उसने मकान हथिया लिया।

सभा विसर्जित हो गयी।

नामबोधक क्रिया को संयुक्त क्रिया नहीं माना जा सकता। दोनों में पर्याप्त अन्तर है। नामबोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण में क्रिया के संयोग से बनती है जबकि संयुक्त क्रिया में केवल दो क्रियाओं का ही संयोग होता है।

8. पूर्वकालिक क्रिया - इसमें प्रथम कार्य की समाप्ति का बोध होता है। इसमें कर/करके/पर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे -

मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा।

सूर्योदय होने पर वह घर आया।

यह चमत्कार देखकर मैं दंग रह गया।

नौकर काम करके चला गया।

कभी-कभी पुनरुक्ति में भी पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे -

उसने रो-रो कर सारी बात कही।

वह खोज-खोज कर हार गया।

पूर्वकालिक क्रियाएं विशेषण का भी काम करती हैं क्योंकि ये क्रिया की विशेषता (कार्य करने की रीति) बताती है। जैसे -

वह मुझे आँखें फाड़ कर देखता रहा।

उसने मुझसे हँसकर कहा।

पूर्वकालिक क्रिया से कार्य का कारण भी स्पष्ट होता है। जैसे -

रात होने पर सब लोग चले गये।

सूर्योदय होने पर अंधकार छंट गया।

अभ्यास प्रश्न 9. निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया बताइए -

1. सभा विसर्जित हो गई।
2. मैं उसे खोज-खोज कर हार गया।
3. माँ बेटे को खाना खिलाती है।
4. वह अब चल सकता है।
5. वह खा चुका है।

10.6.2 काल (Tense)

यह तो आप पढ़ ही चुके हैं कि जिस शब्द से काम करने का बोध होता है, उसे 'क्रिया' कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के करने या उसके होने का कोई न कोई समय अवश्य होता है। अतः हिन्दी व्याकरण में काल का सम्बंध क्रिया से है। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके काल व्यापार को बोध होता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के करने या होने में जो समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं।

काल के प्रमुख तीन भेद हैं -

1. वर्तमान काल
2. भूतकाल
3. भविष्यकाल

1. वर्तमान काल (Present Tense) - जहाँ क्रिया-व्यापार की निरंतरता (कार्य होने) को बोध हो, वहाँ वर्तमान काल होता है। जैसे -

वह खाता है।

कोयल काली होती है।

वह पढ़ती रहती है।

मैं पढ़ रहा हूँ।

इन वाक्यों में क्रिया का कार्य जारी है। अतः यहाँ वर्तमान काल है।

वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद हैं -

- I. सामान्य वर्तमान - क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाय, सामान्य वर्तमान कहलाता है। किसी निरन्तर सत्य, स्थाई रूप से होने वाला कार्य, काम करने की आदत या अभ्यास को व्यक्त करने वाले वाक्यों में भी सामान्य वर्तमान का ही बोध होता है। जैसे

वह खेलता है।	आप लोग कहाँ जाते हैं।
सूर्य पश्चिम में डूबता है।	वह पढ़ती रहती है।
- II. तात्कालिक वर्तमान - इसमें क्रिया के वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है। जैसे -

मैं गीता पढ़ रहा हूँ।	वह कालेज जा रहा है।
वह खाना खा रही है।	वे सब मैदान में टहल रहे हैं।
- III. संदिग्ध वर्तमान - इसमें क्रिया के होने में सन्देह का बोध होते हुए भी उसकी वर्तमानता में संदेह नहीं होता। जैसे -

वह खाता होगा।	वह पढ़ता होगा।
वह कालेज जा रहा होगा।	राम घर आ रहा होगा।
- IV. सम्भाव वर्तमान - इसमें वर्तमान में कार्य पूरा होने की सम्भावना का बोध होता है। जैसे -

वह पढ़ता हो तो उसे तंग मत करना वह खेलता हो तो उसे खेलने देना।

2. भूतकाल (Past Tense) - भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है अर्थात् भूतकाल बीते हुए समय में क्रिया के व्यापार के समाप्त होने का सूचक है। जैसे -

- | | |
|----------------------|----------------------|
| कमला घर आयी। | वह स्कूल गया था। |
| मैं खाना खा चुका था। | तुम कहाँ जा रहे थे ? |
- I. सामान्य भूत - इसमें बीते हुए समय का बोध होते हुए भी उस समय विशेष का पता नहीं चलता जिसमें कार्य समाप्त हुआ था। जैसे -

उसने पुस्तक पढ़ी।	मैंने खाना खाया।
वह घर गया।	सब लोग चले गये।
 - II. आसन्न भूत - इसमें कार्य के हाल ही में समाप्त होने का बोध होता है। जैसे -

वे सब अभी घर गये हैं।	मैंने उसे देखा है।
उसने आम खाया है।	वह आज ही मायके गयी है।
 - III. पूर्ण भूत - इसमें कार्य समाप्त हुए काफी समय का बोध होता है। जैसे -

मैं परसों घर गया था।	उसने यह बात कही थी।
उसने मुझे मारा था।	वह यहाँ आया था।
 - IV. अपूर्ण भूत - इसमें यह तो पता चलता है कि भूतकाल में कार्य हो रहा था किन्तु कार्य पूर्ण हुआ या नहीं, इसका बोध नहीं होता। जैसे -

- वे लोग बाजार जा रहे थे। वह सुनती आ रही थी।
वह काम करता आ रहा था। मोहन सो रहा था।
- V. संदिग्ध भूत - बीते हुए समय में जिस कार्य के करने या होने में संदेह हो, उसे 'संदिग्ध भूत' कहते हैं। जैसे -
तुमने पढ़ा होगा। वे लोग आ चुके होंगे।
माँ बाजार चली गयी होगी। बच्चे ने दूध पी लिया होगा।
- VI. हेतुहेतुमद् भूत - इसमें यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था पर हुआ नहीं। इस क्रिया के होने या करने में शर्त या कारण का बोध होता है। जैसे -
यदि वो पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। तुम आते तो मैं भी साथ चलता।
वर्षा होती तो गरमी कम हो जाती। वह आता तो मेरी मदद करता।

3. भविष्यत् काल (Future Tense) - आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं को भविष्यत् काल कहते हैं। जैसे -

वह कल पढ़ेगा। आज वर्षा होगी।
लता गाना गायेगी। रात को सम्मेलन होगा।

भविष्यत् काल के निम्नलिखित भेद हैं -

- I. सामान्य भविष्यत् - इसमें भविष्य में सामान्य रूप से क्रिया के होने का बोध होता है। सामान्य भविष्यत् में क्रिया के निश्चित रूप से होने का भाव होता है। जैसे -
इस वर्ष मेरी शादी होगी। अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा।
पिता जी कल लखनऊ जायेंगे। कल मैं कालेज नहीं जाऊँगा।
- II. सम्भाव्य भविष्यत् - इसमें क्रिया के भविष्य में होने या किये जाने की सम्भावना का बोध होता है। जैसे -
हो सकता है, वह कल आए। ईश्वर तुम्हे सद्बुद्धि दे।
शायद आल वर्षा हो। सम्भव है, वह बच जाये।
- III. हेतुहेतुमद् भविष्यत् - इसमें एक क्रिया का (भविष्य में) होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। जैसे -
वह आये तो मैं जाऊँ। वह गायेगी तो मैं नाचूँगा।

10.7 अव्यय

अव्यय का अर्थ है - शब्द के रूप में कोई व्यय या विकार (परिवर्तन) न होना। इसलिए 'अव्यय' को अविकारी शब्द कहा जाता है। 'अव्यय' वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। 'शब्दानुशासन' में कहा

गया है “जो सब लिंग में एक सा रहे और सभी विभक्तियों में तथा वचनों में रूपान्तरित न हो, वह ‘अव्यय’ है।”

अव्यय के मुख्यतः छह भेद माने गये हैं -

(1) **परिमाणवाचक** - इससे विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है। जैसे -

बहुत, अधिक, कम, खूब।

(2) **प्रश्नवाचक** - इस अव्यय से प्रश्न का बोध होता है। जैसे -

वह क्यों खेलता है। तुम क्या करते हो ?

(3) **विस्मयादि बोधक** - इस अव्यय से हर्ष, शो, आश्चर्य आदि मनोभाव व्यक्त होते हैं। जैसे -

हर्ष	-	वाह! वाह! शाबास ! अहा!
शोक	-	आह! ओहो!
आश्चर्य	-	ऐं, ए, ओहो, क्या !
अनुमोदन	-	ठीक! हाँ! अच्छा!
तिरस्कार	-	छिह! धिक्!
सम्बोधन	-	रे, अरे, अरी, री, भई

(4) **समुच्चय बोधक** - ये अव्यय शब्दों या वाक्यों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं।

(1) समानाधिकरण

(2) व्यधिकरण

समानाधिकरण समुच्चय बोधक - इसमें मुख्य वाक्य या एक ही प्रकार के शब्द जोड़े जाते हैं। इसके चार भेद हैं -

संयोजक	-	और, एवं, तथा
विभाजक	-	या, वा, अथवा, नहीं तो, चाहे, क्या-क्या, न-न
विरोधदर्शक	-	पर, परन्तु, किन्तु, लेकिन, वरन्, बल्कि
परिणामदर्शक	-	सो, इसलिए, अतः, अतएव

व्यधिकरण समुच्चय बोधक - इसके द्वारा मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। इसके चार भेद हैं -

कारणवाचक	-	क्योंकि, चूँकि, इसलिए, कि
उद्देश्यवाचक	-	कि, ताकि, जिससे, कि
संकेतवाचक	-	जो, तो, यदि, यद्यपि, तथापि, चाहे, पर
स्वरूपवाचक	-	कि, जो, अर्थात्, मानो

(5) **सम्बंध बोधक** - ये अव्यय विभक्ति के बाद आते हैं और विभक्ति के पहले आने वाली संज्ञा या सर्वनाम का सम्बंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं। अर्थ के अनुसार सम्बंधबोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं -

कालवाचक	-	आगे, पीछे, बाद, पहले
स्थानवाचक	-	आगे, पीछे, नीचे, ऊपर

दिशावाचक	-	ओर, तरफ, पार, आसपास
साधनवाचक	-	द्वारा, सहारे, जरिए, मारफत
हेतुवाचक	-	लिए, मारे, कारण, हेतु, वास्ते
विषयवाचक	-	विषय, नाम, नामे (लेखे)
व्यतिरेकवाचक	-	सिवा, अलावा, बगैर, रहित, अतिरिक्त
सादृश्यवाचक	-	समान, भाँति, तरह, अनुसार, बराबर
विरोधवाचक	-	विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध, उलटा
सहचरवाचक	-	साथ, संग, सहित, समेत
तुलनावाचक	-	अपेक्षा, सामने, आगे

(6) निपात - इस प्रकार के अव्ययों का कोई अर्थ नहीं होता किन्तु इनका प्रयोग किसी शब्द या वाक्य के अर्थ को विशेष बल प्रदान करता है। जैसे -

तो, सो, ही, भी, तक, सिर्फ, हाँ जी, जी आदि।

10.7.2 अव्यय और क्रिया विशेषण में अन्तर

प्रायः अव्यय को क्रिया विशेषण भी मान लिया जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय अवश्य है किन्तु प्रत्येक अव्यय क्रिया विशेषण नहीं माना जा सकता। अव्यय और क्रिया विशेषण में अन्तर है जैसाकि व्याकरणाचार्य पं.किशोरी दास बाजपेई कहते हैं - “जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करे, वे ही क्रिया विशेषण कहलाएंगे, सब नहीं।” अव्यय और क्रिया विशेषण दोनों ही अविकारी होते हैं क्योंकि लिंग, वचन या कारक की विभक्ति के कारण इनके रूप में कोई विकार नहीं आता। क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बतलाता है, अन्य शब्दों की नहीं पर अव्यय किसी विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है और प्रश्न करने, विस्मय का भाव प्रकट करने या शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने का भी कार्य करता है। इस प्रकार दोनों का कार्य और क्षेत्र बिलकुल भिन्न है।

क्रिया विशेषण - जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करे वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य तीन भेद होते हैं -

(1) कालवाचक - इसमें क्रिया अर्थात् कार्य होने के समय का बोध होता है। जैसे - अब, जब, कब, अबसे, कबसे, तब, तबसे, पहले, बाद आदि।

(2) स्थान या दिशावाचक - इससे क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध होता है। जैसे - यहाँ, वहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, इधर, उधर आदि।

(3) रीतिवाचक - इसमें क्रिया होने की रीति (ढंग) का बोध होता है। जैसे - कुछ, अधिक, धीरे-धीरे, ज्यों-त्यों, जैसे-तैसे, कैसे, रोते-रोते, दौड़ते-दौड़ते, मनसे, ध्यानपूर्वक आदि।
नोट - कुछ गुणवाचक विशेषण भी क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि वे क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे - अच्छा, मधुर, मीठा, साफ, उजला आदि।

10.7.3 अव्यय के शुद्ध प्रयोग

यहाँ अव्यय और क्रिया विशेषण से सम्बंधित वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इनको पढ़कर वाक्यों की अशुद्धियों पर ध्यान दें -

अशुद्ध प्रयोग	शुद्ध प्रयोग
वहाँ पर बहुत भारी भीड़ लगी थी।	वहाँ पर भीड़ लगी थी।
जीवन में उधर सुख है, इधर दुख।	जीवन में इधर सुख है, उधर दुख
ऋचा न पढ़ती है न दीपाली।	न ऋख पढ़ती है न दीपाली।
रोगी से उठा भी न जाता है।	रोगी से उठा भी नहीं जाता है।
बच्चा रोता-रोता घर आया।	बच्चा रोते-रोते घर आया।

अभ्यास प्रश्न 10 - अव्यय की दृष्टि से इन वाक्यों को शुद्ध करें।

1. वह धीरे-धीरे से काम करता है।
2. मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है।
3. देखते ही वो करोड़पति हो गया।
4. मैदान में बहुत लोग जमा थे।
5. वह क्यों इतना पढ़ती है।

10.8 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप सर्वप्रथम भाषा में व्याकरण की उपयोगिता को जान गए होंगे। साथ ही व्याकरण की विभिन्न इकाईयों यथा - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि की विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। इन इकाईयों से सम्बद्ध लिंग, वचन, कारक और विभक्ति, काल, अव्यय आदि का भी सोदाहरण परिचय भी आपको हो गया होगा। प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए प्रयोग सम्बंधी शुद्ध नियमों के अध्ययन से आप व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध भाषा लिखने व बोलने में पारंगत हो गए होंगे।

10.9 शब्दावली

मानक	-	सर्वस्वीकृत
व्युत्पत्ति	-	उत्पन्न
विकारी	-	रूप परिवर्तन वाला
द्रव्य	-	पदार्थ
कारक	-	संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से सम्बंध व्यक्त करने वाला
कारकीय	-	कारक से सम्बंधित
संश्लिष्ट	-	जुड़ा हुआ
विश्लिष्ट	-	अलग

काल	-	कार्य या क्रिया के समय का बोध कराने वाला
सर्वनाम	-	संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द
विशेषण	-	संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला
सार्वनामिक	-	सर्वनाम से बनने वाला
सकर्मक	-	कर्म का बोध कराने वाला
अकर्मक	-	बिना कर्म के
द्विकर्मक	-	दो-दो क्रिया वाला
पुनरुक्त	-	बार-बार
आकस्मिक	-	अचानक

10.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न - 1

जातिवाचक संज्ञा -	अध्यापक, कोमल, व्यापारी
द्रव्यवाचक संज्ञा -	सोना, चाँदी, तेल, कोयला
समूहवाचक संज्ञा -	सभा, गुच्छा, गिरोह
भाववाचक संज्ञा -	पौरुष, बुढ़ापा, मिठास
व्यक्तिवाचक संज्ञा-	गंगा, रामायण, महाभारत

अभ्यास प्रश्न - 2

शब्द	भाववाचक संज्ञा	शब्द	भाववाचक संज्ञा
विद्वान	विद्वता	स्वस्थ	स्वास्थ्य
पराया	परायापन	मधुर	माधुर्य
कंजूस	कंजूसी	वकील	वकालत
दुश्मन	दुश्मनी	पंडित	पांडित्य
सुन्दर	सौन्दर्य	भला	भलाई

अभ्यास प्रश्न - 3

पुल्लिंग	-	अकाल, चमत्कार, गुलाब, अंतरिक्ष, कर्म
स्त्रीलिंग	-	अदालत, अवस्था, योजना, मुद्रा, गुफा

अभ्यास प्रश्न - 4

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
विधुर	विधवा	कवि	कवयित्री
ठाकुर	ठकुराइन	माली	मालिन
विद्वान	विदुषी	जेठ	जेठानी

खिलाड़ी	खिलाड़िन	चंचल	चंचला
वर	वधु	इंद्र	इंद्राणी

अभ्यास प्रश्न - 5

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
आदत	आदतें	बच्चा	बच्चे
रात	रातें	गली	गलियाँ
लता	लताएं	घर	घरों
पाठक	पाठकगण	आप	आप लोग
नीति	नीतियाँ	तिथि	तिथियाँ

अभ्यास प्रश्न - 6

वाक्य	कारक
पेड़ पर चिड़िया बैठी है।	अधिकरण कारक
गुरु शिष्य को ज्ञान देता है।	सम्प्रदान कारक
प्रेमचन्द्र की कहानियाँ श्रेष्ठ हैं।	सम्बन्धकारक
वह रिक्शे से बाजार गया।	करणकारक
बच्चा छत से गिर पड़ा।	अपादान कारक

अभ्यास प्रश्न - 7

अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
हमें हमारे देश पर गर्व है।	हमें अपने देश पर गर्व है।
कोई से यह बात मत कहना।	किसी से यह बात मत कहना।
गुरु जी, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ।	गुरु जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ।
मेरे को काम करने दो।	मुझे काम करने दो।
मुझे डाँटने वाले तुम क्या हो ?	मुझे डाँटने वाले तुम कौन हो ?

अभ्यास प्रश्न - 8

आज मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है।	आयुष्मती
कृष्णा के अनेकों नाम हैं।	अनेक
मैं दूसरे उत्साह से पढ़ाई में जुट गया।	दुगने
अपना कमाई सब खाते हैं।	अपनी
उसका बचपन गरीब में बीता।	गरीबी

अभ्यास प्रश्न - 9

वाक्य	क्रिया
सभा विसर्जित हो गयी।	नाम बोधक
मैं उसे खोज-खोज कर हार गया।	पूर्वकालिक
माँ बेटे को खाना खिलाती है।	द्विकर्मक

वह अब चल सकता है।	संयुक्त
वह खा चुका है।	संयुक्त

अभ्यास प्रश्न - 10

वह धीरे-धीरे काम करता है।
मानसिक दासता सदा से चली आ रही है।
देखते ही देखते वह करोड़पति हो गया।
मैदान में लोग जमा थे।
वह क्यों इतना पढ़ती है।

10.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. कामता प्रसाद गुरू, हिन्दी व्याकरण, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद
2. रामचन्द्र वर्मा, अच्छी हिन्दी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद
3. डॉ वासुदेव नंदन प्रसाद, आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारती भवन, पटना
4. डॉ हरदेव बाहरी, हिन्दी उद्भव विकास और रूप, किताब महल, इलाहाबाद
5. डॉ बदरीनाथ कपूर, परिष्कृत हिन्दी व्याकरण, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ

10.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. अन्य व्याकरणिक इकाईयों से आप क्या समझते हैं ? सविस्तार सरूप विवेचन कीजिए .

इकाई 11 हिन्दी की शब्द सम्पदा

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 उद्देश्य
- 11.3 शब्द-स्रोत
 - 11.3.1 तत्सम
 - 11.3.2 तद्भव
 - 11.3.3 देशज
 - 11.3.4 विदेशी
- 11.4 व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द-भेद
- 11.5 शब्द-रचना
 - 11.5.1 उपसर्ग
 - 11.5.2 प्रत्यय
 - 11.5.3 समास
 - 11.5.4 द्विरुक्ति
- 11.6 संकर शब्द
- 11.7 शब्द-रूप और शब्द-प्रयोग
- 11.8 सारांश
- 11.9 शब्दावली
- 11.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 11.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

11.1 प्रस्तावना

आप जानते हैं कि भाषा शब्दों से ही बनती है और लिखित या मौखिक रूप में व्यवहार में आती है। अतः शब्दों के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। शब्द यदि भाषा का शरीर है तो अर्थ उसके प्राण। इसलिए भाषा में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। सार्थक शब्द ही भाषा के अर्थ का संवाहक होता है। आपने कहावत सुनी होगी - भाषा बहता नीर है। काल के अजस्र प्रवाह में भाषा निरन्तर प्रवाहमान होती है। उसमें अनेक स्रोतों से अनेक शब्द मिलते रहते हैं। कुछ शब्द प्रयोग से घिस-घिस कर पुराने हो जाते हैं तो अत्यंत पुराने शब्द लुप्त हो जाते हैं। कुछ शब्द नए अर्थ के साथ प्रयोग होने लगते हैं। इसी प्रकार एक भाषा, दूसरी

भाषाओं के शब्द भी अपनी प्रकृति के अनुरूप ढालकर उन्हें अपना बना लेती है। इस तरह भाषा की निजी स्वाभाविकता और जीवतन्ता बनी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा अनेक स्रोतों से शब्दों को ग्रहण कर अपने शब्द भण्डार को समृद्ध करती चलती है। हिन्दी की शब्द सम्पदा की समृद्धि को आप इस रूप में देख सकेंगे।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- भाषा में शब्द के महत्व को समझ सकेंगे।
- शब्द के स्रोत और उनसे बनने वाले शब्दों के विभिन्न भेदों को जान सकेंगे।
- व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द-भेद की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- शब्द-रचना के विभिन्न माध्यमों से परिचित होकर शब्द-रचना के विविध आयामों को समझ सकेंगे।
- अर्थ की दृष्टि से शब्द के विभिन्न रूपों को जानकर प्रसंगानुसार शब्द-प्रयोग में सक्षम हो सकेंगे।

11.3 शब्द-स्रोत

प्रत्येक भाषा अपने शब्द-भण्डार की समृद्धि के लिए अपनी जननी भाषा, सहभाषा तथा अपने सम्पर्क में आने वाली विदेशी भाषाओं की ऋणी होती है। हिन्दी भाषा भी इसकी अपवाद नहीं है। हिन्दी के शब्द-भण्डार को समृद्ध करने में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं - वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पालि-प्राकृत'अपभ्रंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली जैसी विदेशी भाषाओं के शब्दों से भी हिन्दी की शब्द सम्पदा सम्पन्न होती रही है।

अतः शब्द-स्रोत की दृष्टि से हिन्दी के शब्दों को निम्नलिखित वर्ग में रखा जा सकता है -

1. तत्सम शब्द
2. तद्भव शब्द
3. देशज शब्द
4. विदेशी शब्द

आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

11.3.1 तत्सम शब्द

तत्सम शब्द दो प्रकार के हैं - परम्परागत और नवनिर्मित परम्परागत शब्द सीधे संस्कृत से हिन्दी में लिए गए हैं और नवनिर्मित शब्द नए विचारों और व्यापारों को अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृत की धातुओं से निर्मित किए गए हैं। पहले परम्परागत तत्सम शब्दों को देखें -

परम्परागत तत्सम शब्दों के लिए हिन्दी भाषा संस्कृत की ऋणी है। वैदिक संस्कृत के हजारों शब्द आज भी हिन्दी विशेषकर साहित्यिक हिन्दी में अविकृत रूप से प्रचलित हैं। संस्कृत से मूल रूप में लिए गए तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देखें -

अक्षर	अग्नि	कनिष्ठ	कक्षा	क्रोध
ग्रीष्म	वर्षा	वर्ण	गोत्र	ज्यातिष
जीवन	मृत्यु	मंत्र	यज्ञ	पुण्य
पिता	माता	अतिथि	किशोर	समाधि
पुष्प	दुग्ध	ऊषा	रात्रि	नक्षत्र
विद्या	ब्राह्मण	अलंकार	औषधि	अंतरिक्ष
मन्त्री	हृदय	रक्त	अंगुलि	त्वचा

आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा प्राविधिक युग में नए विचार, और नए उपकरणों की अभिव्यक्ति के लिए नए शब्दों की आवश्यकता हुई। अतः तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा नए-नए तत्सम शब्दों की रचना हुई। इसके साथ ही साहित्यकारों विशेषकर छायावादी युग के कवियों ने सैकड़ों नवीन तत्सम शब्द गढ़े। इस तरह संस्कृत धातु में उपसर्ग, प्रत्यय के संयोग से बने नवीन तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देखे जा सकते

हैं -

आकाशवाणी	दूरदर्शन	प्रक्षेपास्त्र	अभियंता
दूरभाष	गुरुत्वाकर्षण	पर्यवेक्षक	आचार-संहिता
अनुभाग	पत्राचार	मुद्रण	संगणक
प्रभाग	संविदा	निर्वाचन	सचिव

11.3.2 तद्भव शब्द

‘तद्भव’ का अर्थ है - ‘तत्’ अर्थात् उससे ‘संस्कृत’ से ‘भव’ अर्थात् ‘उत्पन्न’। संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत-अपभ्रंश से होते हुए विकृत रूप में हिन्दी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे - संस्कृत का ‘सत्य’ शब्द पालि-प्राकृत-अपभ्रंश में कमशः ‘सत्त-सच्च’ के रूप में विकृत होता हुआ ‘सच’ तद्भव शब्द बना। हिन्दी में सभी क्रियापद तद्भव हैं। यही स्थिति सर्वनाम शब्दों की है। संज्ञा तद्भव शब्द कम ही हैं। प्रायः तद्भव विशेषणों के लिए हिन्दी तत्सम शब्दों पर ही निर्भर है।

तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण आप निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं -

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
अग्नि	आग	काष्ठ	काठ
अश्रु	आसूँ	कुम्भकार	कुम्हार
अर्द्ध	आधा	कर्ण	कान
गृह	घर	ज्येष्ठ	जेठ
परीक्षा	परख	दन्त	दाँत
फाल्गुन	फागुन/फाग	द्विवर	देवर
घृत	घी	श्वसुर	ससुर
दुर्बल	दुबला	कर्म	काम
अक्षि	आँख	दुर्लभ	दुल्हा
अद्य	आज	गदर्भ	गधा

प्रायः देखा गया है कि एक ही शब्द का तत्सम रूप सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है और उसी से बना तद्भव रूप विशेष अर्थ में। जैसे - ‘स्थान’ तत्सम शब्द का सामान्य अर्थ है ‘जगह’। इसी से तद्भव रूप बना ‘थाना’ जो स्थान विशेष के अर्थ में है। कभी-कभी तत्सम शब्द से गुरूता या श्रेष्ठता के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसी का तद्भव रूप लघुता या हीनता के अर्थ में। जैसे - ‘दर्शन’ तत्सम शब्द किसी महान व्यक्ति या देवता के लिए प्रयोग किया जाता है - आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। ‘दर्शन’ का तद्भव ‘देखना’ है जो साधारण

लोगों के लिए प्रयुक्त होता है - कई दिन से तुम्हे देखा नहीं। इसी प्रकार तत्सम शब्द 'गर्भिणी' स्त्री के लिए और इसी का तद्भव रूप 'गाभिन' मादा पशुओं के लिए प्रयुक्त होता है।

11.3.3 देशज शब्द

देशज शब्दों का कोई स्रोत नहीं होता अर्थात् जिनकी उत्पत्ति संस्कृत आदि मूल भाषाओं से सिद्ध नहीं की जा सकती। इन्हें देशी शब्द भी कहते हैं। वस्तुतः देशज या देशी शब्द जनसाधारण की बोलचाल की उपज हैं। देशज के भी दो भेद किए जा सकते हैं -

1. अज्ञात व्युत्पत्ति परक

2. अनुकरणात्मक

अज्ञातव्युत्पत्तिपरक देशी शब्द वहीं हैं, जिनकी व्युत्पत्ति (स्रोत) अज्ञात हो। जैसे -

चिड़िया	तेन्दुआ	खिड़की	ठुमरी	जूता
फुनगी	लोटा	पगड़ी	खिचड़ी	लोटा
डोंगा	कटोरा	ठेठ	काका	बाबा
मुस्टंडा	भोंदू	भाभी	दीदी	नाना
लाला	टुच्चा	खर्राटा	चपटा	डकार
चपटा	कलाई	डिबिया	मामा	चाचा

हिन्दी में अनुकरणात्मक शब्द बनाने की प्रवृत्ति प्रमुख है। ये शब्द ध्वनि साम्य या दृश्य साम्य के आधार पर गढ़ लिए जाते हैं। डॉ. हरदेव बाहरी ने इस तरह के शब्दों को 'देशी करीगरी' का उत्कृष्ट नमूने कहा है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -

ध्वनि साम्य के आधार पर गढ़े गए शब्द - टें-टें, काँय-काँय, फटफटिया, बड़बड़, धड़ाम, खुसर-पुसर, ठन-ठन, ठकठक, सरसर, कल-कल, पों-पों, झनकार, थपथपाना आदि।

दृश्य साम्य के आधार पर गढ़े गए शब्द - झिलमिल, ढुलमुल, जगमग, लचक आदि। इसके अतिरिक्त अनार्य (द्रविड़ कुल) भाषाओं से भी कुछ देशज शब्द हिन्दी में आए हैं। जैसे - कुण्ड, कुण्डल, कठिन, निडाल, माला, ताला, चतुर, चन्दन, ताल, शव, आदि।

11.3.4 विदेशी शब्द

आप जानते हैं कि भारत पर लगभग एक हजार साल तक विदेशी शासकों का शासन रहा। फलतः विदेशी शिक्षा, शासन, धर्म, संस्कृति का प्रभाव भाषा पर भी पड़ा। हिन्दी में अरबी-फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। अरबी-तुर्की भाषाओं के शब्द प्रायः फारसी के माध्यम से आए हैं। अंग्रेजी के शब्द भी हिन्दी में घुलमिल गए हैं। पुर्तगाली, डच आदि भाषाओं के शब्द अंग्रेजी के माध्यम से ही हिन्दी में आए हैं। हिन्दी में विदेशी शब्द इतना घुलमिल गए हैं कि अनेक शब्दों का मूल स्रोत भी नहीं पता चलता। इन शब्दों को पढ़कर यह मानना कठिन सा लगता है कि ये हिन्दी के शब्द न होकर विदेशी शब्द हैं। जैसे - गुंडा, चाकू, कैंची, चेचक, कुर्ता, मकान, हमला, गमला संतरा आदि। विदेशी शब्दों की हिन्दी में इस प्रकार ग्रहणशीलता या स्वीकार्यता का मुख्य कारण है - हिन्दी की शब्द ग्रहण की विशिष्ट प्रकृति। जो शब्द हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल है, उन्हें उसने ज्यों का त्यों ले लिया है। जैसे - रूमाल, बटन, कोट आदि। इसके विपरीत जिन विदेशी भाषाओं के शब्द हिन्दी की प्रकृति से भिन्न हैं, उन्हें तराश कर किंचित परिवर्तन के साथ अपना लिया है। जैसे - जरूरत (ज़रूरत), ख्याल (ख़्याल), अस्पताल (हास्पिटल), लालटेन (लैटर्न), आलमारी (अलमिरा), रपट (रिपोर्ट)।

विभिन्न भाषाओं के विदेशी शब्दों की उदाहरण सूची निम्नलिखित क्रम में देखी जा सकती है।

अरबी शब्द -

अक्ल	अमीर	असर	अजीब
आखिर	आदमी	आदत	अजायब
इज्जत	इनाम	इमारत	इस्तीफा
इलाज	उम्र	एहसान	औरत
औलाद	कसूर	कर्ज	कब्र
किस्मत	किला	कुर्सी	किताब
कसरत	किस्सा	खबर	खत
खराब	गरीब	जाहिल	जहाज
जवाब	जिस्म	जालिम	जनाब

तकदीर	तारीख	तकिया	तमाशा
तरक्की	दिमाग	दवा	दफ्तर
दलाल	दुकान	दुनिया	दौलत
नकल	नकद	नतीजा	फकीर
फायदा	बहस	बाकी	मुहावरा
मजबूर	मुन्सिफ	मुकदमा	मौसम
मौलवी	मुसाफिर	मुल्क	मशहूर
लिफाफा	लिहाज	वारिस	वकील
शराब	हिम्मत	हिसाब	हाशिया
हाकिम	हौसला	हवालात	हुक्म

फारसी शब्द -

अफसोस	अदा	आबरू	आमदनी
कबूतर	कमीना	कुशती	किशमिश
खुराक	खरगोश	खामोश	खुश
गुलाब	गोश्त	गिरफ्तार	गवाह
चाबुक	चरखा	चिराग	चेहरा
जहर	जुरमाना	जागीर	जिगर
तमाशा	तनख्वाह	तबाह	तीर
दीवार	देहात	दिल	दरबार
पलंग	पारा	पैमाना	पैदावार
बीमार	बहरा	बेहूदा	मलाई
मुर्गा	मुर्दा	मजा	मुफ्त

याद	लेकिन	लगाम	शादी
शोर	वरना	सरदार	सितार
सौदागर	सरकार	सूद	हफता

तुर्की शब्द -

आका	उर्दू	कालीन	कुली
कैची	कुर्की	चमचा	चेचक
चाबुक	तमगा	तोप	तलाश
बेगम	बहादुर	मुगल	लफंगा
ताश	सौगात	सुराग	चकमक

अंग्रेजी शब्द -

अपील	आर्डर	इंच	इन्टर
जज	कोर्ट	बोर्ड	रेल
जेल	अस्पताल	पुलिस	इंजन
डायरी	आफिस	कापी	रजिस्टर
पिन	प्रेस	नम्बर	मोटर
डॉक्टर	रेडियो	मीटिंग	बिस्कुट
पावडर	पम्प	केक	डीजल
नर्स	टीशर्ट	पैंट	वारंट
युनिवर्सिटी	चाकलेट	कंडक्टर	गैराज
पोस्टकार्ड	इंटरनेट	ई-मेल	वेबसाइट

यह उल्लेखनीय है कि जन साधारण में प्रचलित हिन्दी में अंग्रेजी से आए शब्द संज्ञापद हैं। संज्ञापदों में भी प्रायः जाति-वाचक हैं। अंग्रेजी का कोई विशेषण, क्रियापद या अव्यय हिन्दी ने नहीं ग्रहण किया है।

पुर्तगाली शब्द -

अनानास	अचार	आलपिन	आलमारी
आया	कमीज	काजू	कनस्तर
गमला	कमरा	गिरिजा	गोदाम
फीता	चाबी	तम्बाकू	नीलाम
इस्पात	पिस्तौल	पादरी	परात
तौलिया	गोभी	सन्तरा	बाल्टी

चीनी शब्द -

चाय	लीची
-----	------

फ्रेंच शब्द -

अंग्रेज	कूपन	कारतूस
---------	------	--------

डच शब्द -

तुरुप	बम
-------	----

तिब्बती शब्द -

थुलमा	डाँडी
-------	-------

जापानी शब्द -

रिक्शा

अभ्यास प्रश्न 1 - निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और इसमें से छाँटकर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग-अलग करके लिखिए -

छंगामल विद्यालय इंटर कालेज के लड़के खेल-कूद की दुनिया में काफी प्रचलित थे, क्योंकि उनसे हर महीने खेल की फीस कान पकड़कर रखा ली जाती थी। यह दूसरी बात है कि कालेज के पास खेल-कूद का मैदान न था। पर इससे किसी को तकलीफ न होती थी, बल्कि सभी पक्ष सन्तुष्ट थे। गोम्स-टीचर के पास खेलकूद होने के कारण इतना समय बचता था कि वह मास्टर्स के दोनों गुटों में घुसकर उनका विश्वास प्राप्त कर सकता था। प्रिंसिपल को भी इससे बड़ा आराम था। उसके यहाँ हॉकी की टीमों में मारपीट न होती थी (क्योंकि वहाँ हॉकी टीम ही न थीं) और इस सबसे कालेज में अनुशासन की कोई समस्या नहीं उठती थी। लड़कों के बाप भी खुश थे कि खेलकूद की मुसीबत फीस देकर ही टल जाती है और लड़के सचमुच के खिलाड़ी होने से बच जाते हैं। लड़के भी खुश थे। वे जानते थे कि जितनी देर में एक गोल से दूसरे गोल तक एक ढेले

बराबर गेंद के पीछे हाथ में स्टिक पकड़े हुए वे पागलों की तरह भागेंगे, उतनी ही देर में वे ताड़ी का एक कच्चा घड़ा पी जाएँगे, या लग गया तो दाँव लगाकर चार-छः रुपये खींच लेंगे।

तत्सम शब्द

.....
.....

तद्भव शब्द -

.....
.....

देशज शब्द -

.....
.....

विदेशी शब्द -

.....
.....

अभ्यास प्रश्न 2 - निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द बनाइये -

तत्सम	तद्भव
पुष्प
अश्रु
कृष्ण
कर्म
अग्नि
सत्य
रात्रि

अभ्यास प्रश्न 3 - रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए -

1. शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती।

2. संस्कृत से मूल रूप में लिए गए शब्द हैं।
3. शब्द संस्कृत के ही विकृत रूप हैं।
4. अंग्रेजी 'रिपोर्ट' का हिन्दी में प्रचलित शब्द है।
5. रिकशा का शब्द है।

11.4 व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द-भेद

वर्ण अथवा शब्द के मेल से नये शब्द बनाने की प्रक्रिया को 'व्युत्पत्ति' कहते हैं। कई वर्णों के मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खण्ड को 'शब्दांश' कहते हैं। जैसे - शब्द 'रोटी' में 'रो' और 'टी' दो शब्दांश हैं। इन अलग-अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं। ये मिलकर ही शब्द का अर्थ व्यक्त करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि 'रोटी' शब्द के शब्दांश या खण्ड सार्थक नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके खण्ड सार्थक होते हैं। जैसे - 'विद्यालय'। इस शब्द में 'विद्या' और 'आलय' दो शब्दांश हैं। दोनों के ही अलग-अलग अर्थ हैं।

इस प्रकार व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं -

1. रूढ़
2. यौगिक
3. योगरूढ़

रूढ़ शब्द - जिन शब्दों के खण्ड सार्थक न हों, उन्हें रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती। परम्परा से एक निश्चित अर्थ में इनका प्रयोग होता आया है। जैसे -

नाक, कान, पीला, झट, पट

यौगिक शब्द - दो शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक होते हैं। इनके दोनों खण्ड सार्थक होते हैं। जैसे 'दूरदर्शन' शब्द में 'दूर' और 'दर्शन' दो खण्ड हैं। दोनों खण्ड के अलग-अलग अर्थ हैं। इनके योग से नया शब्द बना 'दूरदर्शन'।

योगरूढ़ शब्द - ऐसे शब्द जो बनावट की दृष्टि से यौगिक तो होते हैं किन्तु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे - 'पंकज' शब्द का सामान्य अर्थ है 'कीचड़ से उत्पन्न' किन्तु 'पंकज' से 'कमल' का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। लम्बोदर, चक्रपाणि, दशानन, जलज, आदि योगरूढ़ शब्द हैं।

11.5 शब्द-रचना

‘शब्द स्रोत’ शीर्षक में आपने पढ़ा कि किस तरह संस्कृत के तत्सम शब्दों से तद्भव शब्दों से हिन्दी की शब्द सम्पदा में वृद्धि हुई। इसी प्रकार जन साधारण के भाषिक व्यवहार (बोलचाल) में भी अनेक देशज शब्द हिन्दी भाषा की सम्पत्ति बने। अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिन्दी में घुलमिल गए। यद्यपि इनका व्यवहार सामान्य बोलचाल की भाषा तक सीमित है। हिन्दी भाषा की समृद्धि के लिए उसे आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी युग के लिए अधिक से अधिक सक्षम बनाने के लिए नए-नए पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में हिन्दी के राजभाषा बनने के बाद नए शब्दों की रचना अपरिहार्य हो गयी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शब्दावली आयोग ने मानक हिन्दी की शब्द सम्पदा में हजारों नए शब्दों की रचना करके महत्वपूर्ण समृद्धि की है। शब्द-रचना के तत्व और उनके द्वारा शब्द-रचना पद्धति के बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे।

हिन्दी में निम्नलिखित तत्वों की सहायता से शब्द-रचना की जाती है।

1. उपसर्ग
2. प्रत्यय
3. समास

11.5.1 उपसर्ग

उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द की रचना करता है और मूल शब्द के अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे ‘मान’ शब्द में ‘अभि’ उपसर्ग लगाने पर एक नया शब्द ‘अभिमान’ बना। ‘मान’ रूठने के अर्थ में जबकि ‘अभिमान’ घमण्ड के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस तरह आपने देखा कि उपसर्ग लगाने से बने नए शब्द का अर्थ भी मूल शब्द से भिन्न हो जाता है। शब्द-रचना में उपसर्ग की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। उपसर्ग के प्रयोग में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। वे शब्दों के साथ लगाकर ही अपने विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। दूसरी बात, उपसर्ग सदैव शब्द के पहले लगाए जाते हैं।

हिन्दी में तीन प्रकार के उपसर्गों से शब्द-रचना होती है।

1. तत्सम उपसर्ग
2. तद्भव उपसर्ग
3. विदेशी उपसर्ग

1. तत्सम उपसर्ग - आप पहले पढ़ आये हैं कि हिन्दी में संस्कृत तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। अतः तत्सम उपसर्गों की संख्या भी अधिक होना स्वभाविक है। तत्सम उपसर्ग और उनकी सहायता से बने तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -

उपसर्ग	उपसर्ग से बने शब्द
अति	अतिरिक्त, अत्यंत, अतिशय, अत्याचार, अतिक्रमण
अधि	अधिकार, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिकरण
अनु	अनुजा, अनुवाद, अनुशासन, अनुपात, अनुज, अनुकूल
अप	अपवाद, अपमान, अपराध, अपभ्रंश, अपव्यय, अपहरण
अभि	अभिमान, अभियंता, अभ्यास, अभिनव, अभियोग
अव	अवस्था, अवगत, अवज्ञा, अवतार, अवसान
आ	आकाश, आकर्षण, आदान, आचरण, आमुख
उत्/उद्	उत्तम, उत्कंठा, उद्यम, उत्थान, उत्कर्ष, उद्धत
उप	उपासना, उपस्थित, उपकार, उपनिवेश, उपदेश
दुर्/दुस्	दुर्दशा, दुराचार, दुर्गुण, दुष्कर्म, दुर्लभ
नि	निर्देशन, निकृष्ट, निवास, नियुक्ति, निबन्ध
निर्/निस्	निर्भय, निर्दोष, निश्छल, निवास, निर्मल
परा	पराजय, पराभव, परिधि, परिजन, परिक्रमा
प्र	प्रकाश, प्रश्न, प्रयास, प्रपंच, प्रसन्न, प्रसिद्धि
प्रति	प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिमान, प्रत्यक्ष, प्रतिवादी
वि	विकास, विशेष, विज्ञान, विधवा, विनाश, विभिन्न
सम्	संसार, सम्मुख, संग्राम, संकल्प, संयोग, संस्कृत, संस्कार,
अपर	अपराह
अन्य	अन्यत्र, अन्योक्ति, अन्यतम

चिर	चिरंजीव, चिरायु, चिरकाल
पुरा	पुरातत्त्व, पुरातन, पुराविद्
यथा	यथासम्भव, यथाशक्ति, यथासमय
बहिः	बहिष्कार, बहिर्मुख, बहिर्गामी, बहिरंग
सत	सत्कार, सत्कार्य, सद्गति, सज्जन
स्व	स्वभाव, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वस्थ
स, सह	सहयात्री, सहकारिता, सहकार, सहगामी
न	नास्तिक, नपुसंक, नक्षत्र
अग्र	अग्रणी, अग्रज, अग्रसर, अग्रगामी

2. तद्भव उपसर्ग - तद्भव उपसर्ग से बने शब्द प्रायः जनसामान्य की बोलचाल की भाषा से प्रयुक्त होते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -

उपसर्ग	उपसर्ग से बने शब्द
अ/अन	अमोल, अथाह, अनपढ़, अनमोल, अनजान
अध	अधजला, अधपका, अधमरा, अधखिला
उन	उन्नीस, उनचास, उजाड़, उचक्का, उजड़
औ	औगुन, औघट
दु	दुबला, दुकाल
नि	निडर, निकम्मा, निहत्था, निखरा
बिन	बिनब्याहा, बिनदेखा, बिनखाया, बिनबोया
भर	भरपेट, भरसक, भरमार, भरपूर
क/कु	कपूत, कुटंग, कुघड़ी
स/सु	सपूत, सरस, सुडौल, सुजान, सजग

3. विदेशी उपसर्ग - हिन्दी ने अरबी-फारसी शब्दों के साथ उनके उपसर्ग भी ग्रहण किए हैं इनके कुछ उदाहरण देखें -

उपसर्ग	उपसर्ग से बने शब्द
अल	अलबत्ता
कम	कमजोर, कमसिन, कमख्याली
खुश गैर	खुशदिल, खुशमिजाज, खुशबू, खुशहाल, गैरहाजिर, गैरकानूनी, गैरवाजिब
दर	दरकिनार, दरमियान, दरखास्त
ना	नापसन्द, नाराज, नालायक, नासमझ, नामुमकिन
बद	बदनाम, बदबू, बदमाश, बदतमीज
बर	बरखास्त, बरदाश्त
बिला	बिलावजह
बे	बेअदब, बेईमान, बेईज्जत, बेरहम, बेकसूर
ला	लाइलाज, जालवाब, लापरवाह, लापता
हम	हमसफर, हमदर्दी, हमपेशा, हमउम्र, हमराह
सर	सरकार, सरताज, सरपंच, सरहद, सरदार
ब	बदौलत, बनाम
अल	अलबत्ता
बिल	बिल्कुल
बा	बाकायदा

इसके अतिरिक्त हिन्दी में अंग्रेजी उपसर्ग से बने शब्द भी काफी प्रचलित हैं।

अभ्यास .4 -

(क) निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए -

अत्याचार
उनचास
संसार
कपूत
अन्यत्र
लापरवाह

(ख) निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से शब्द बनाइए -

खुश
अधि
सम्
नि
उप
बिन

11.5.2 प्रत्यय

मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को 'प्रत्यय' कहते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। दोनों में अन्तर सिर्फ इतना है कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में।

प्रत्यय दो प्रकार के हैं -

1. कृत प्रत्यय

2. तद्धित प्रत्यय

1. कृत प्रत्यय - क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनके मेल से बने शब्द को 'कृदन्त' कहते हैं। जैसे - गाना (क्रिया) में 'हार' प्रत्यय लगाने से 'गावनहार' शब्द बनता है। यहाँ आपने देखा कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु में लगकर उसे बिल्कुल नया रूप और नया अर्थ देते हैं।

कृत प्रत्यय से हिन्दी में भाववाचक, करणवाचक, और कर्तृवाचक संज्ञाएं तथा विशेषण बनते हैं। ये सभी संज्ञा विशेषण तद्भव शब्दों में होती हैं। इनके कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -

भाववाचक संज्ञाएं -

धातु	प्रत्यय	संज्ञा
भिड़/लड़/उठ	अन्त/आई/आन	भिड़न्त/लड़ाई/उठान
पूज/भूल/चिल्ल	आपा/आवा/आहट	पुजापा/भुलावा/चिल्लाहट
बोल/चाट	ई/नी/	बोली/चटनी
समझ/मान	औता/औती	समझौता/मनौती
खिंच	आव	खिंचाव

कारणवाचक संज्ञाएं -

झूल/मथ	आ/आनी	झूला/मथानी
रेत/झाड़	ई/ऊ	रेती/झाड़ू
कस	औटी	कसौटी
बेल	न	बेलन

कर्तृवाचक विशेषण -

टिक	आऊ	टिकाऊ
तैर/लड़	आक/आका	तैराक/लड़ाका
खेल/झगड़ा	आड़ी/आलू	खिलाड़ी/झगड़ालू
बढ़/अढ़	इया/इयल	बढ़िया/अड़ियल
लड़	ऐत	लड़ैत
हँस/भाग	ओड़/ओड़ा	हँसोड़/भागोड़ा
पी	अक्कड़	पियक्कड़
मिल	सार	मिलनसार

रो/रख	हारा/हार	रोवनहार/राखनहार
तत्सम कृत् प्रत्यय इस प्रकार हैं -		
कम्/विद्/वन्द	अ/आन/अना	काम/विद्वान/वन्दना
इष्/पूजा/गै	आ/अक	इच्छा/पूजा/गायक
तन्/भिक्ष्	उ/उक	तनु/भिक्षुक
त्यज	ई	त्यागी
विद्	मान	विद्यमान
कृ	तव्य	कर्तव्य
दृश/पूज	अनीय/उपनीय	दर्शनीय/पूजनीय

विदेशी कृत् प्रत्ययों में फारसी के प्रचलित उदाहरणों को देखा जा सकता है -

धातु	प्रत्यय	कृदन्तशब्द
आमदन (आना)	ई	आमदनी
रिह (छूटना)	आ	रिहा
जी (जीना)	इन्दा	जिन्दा
बाश (रहना)	इन्दा	बाशिन्दा
चस्प (चिपकना)	आँ	चस्पाँ

2. तद्धत प्रत्यय - तद्धत प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण शब्दों के अन्त में लगते हैं। अर्थात् संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण के अन्त में लगने वाले शब्दांश को तद्धत प्रत्यय कहते हैं। इनके मेल से बने शब्द को 'तद्धितान्त' कहते हैं। जैसे -

मुनि (संज्ञा)	\$	अ (प्रत्यय)	=	मौन
अपना (सर्वनाम)	\$	पन (प्रत्यय)	=	अपनापन
अच्छा (विशेषण)	\$	आई (प्रत्यय)	=	अच्छाई

आपने देखा कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अन्तर केवल इतना है कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अन्त में लगते हैं जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अन्त में। उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी संस्कृत, हिन्दी और विदेशी (उर्दू) से आकर क्रमशः तत्सम, तद्भव, और विदेशी शब्द-रचना में सहायक हुए हैं। आगे आप सोदाहरण इसका अध्ययन करेंगे।

संस्कृत के तद्धित प्रत्यय - इनके उदाहरण इस प्रकार हैं -

संज्ञा/विशेषण	प्रत्यय	शब्द
कुरू/मुनि	अ	कौरव/मौन
शिक्षा/राम	अक/आयन	शिक्षक/रामायन
वर्ष/पुष्प/रक्त	इक/इत/इम	वार्षिक/पुष्पित/रक्तिम
क्षत्र/बल	इय/इष्ठ	क्षत्रिय/बलिष्ठ
कुल/पक्ष	ईन/ई	कुलीन/पक्षी
अंश/पञ्च	तः/त्य	अंशतः/पाश्चात्य
दिति/वत्स/दया	य/ल/लु	दैत्य/वत्सल/दयालु
माया	वी	मायावी

इसी तरह तद्धित प्रत्यय से अनेक प्रकार की संज्ञा शब्दों और विशेषण शब्दों की रचना हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं -

I. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द -

जातिवाचक संज्ञा	प्रत्यय	भाववाचक संज्ञा
मित्र/शत्रु/प्रभु	ता	मित्रता/शत्रुता/प्रभुता
गुरु/मनुष्य/पुरुष	त्व	गुरुत्व/मनुष्यत्व/पुरुषत्व
पण्डित	य	पाण्डित्य
मुनि	अ	मौन

II. नामवाचक संज्ञा से अपत्यवाचक संज्ञा शब्द -

व्यक्तिवाचक संज्ञा	प्रत्यय	अपत्यवाचक संज्ञा
मनु/कुरु/पाण्डु/वासुदेव	अ	मानव/कौरव/पाण्डव/वासुदेव
राधा/कुन्ती	एय	राधेय/कौन्तेय
दिति	य	दैत्य

III. विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द -

विशेषण	प्रत्यय	भाववाचक संज्ञा
बुद्धिमान/मूर्ख/शिष्ट	ता	बुद्धिमत्ता/मूर्खता/शिष्टता
वीर/लघु	त्व	वीरत्व/लघुत्व
गुरू/लघु	अ	गौरव/लाघव

IV. संज्ञा से विशेषण शब्द -

संज्ञा	प्रत्यय	विशेषण
तालु/ग्राम	य	तालव्य/ग्राम्य
मुख/लोक	इक	मौखिक/लौकिक
आनन्द/फल	इत	आनन्दित/फलित
बल/कर्म	इष्ट/निष्ठ	बलिष्ठ/कर्मनिष्ठ
मुख/मधु	र	मुखर/मधुर
ग्राम/राष्ट्र	ईन/ईय	ग्रामीण/राष्ट्रीय

अब तक आपने तत्सम प्रत्यय से बने विविध प्रकार के शब्दों से परिचय प्राप्त किया। आगे हम तद्भव और विदेशी तद्धित प्रत्ययों द्वारा शब्द रचना के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

हिन्दी तद्धित प्रत्यय - हिन्दी के सभी तद्धित प्रत्यय तद्भव रूप में हैं। अतः इनसे बनने वाले शब्द भी तद्भव हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे तत्सम प्रत्यय का प्रयोग तत्सम शब्द रचना के लिए ही होता है। संज्ञा-विशेषण में तद्धित प्रत्यय लगाकर हिन्दी के भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से देखें -

संज्ञा/विशेषण	प्रत्यय	भाववाचक संज्ञा शब्द
चतुर/चौड़ा	आई	चतुराई/चौड़ाई
मीठा/छूट/ /कड़वा	आस/आरा/ /आहट	मिठास/छुटकारा/कड़वाहट
रंग/कम/बाप	त/ती/औती	रंगत/कमती/बपौती

इसी प्रकार संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं -

संज्ञा	प्रत्यय	विशेषण
भूख	आ	भूखा
देहात/रंग	ई/ईला	देहाती/रंगीला
चाचा/भाँग/खपरा	एरा/एड़ी/ऐल	चचेरा/भँगोड़ी/खपरैल
भूत/छूत/सोना	ह/हर/हरा	भुतहा/छुतहर/सुनहरा

तद्धित प्रत्यय द्वारा तद्भव शब्द रचना के अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं -

संज्ञा	प्रत्यय	तद्भव शब्द
ससुर/नाना/सोना	आल/हाल/आर	ससुराल/ननिहाल/सुनार
मामा/नाक	एरा/एल	ममेरा/नकेल
आढ़त/तेल	इया/ई	अढ़तिया/तेली
चोर/बाछा	टा/ड़	चौट्टा/बछड़ा

विदेशी तद्धित प्रत्यय - हिन्दी में फारसी तद्धित प्रत्ययों से बने कुछ प्रचलित शब्दों के उदाहरणों से विदेशी तद्धित प्रत्यय को भली-भाँति समझा जा सकता है।

मूल शब्द	प्रत्यय	तद्धितान्त शब्द
सफेद/जन	आ/आना	सफेदा/जनाना
ईरान/शौक/माह	ई/ईन/ईना	ईरानी/शौकीन/महीना
पेश/मदद	कार/गार	पेशकार/मददगार
दर्द/उम्मीद	नाक/वार	दर्दनाक/उम्मीदवार

बाग	ईच	बगीचा
गम	गीन	गमगीन
कलम	दान	कलमदान
घड़ी/नशा	साज/बाज	घड़ीसाज/नशाबाज
ईद/राह	गाह/गीर	ईदगाह/राहगीर
फौज/दर	दार/नार	फौजदार/दरबारइसी प्रकार
अरबी तद्धित प्रत्यय से बने कुछ शब्दों को देखा जा सकता है जो हिन्दी में बोलचाल की भाषा में काफी प्रचलित हैं। जैसे -		
जिस्म/रूह	आनी	जिस्मानी/रूहानी
इंसान	इयत	इंसानियत
बाबर (विश्वास)	ची	बाबरची

आपने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा कितने नए-नए शब्दों की रचना की जा सकती है। इस सन्दर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अनेक शब्द ऐसे हैं कि जिनकी रचना उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से होती है। इस प्रकार की शब्द-रचना के कुछ उदाहरण देख जा सकते हैं -

उपसर्ग	मूल शब्द	प्रत्यय	शब्द रचना
अप	मान	इत	अपमानित
अ	लोक	इक	अलौकिक
अभि	मान	ई	अभिमानी
उप	कार	क	उपकारक
परि	पूर्ण	ता	परिपूर्णता
दुस्	साहस	ई	दुस्साहसी
बद्	चलन	ई	बदचलनी
निर्	दया	ई	निर्दयी

अन	उदार	ता	अनुदारता
अ+प्रति	आशा	इत	अप्रत्याशित

अभ्यास प्रश्न 5 -

(क) निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय और उसका नाम बताइए -

1. पूजनीय

.....

2. दयालु

.....

3. मानव

.....

4. चटनी

.....

5. गायक

.....

(ख) निम्नलिखित प्रत्यय की सहायता से दो-दो शब्द बनाइए -

1. पा

.....

2. इक

.....

3. एय

.....

4. त्व

.....

5. इष्ठ

.....

अभ्यास प्रश्न 6 - निम्नलिखित वाक्यों में सही (✓) या गलत (ग) का निशान लगाइए -

1. क्रिया या धातु के अन्त में लगने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
2. प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है।
3. उपसर्ग या प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ नहीं बदलता।
4. संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं।
5. शब्द-रचना में उपसर्ग और प्रत्यय बहुत उपयोगी हैं।

11.5.3 समास

उपसर्ग और प्रत्यय की तरह समास भी शब्द-रचना में अत्यंत उपयोगी है। समास का अर्थ और उनके भेदों की जानकारी के बाद आप देखेंगे कि समास के द्वारा कैसे शब्द-रचना होती है। 'समास' शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम् + आस। सम् का अर्थ है - 'संक्षिप्त और सुंदर' तथा आस का अर्थ है 'कथन'। इस प्रकार समास का अर्थ है - संक्षिप्त और सुन्दर कथन। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाकर संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास से बना शब्द 'सामासिक' कहलाता है। जैसे - 'गृह में प्रवेश' शब्द में 'में' विभक्ति हटाकर 'गृह' और 'प्रवेश' बचता है। इन दोनों को मिलाने से 'गृह प्रवेश' सामासिक शब्द बना। समास के मुख्यतः चार भेद माने गए हैं - अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, और द्वन्द्व। हिन्दी में कर्मधारय और द्विगु समास की गणना भी स्वतंत्र रूप में होती है। यद्यपि संस्कृत में ये दोनों समास तत्पुरुष समास के उपभेद के रूप में जाने जाते हैं।

समास के विभिन्न भेद और उनसे होने वाली शब्द-रचना को हम विस्तार से देखेंगे।

1. अव्ययीभाव समास - इस समास में संज्ञा, विशेषण अथवा अव्यय के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। संक्षेप में इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है -

संज्ञा + संज्ञा = घर-घर, पल-पल, गाँव-गाँव

विशेषण + संज्ञा = हरदिन, हर दिन

अव्यय + संज्ञा = प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन

2. तत्पुरुष समास - इसमें दो शब्दों (पदों) में अन्तिम पद प्रधान होता है। जैसे - 'राजा की कन्या', 'अकाल से पीड़ित' में 'कन्या' और 'पीड़ित' पद प्रधान है क्योंकि वाक्य प्रयोग में लिंग और वचन का निर्धारण अन्तिम पद के अनुसार ही होगा। जैसे - राजा की कन्या आ रही है।

जनता अकाल से पीड़ित है। 'राजा की कन्या' और 'अकाल से पीड़ित' से विभक्ति 'की' और 'से' को हटा देने से 'राजकन्या' और 'अकाल पीड़ित' सामासिक शब्द बनते हैं।

तत्पुरुष समास से शब्द-रचना का सूत्र है -

संज्ञा + विभक्ति + संज्ञा = राजा का दरबार - राजदरबार

संज्ञा + विभक्ति + विशेषण = पुरुषों में उत्तम - पुरुषोत्तम

3. बहुब्रहि समास - इस समास में दो शब्दों का योग होने पर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे - 'लम्बोदर' - लम्बा उदर (पेट है जिसका अर्थात् गणेश)। दशानन (दस मुख हैं जिसके) अर्थात् रावण। इस प्रकार दो शब्द अपने सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ प्रकट करते हैं।

चतुर्भुज, चतुर्मुख, चक्रपाणि, पीताम्बर, जितेन्द्रिय आदि बहुब्रहि समास के शब्द हैं।

4. द्वन्द्व समास - द्वन्द्व समास में दो शब्दों के बीच आने वाले 'और/या' जैसे अव्यय हट जाते हैं और दोनों शब्द मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे - भाई और बहन (भाई-बहन)। पाप या पुण्य (पाप-पुण्य)। भला-बुरा, देश-विदेश, रुपया-पैसा, खाना-पीना, नाक-कान, नर-नारी, भूखा-प्यासा आदि शब्द द्वन्द्व समास के उदाहरण हैं।

5. कर्मधारय समास - इस समास में दो शब्दों के बीच विशेषण और विशेष्य (संज्ञा) का अथवा उपमान और उपमेय का सम्बंध रहता है। जैसे -

विशेषण + विशेष्य = नीलकमल, नीलगाय

उपमेय + उपमान = चरणकाल, कमलनयन

परमेश्वर, सज्जन, महात्मा, शीतोष्ण, घनश्याम, महाकाव्य, सद्भावना, नवयुवक, महावीर आदि शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण हैं।

6. द्विगु समास - द्विगु समास में दो शब्दों में पहला शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा शब्द संज्ञा। अर्थात् संख्यावाचक विशेषण और संज्ञा से मिलकर द्विगु समास की रचना होती है। जैसे -

दूसरा पहर = दोपहर

पाँच तत्वों का समूह = पंचतत्व

चार राहों वाला = चौराहा

नवरत्न, पंचपरमेश्वर, चौमासा, त्रिभुवन, तिमंजिला, सप्तक, अष्टपदी, सतसई, षडरस, नवग्रह, त्रिपदी आदि द्विगु समास के उदाहरण हैं। इस प्रकार आपने देखा कि समास से किस तरह संक्षिप्त और सुन्दर शब्द-रचना होती है। इससे भाषा की शब्द-सम्पदा में वृद्धि होती है, साथ ही भाषा का अभिव्यक्ति सौन्दर्य भी बढ़ता है।

अभ्यास प्रश्न 7 - निम्नलिखित शब्दों में समास बताइए -

डाल-डाल
गगनचुम्बी
अष्टाध्यायी
हरिशंकर
देवासुर
यथाशीघ्र
श्यामसुन्दर
घर-आँगन
चतुरानन
चौअन्नी

11.3.4 द्विरुक्ति

द्विरुक्ति का अर्थ है - दोहराना। अर्थात् एक ही शब्द को दो बार उच्चारित करना। हिन्दी भाषा में द्विरुक्ति से सैकड़ों शब्दों की रचना हुई है। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। द्विरुक्ति से शब्द-रचना के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -

संज्ञा शब्द	-	घर-घर, बूँद-बूँद, कौड़ी-कौड़ी, पानी-पानी
सर्वनाम शब्द	-	अपना-अपना, किस-किस, क्या-क्या, कुछ-कुछ
विशेषण शब्द	-	बड़े-बड़े, छोटे-छोटे, लाल-लाल, गोल-गोल
क्रिया शब्द	-	जाते-जाते, हँसते-हँसते, रोते-रोते, गाते-गाते

क्रिया विशेषण शब्द	-	धीरे-धीरे, पास-पास, ऊपर-ऊपर, जल्दी-जल्दी,
विस्मययदि बोध का शब्द	-	राम-राम, छिह-छिह, वाह-वाह
विभक्ति युक्त शब्द	-	गाँव के गाँव, झुण्ड के झुण्ड, पास ही पास

अभ्यास प्रश्न 8 - द्विरुक्ति शब्दों से युक्त पाँच वाक्य बनाइए -

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

11.6 संकर शब्द

संकर शब्द का अर्थ है मिश्रित। दो भाषाओं या एक ही भाषा के दो रूपों के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में दो भिन्न स्रोतों के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना लिया जाता है। उदाहरण के लिए 'रेलगाड़ी' शब्द को लें। 'रेल' अंग्रेजी का शब्द है और 'गाड़ी' हिन्दी का। इसी प्रकार 'रेडियो' (अंग्रेजी) और 'तरंग' (हिन्दी) को मिलाकर 'रेडियोतरंग' शब्द बनता है।

संकर शब्दों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं -

- | | | | |
|-----|-------------------|---|--|
| I. | अंग्रेजी + हिन्दी | - | बस यात्री, रेल यात्रा, बमवर्षा, टिकटघर |
| II. | हिन्दी + अंग्रेजी | - | अश्रुगैस |

III.	हिन्दी + फ़ारसी	-	तनबदन, दुःखदर्द, घुड़सवार, चिड़ियाखना
IV.	फ़ारसी + हिन्दी	-	सवारी गाड़ी, दरियाई घोड़ा, गली मोहल्ला
V.	हिन्दी + अरबी	-	चोर महल, मालगाड़ी, मोतीमहल, गंडाताबीज, रीति रिवाज
VI.	अरबी + हिन्दी	-	कफनचोर, अजायबघर, हुक्कापानी

इस तरह ऐसे सैकड़ों शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं।

11.7 शब्द-रूप और शब्द-प्रयोग

आप जानते हैं कि भाषा शब्दों के माध्यम से ही अपने भावों और विचारों को व्यक्त करती है। शब्द-प्रयोग में मुख्य बात यह है कि शब्द भाषा के साधन हैं, साध्य नहीं। भाषा का साध्य भाव-विचार की सार्थक एवं पूर्ण अभिव्यक्ति करना है। हिन्दी शब्द सम्पदा में सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव या विचार को व्यक्त करने वाले अनेक शब्द हैं। इसलिए इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता है। आगे हम शब्द-रूप के बारे में जानकारी के बाद शब्द-प्रयोग में बरतने वाली सावधानी पर चर्चा करेंगे। शब्द-रूप निम्नलिखित प्रकार के हैं -

1. पर्यायवाची शब्द
2. विलोम शब्द
3. समानार्थक शब्द
4. श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द

1. पर्यायवाची शब्द - समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। इस तरह के शब्दों में अर्थ की समानता के बावजूद इनका प्रयोग प्रसंग और संदर्भ के अनुसार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए अग्नि, पावक, अनल, हुताशन, धूमकेतु, आदि आग के पर्यायवाची शब्द हैं। अब कहीं आग लगने पर यह नहीं कहेंगे कि अनल या पावक लग गयी है। इसी तरह धार्मिक कार्य जैसे यज्ञ आदि में 'आग लगाओ' या 'आग जलाओ' न कहकर 'अग्नि लाओ' या 'अग्नि दो' कहा जाता है। अतः प्रसंग और स्थान के गुण-धर्म के अनुसार ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ अध्ययन के लिए कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं -

शब्द	पर्यायवाची शब्द
असुर	दनुज, दानव, दक्त्य, निशिचर, राक्षस
अनुपम	अनोखा, अब्दुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल

आकाश	गगन, व्योम, अम्बर, नभ, आसमान
इच्छा	अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ
कमल	पंकज, राजीव, सरसिज, अम्बुज, नलिन
गणेश	लम्बोदर, एकदन्त, विनायक, गजानन, गणपति
गंगा	भागीरथी, मन्दाकिनी, सुरसुरि
घर	आवास, निकेतन, गृह, भवन, सदन
जल	नीर, सलिल, वारि, पय, पानी
दुःख	व्यथा, कष्ट, पीड़ा, सन्ताप, शोक, क्लेश
पुष्प	कुसुम, प्रसून, सुमन, फूल
रात	रजनी, निशा, विभावरी, रात्रि, यामिनी
समुद्र	सागर, जलनिधि, रत्नाकर, सिन्धु
सोना	स्वर्ण, कंचन, कनक
स्त्री	वनिता, महिला, कान्ता, नारी, कामिनी, रमणी

2. विलोम शब्द - एक शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम का अर्थ है - विपरीत या उलटा। जैसे - 'अस्त' शब्द का विपरीतार्थक 'उदय' होगा। प्रायः विलोम शब्द की रचना उपसर्ग की सहायता से होती है। किन्तु अनेक शब्दों के स्वतंत्र विलोम शब्द भी होते हैं। जैसे 'सत्य' का विलोम 'असत्य' न होकर 'मिथ्या' होगा। इसलिए विलोम शब्द का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।

विलोम शब्द के कुछ उदाहरण देखें -

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
अग्र	पश्चात्	स्वार्थ	परमार्थ
अल्पायु	दीर्घायु	मूक	वाचाल
अपेक्षा	उपेक्षा	नूतन	पुरातन
आस्था	अनास्था	नास्तिक	आस्तिक

आशा	निराशा	जटिल	सरल
आमिष	निरामिष	गृहस्थ	संन्यासी
आयात	निर्यात	भूत	भविष्य
खण्डन	मण्डन	निन्दा	स्तुति
गम्भीर	चंचल	राग	विराग
गुण	दोष	सम्मान	अपमान
स्वकीया	परकीया	सात्विक	तामसिक

3. समानार्थक शब्द - कुछ शब्दों के अर्थ समान से लगते हैं किन्तु प्रयोग की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अन्तर होता है। जैसे - 'पीड़ा' ओर 'वेदना' शब्दों को लें। दोनों में 'दर्द होने' का भाव है किन्तु 'पीड़ा' शारीरिक कष्ट से होती है और 'वेदना' मानसिक कष्ट से। इस तरह प्रयोग की दृष्टि से दोनों में अर्थ का सूक्ष्म अन्तर स्पष्ट है।

समानार्थक शब्दों के नीचे दिए गए उदाहरण से भली-भाँति समझा जा सकता है-

शब्द	अर्थ भेद
अज्ञान	ज्ञान का न होना
अनभिज्ञ	किसी बात की जानकारी न होना
अनुभव	अभ्यास, व्यवहार से प्राप्त ज्ञान
अनुभूति	चिन्तन-मनन से प्राप्त आन्तरिक ज्ञान
अस्त्र	फेंककर प्रयोग किया जाने वाला हथियार
शस्त्र	हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार
प्रेम	समान अवस्था वालों से प्रीति
स्नेह	अपने से छोटों के प्रति प्रेमभाव
वात्यल्य	बच्चे के प्रति प्रेम
ईर्ष्या	दूसरे की सफलता पर मन की जलन

घृणा	दूसरे के प्रति घृणा और शत्रुता का भाव
व्याख्यान	मौखिक भाषण
अभिभाषण	लिखित भाषण

4. श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द - 'श्रुतिसम' का अर्थ होता है - 'सुनने में समान' और 'भिन्नार्थक' का अर्थ है - 'भिन्न अर्थ वाला'। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो समान लगते हैं (यद्यपि वे समान नहीं होते हैं) किन्तु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द कहा गया है। श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्दों के प्रयोग में उनकी वर्तनी और अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे शब्दों को कुछ उदाहरणों से अच्छी तरह समझा जा सकता है -

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अन्त	समाप्त	अविराम	निरन्तर
अन्त्य	नीच	अभिराम	सुन्दर
अन्न	अनाज	अभिज्ञ	जानने वाला
कर्म	काम	चक्रवात	बवण्डर
दूत	सन्देशवाहक	परिणाम	नतीजा
घूत	जुआँ	परिमाण	मात्रा
वाद्य	बाजा	साला	पत्नी का भाई
वाद	तर्क, विचार	शाला	घर

इस तरह आपने भली-भाँति यह समझ लिया होगा कि रूप और अर्थ की दृष्टि से समानता होते हुए भी प्रसंग और गुण-धर्म के अनुसार शब्दों का प्रयोग किस तरह सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न 9 -

(क) निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची लिखिए -

स्वर्ण,

आकाश	-,
	
प्रसन्नता	-,
	
पानी	-,
	
फूल	-,
	

(ख) निम्नलिखित शब्दों के विलाम लिखिए -

स्तुति	-
उपेक्षा	-
दीघार्यु	-
सम्मान	-
सन्यासी	-

अभ्यास प्रश्न 10 - निम्नलिखित समानार्थी शब्दों के अर्थ-भेद बताइए -

गौरव	-
	
अभिमान-	
	
मूर्ख	-
	
मूढ़	-
	
शोक	-
	

वेदना -
.....

लज्जा -
.....

ग्लानि -
.....

श्रद्धा -
.....

भक्ति -
.....

11.8 सारांश

प्रस्तुत इकाई के सम्पूर्ण अध्ययन के बाद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भाषा में शब्दों का कितना महत्व है। किसी भी भाषा की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उसका शब्द-भण्डार कितना समृद्ध है। साथ ही वह अपने विकास में कितने देशी-विदेशी शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप आत्मसात करती चलती है। हिन्दी शब्द सम्पदा का अध्ययन करते समय आप शब्द-स्रोतों से भी परिचित हो गए होंगे कि किस तरह विभिन्न स्रोतों से शब्दों को लेकर हिन्दी का शब्द-भण्डार इतना सम्पन्न हो सका है। शब्द-रचना के अन्तर्गत आपने शब्द-निर्माण में सहायक तत्वों - उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि का परिचय पा लिया होगा जिनसे युगीन विचार की अभिव्यक्ति के लिए नए-नए शब्दों की रचना की जाती रही है। साथ ही शब्दों के विभिन्न रूपों- पर्यायवाची, विलोम, समानार्थक शब्दों के अर्थ-भेद को समझ कर उनके प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातों से परिचित हो गए होंगे। इस प्रकार इस इकाई को पढ़कर आप हिन्दी की शब्द-सम्पदा के विविध आयामों से परिचित होकर शब्द-प्रयोग में भी अपेक्षित कौशल को सिद्ध कर चुके होंगे।

11.9 शब्दावली

- | | | |
|------------|---|---------------------------------|
| ● स्रोत | - | उद्गम |
| ● आर्यभाषा | - | संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश |
| ● तत्सम | - | संस्कृत से आगत |
| ● धातु | - | शब्द का मूल रूप |

● वैदिक संस्कृत	-	वेद, उपनिषद की भाषा
● रूढ़	-	परम्परा से प्रचलित
● उपसर्ग	-	शब्द के पूर्व लगने वाला
● प्रत्यय	-	शब्द के अंत में लगने वाला
● संकर	-	मिश्रित
● द्विरक्ति	-	किसी शब्द को दो बार कहना
● विलोम	-	विपरीत, उलटा

11.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न - 1

अनुच्छेद से छाँटे गए शब्द -

तत्सम	-	विद्यालय, पक्ष, सन्तुष्ट, विश्वास, अनुशासन, समस्या
तद्भव	-	खेल-कूद, मारपीट, गुट, कच्चा, घड़ा, दाँव
देशज	-	घुसकर, बाप, टल, ढेला, ताड़ी
विदेशी	-	इंटर कालिज, फीस, दुनिया, तकलीफ, गेम्स टीचर, आराम, मुसीबत, खुश

अभ्यास प्रश्न - 2

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
पुष्प	फूल	अश्रु	आँसू
कृष्ण	कान्हा	कर्म	काम
अग्नि	आग	सत्य	सच
रात्रि	रात	दण्ड	डण्डा
दुग्ध	दूध	गृह	घर

अभ्यास प्रश्न - 3

1. देशज शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती।
2. संस्कृत से मूल रूप में लिए गए शब्द तत्सम हैं।
3. तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों के ही विकृत रूप हैं।
4. अंग्रेजी 'रिपोर्ट' का हिन्दी में प्रचलित शब्द रपट है।
5. रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है।

अभ्यास प्रश्न - 4

(क)	शब्द	उपसर्ग	शब्द	उपसर्ग
	अत्याचार	अति	उनचास	उन्
	संसार	सम्	कपूत	क
	अन्यत्र	अन्य	लापरवाह	ला
(ख)	उपसर्ग	शब्द	उपसर्ग	शब्द
	खुश	खुशखबरी	अधि	अधिकार
	सम्	सम्मुख	नि	निडर
	उप	उपस्थित	बिन	बिनदेखा

अभ्यास प्रश्न - 5

(क)	शब्द	प्रत्यय	नाम
1.	पूजनीय	अनीय	कृत प्रत्यय
2.	दयालु	आलु	तद्धित प्रत्यय
3.	मानव	अ	तद्धित प्रत्यय
4.	चटनी	नी	कृत प्रत्यय
5.	गायक	अक	कृत प्रत्यय

(ख)	प्रत्यय	शब्द
	पा	बुढ़ापा
	इक	मौखिक
	एय	पौरुषेय
	त्व	वीरत्व
	इष्ठ	कर्मनिष्ठ

अभ्यास प्रश्न - 6

1. गलत (कृत प्रत्यय)
2. सही
3. गलत (अर्थ बदलता है)
4. गलत (तद्धित प्रत्यय)
5. सही

अभ्यास प्रश्न - 7

शब्द	समास	शब्द	समास
डाल-डाल	अव्ययीभाव	गगनचुम्बी	तत्पुरुष
अष्टाध्यायी	द्विगु	हरिशंकर	द्वन्द्व
देवासुर	द्वन्द्व	यथाशीघ्र	अव्ययीभाव
श्यामसुन्दर	कर्मधारय	घर आँगन	द्वन्द्व
चतुरानन	बहुब्रीह	चौअनी	द्विगु

अभ्यास प्रश्न - 8

1. बाढ़ में गाँव के गाँव बह गए।
2. वह घर जाते-जाते रुक गया।
3. ट्रेन धीरे-धीरे चल रही थी।
4. किस-किस को समझाऊँ ?
5. होली पर घर-घर धूम मची थी।

अभ्यास प्रश्न - 9

- (क) स्वर्ण - कंचन, कनका आकाश - अम्बर, गगन। प्रसन्नता - आनन्द, हर्ष।
पानी - जल, नीरा। फूल - पुष्प, कुसुमा।
- (ख) स्तुति - निन्दा। उपेक्षा - अपेक्षा। दीर्घायु - अल्पायु। सम्मान - अपमान।
सन्यासी - गृहस्था।

अभ्यास प्रश्न - 10

गौरव	-	अपनी शक्ति/योग्यता का उचित ज्ञान
अभिमान	-	अपनी शक्ति/योग्यता का अनुचित ज्ञान
मूर्ख	-	जो देर से समझे
मूढ़	-	जिसमें समझने की शक्ति न हो
शोक	-	प्रियजन की मृत्यु पर होने वाला दुःख
वेदना	-	मानसिक वेदना
लज्जा	-	अनुचित काम करने पर मुँह छिपाना
ग्लानि	-	किए गए कुकर्म पर एकान्त में पछताना
श्रद्धा	-	बड़ों के प्रति आदरसहित प्रेम
भक्ति	-	ईश्वर/गुरुजन के प्रति प्रेम

11.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

- भोलानाथ तिवारी, हिन्दी शब्द सामर्थ्य, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
- रामचन्द्र वर्मा, अच्छी हिन्दी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद
- किशोरी दास वाजपेई, हिन्दी शब्द मीमांसा, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
- डॉ हरदेव बाहरी, हिन्दी उद्भव विकास और रूप, किताब महल, इलाहाबाद
- राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, शुद्ध हिन्दी कैसे सीखें, भारती भवन, पटना

इकाई 12 प्रयोजनमूलक हिन्दी

इकाई की रूपरेखा

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 उद्देश्य
- 12.3 प्रयोजनमूलक हिन्दी
 - 12.3.1 अर्थ एवं परिभाषा
 - 12.3.2 प्रयोजनमूलक हिन्दी का इतिहास
- 12.4 प्रयोजनमूलक हिन्दी के क्षेत्र
 - 12.4.1 प्रयोजनमूलक हिन्दी की शैलियाँ और प्रयुक्ति
- 12.5 प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रदेय एवं मूल्यांकन
- 12.6 सारांश
- 12.7 शब्दावली
- 12.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 12.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 12.10 उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 12.11 निबन्धात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ - शासकीय तथा कार्यालयी भाषा से है। भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली को राजभाषा स्वीकार करने के पश्चात् हिन्दी भाषा के प्रति सोच या कहें कि अवधारणा में काफी परिवर्तन हुआ। सांविधानिक भाषा बनने से पूर्व हिन्दी भाषा का तात्पर्य होता था बोलचाल की हिन्दी या साहित्यिक हिन्दी से। संविधान द्वारा हिन्दी की स्वीकृति के पश्चात् हिन्दी कार्यालय, व्यापार तथा वाणिज्य की भाषा के रूप में व्यवहार होने लगी। भाषा व्यवहार के इस क्रम में कई प्रारंभिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। हिन्दी भाषा के पास पर्याप्त पारिभाषिक शब्द नहीं थे। अपनी शैली और प्रयुक्ति नहीं थे। भाषा नियोजन तथा मानकीकरण की समस्याएँ भी आईं। हिन्दी भाषा के बढ़ते विस्तार के कारण हिन्दी की प्रयुक्तियाँ भी विकसित हुईं। किसी भी समृद्ध भाषा की पहचान होती है कि उसकी प्रयुक्तियाँ कितनी विकसित हुईं हैं, इस दृष्टि से हिन्दी भाषा ने अभूतपूर्व विकास किया है। भाषा नियोजन तथा मानकीकरण के हमारे संगठित प्रयास सफल हुए। स्वतन्त्रता पूर्व जो हिन्दी केवल साहित्यिक स्तर

पर समृद्ध मानी जाती थी, आज वह प्रशासनिक तथा व्यापारिक स्तर पर भी समृद्धता के निकसतय कर रही है।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप -

- हिन्दी भाषा अर्थ समझ सकेंगे।
- प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ समझ सकेंगे।
- प्रयोजनमूलक हिन्दी की विविध परिभाषाओं से परिचित हो सकेंगे।
- प्रयोजनमूलक हिन्दी के इतिहास से परिचित हो सकेंगे।
- प्रयोजनमूलक हिन्दी की विविध शैलियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रयोजनमूलक हिन्दी की विभिन्न शब्दावलियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- साहित्यिक भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा का अन्तर स्पष्ट कर सकेंगे।
- वर्तमान काल में चल रही प्रयोजनमूलक भाषा के भविष्य को समझ सकेंगे।

12.3 प्रयोजनमूलक हिन्दी

12.3.1 अर्थ एवं परिभाषा

प्रयोजनमूलक हिन्दी, अंग्रेजी शब्द 'फंक्शनल हिंदी' का पर्याय है। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ क्या हो ? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शाब्दिक ढंग से विचार करें तो इसका अर्थ होगा -ऐसी विशेष हिंदी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए। श्री रमाप्रसन्न नायक आदि इसे प्रयोजनमूलक के बजाय व्यावहारिक हिंदी कहना ज्यादा सार्थक समझते हैं। उनके अनुसार प्रयोजनमूलक कहने से ऐसा आभास होता है जैसे निष्प्रयोजनपरक भाषा का भी कोई रूप होता है। रमाप्रसन्न नायक इस प्रकार की हिंदी के लिए व्यावहारिक शब्द प्रयोग ज्यादा उचित मानते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का कामकाजी हिंदी भी कहा गया है। डा. नगेन्द्र तथा डा. ब्रजेश्वर वर्मा ने 'प्रयोजनमूलक' शब्द को ही ज्यादा सार्थक और अर्थगर्भित माना है। डा. नगेन्द्र ने इस संदर्भ में लिखा है - "वस्तुतः प्रयोजनमूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजनमूलक नहीं वरन् आनन्दमूलक हिंदी है। आनन्द व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनन्द स्वकेन्द्रित होता है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनन्द स्वकेन्द्रित होता और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। हम आनन्दमूलक हिंदी के विरोधी नहीं हैं इसलिए आनन्दमूलक साहित्य के हम भी हिमायती हैं। पर सामाजिक

आवश्यकताओं के संदर्भ में हम सम्प्रेषण के बुनियादी आधार के भी अपनी नजर से ओझल नहीं करना चाहते।” डा. ब्रजेश्वर वर्मा ने ‘प्रयोजनमूलक’ शब्द की निहित व्यंजना को अधिक स्पष्ट ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा है - “निष्प्रयोजन हिंदी कोई चीज नहीं है लेकिन प्रयोजनमूलक विशेषण उसके व्यावहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया।” प्रयोजनमूलक हिंदी की व्यावहारिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर कुछ लोग इसे ‘व्यावहारिक हिन्दी’ भी कहते हैं। प्रश्न है कि व्यावहारिक हिन्दी क्या है? व्यावहारिक हिन्दी का तात्पर्य हो सकता है -ऐसी हिन्दी से जो दैनिक जीवन में कार्य-साधन के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऐसी भाषा जिसमें व्याकरण की अनिवार्यता के बजाय व्यावहारिक उपयोगिता अधिक हो। इसके विपरीत प्रयोजनमूलक भाषा में प्रशासन, संपर्क तथा सम्प्रेषण आवश्यक तत्व के रूप में निहित होता है। आज हम जिस ‘प्रयोजनमूलक हिन्दी’ शब्द का व्यवहार करते हैं वह अंग्रेजी शब्द ‘फक्शनल लैंग्वेज’ के हिन्दी पर्याय के रूप में सर्वस्वीकृत - सा हो चुका है। प्रयोजनमूलक हिन्दी पाठ्यक्रम के आरम्भिक प्रस्तावकों में से एक मोटूरि सत्यनारायण ने लिखा है - “जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिन्दी ही प्रयोजनमूलक हिन्दी है।” सामान्यतः भाषा के तीन मुख्य प्रकार्य होते हैं। एक भाषा का सम्बन्ध सामान्य जीवन की व्यावहारिक क्रियाओं को करने के लिए लाई जाने वाली शब्दावली से है। दूसरे प्रकार की भाषा का सम्बन्ध विचार तथा आनन्द प्रदान करने का व्यवहार करने से है, वह सामान्य प्रकार की भाषा से भिन्न होता है। प्रथम तथा द्वितीय भाषा से इतर तीसरे प्रकार की भाषा का संबंध हमारी जीविका तथा प्रशासन से जुड़ा हुआ है। व्यापार, प्रशासन तथा कार्यालय में हम जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, वह दैनिक बोलचाल तथा साहित्यिक भाषा से भिन्न होती है। भाषा के इस व्यवहार को ही प्रयोजनमूलक कहा गया है। आगे चलकर हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।

12.3.2 प्रयोजनमूलक हिन्दी का इतिहास

प्रयोजनमूलक हिन्दी का इतिहास वैसे तो काफी पुराना है। चूँकि मनुष्य सचेतन प्राणी है, इसलिए उसके सारे सामाजिक प्रयास (भाषाई प्रकार्य भी) किसी-न-किसी सार्थक प्रयोजन से जुड़े होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाये तो प्रयोजनमूलक भाषा का व्यवहार समृद्ध संस्कृति से मुक्त देशों ने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। व्यापार की भाषा, कानून की भाषा, अध्यात्म की भाषा, न्याय शास्त्र की भाषा रोजमर्रा जिन्दगी की भाषा, साहित्य की भाषा इत्यादि भाषाएँ अपने उद्देश्यगत प्रयोजन के कारण परस्पर भिन्न रही हैं। भाषा वस्तु का आधार पर अपने शैली का चुनाव करती है। प्रयोजन, वक्ता, संदर्भ के अनुसार भाषा अपना अर्थ सुनिश्चित करती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब से हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। (14 सितम्बर 1949 ई) तब से हिन्दी के प्रयोग और भूमिकाओं में वृद्धि हुई। उसके पूर्व हिन्दी केवल साहित्य की भाषा के रूप में ही प्रतिष्ठित थी। राजभाषा बनने के उपरान्त हिंदी अन्य क्षेत्रों में भूमिका के लिए तैयार होने लगी। उस समय हिन्दी के विरोधियों द्वारा यह प्रश्न भी खड़ा किया गया कि क्या हिन्दी भाषा में इतनी सामर्थ्य है कि वह अन्य सामाजिक व्यवहारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ

है ? इस शंका में थोड़ी सच्चाई भी थी, क्योंकि उस समय तक हिन्दी भाषा ने अपनी प्रयुक्ति, उप-प्रयुक्ति का समुचित निर्माण कार्य नहीं किया था। भारत सरकार द्वारा सरकारी कामकाजों के निर्वाह के लिए शब्दावली आयोग का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से हिन्दी के शब्द भंडार में काफी वृद्धि हुई। हिन्दी के मानक व्याकरण का निर्माण, कोश निर्माण कार्य के अतिरिक्त व्यापार, कानून, सरकारी कार्य के अनुरूप हिन्दी शब्दोंका निर्माण किया गया। एक विषय के रूप में प्रयोजनमूलक हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्री मोटूरि सत्यनारायण को जाता है जिन्होंने सन् 1975 में केंद्रीय हिन्दी संस्थान के माध्यम से इस विषय को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। इसी वर्ष प्रयोजनमूलक हिन्दी पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हिन्दी संस्थान ने किया, जिसके माध्यम से प्रयोजनमूलक हिन्दी के पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। दक्षिण भारत में प्रयोजनमूलक का पाठ्यक्रम दक्षिण भारत प्रचार सभा के उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के हैदराबाद और धारवाड़ परिसरों में एम. ए. स्तर पर सर्वप्रथम चला है। पुणे विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में एम. ए. पाठ्यक्रम भी बहुत पहले शुरू हो चुका था। बी.एच.यू ने प्रयोजनमूलक हिन्दी में एम. ए. पाठ्यक्रम की शुरुआत सन् 1999 से की। यू. जी.सी.ने स्नातक स्तर पर प्रयोजनमूलक हिन्दी के पाठ्यक्रम को अब तो हर विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य कर दिया है।

अभ्यास प्रश्न 1

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1. 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' नामकरण का औचित्य सिद्ध कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. प्रयोजनमूलक हिन्दी की अवधारणा बताइए।

.....

.....

.....

.....

(ख) हाँ / नहीं का चुनाव कीजिए :-

1. सामान्य बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा एक ही है। (हाँ/नहीं)
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का सम्बन्ध व्यावसायिक हिन्दी से है। (हाँ/नहीं)
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी का एक नाम व्यावसायिक हिन्दी भी है। (हाँ/नहीं)
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी, फंक्शनल हिन्दी का पर्याय है। (हाँ/नहीं)
5. प्रयोजनमूलक हिन्दी के विकास में केंद्रीय हिन्दी संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। (हाँ/नहीं)

12.4 प्रयोजनमूलक हिन्दी के क्षेत्र

हमने पढ़ा कि प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ क्या है तथा विभिन्न विद्वानों के उस पर क्या अभिमत हैं। हमने यह भी अध्ययन किया कि सामान्य बोलचाल की भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा का क्या अन्तर है। आइए अब हम प्रयोजनमूलक हिन्दी का शब्द-संपदा के आधार पर निर्मित क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। हमने अध्ययन किया कि जीविकोपार्जन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा ही प्रयोजनमूलक भाषा है। अब प्रश्न यह है कि इस भाषा के क्षेत्र कौन से हैं। सामाजिक जीवन क्रम में, विकास की स्थिति में, भाषा विस्तार की स्थिति में भाषा के कई क्षेत्र हो जाते हैं। डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार प्रयोजनमूलक हिन्दी के दो मुख्य भेद होते हैं और उसके अनेक उपभेद होते हैं। डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा ने प्रयोजनमूलक हिन्दी के दो मुख्य भेद किये हैं

1. Core Hindi

2. Advanced Hindi

Core Hindi को डॉ. वर्मा ने पुनः चार उपभेदों में विभाजित किया है - क. कार्यालयी हिन्दी ख. व्यावसायिक हिन्दी ग. तकनीकी हिन्दी घ. समाजी हिन्दी। एम. सत्यनारायण ने प्रयोजनमूलक हिन्दी के क्षेत्र विभाजन करते हुए लिखा है - 1. सामान्य सम्प्रेषण माध्यम 2. सामाजिक 3.

व्यावसायिक 4.कार्यालयी 5. तकनीकी 6. सामान्य साहित्य। डॉ. भोलानाथ तिवारी तथा विनोद गोदरे ने प्रयोजनमूलक हिन्दी के क्षेत्र विस्तार को स्पष्ट रूप से समेटते हुए उसके प्रमुख भेद स्वीकार किये हैं -

1. **बोलचाल की हिन्दी** - इसके अंतर्गत बोलचाल के सामान्य रूप की हिन्दी भाषा आती है।
2. **व्यापार की हिन्दी** - व्यापार की हिन्दी के अंतर्गत बाजार, सराफे एवं मंडी की भाषा आती है।
3. **कार्यालय हिन्दी** - कार्यालय हिन्दीके अन्तर्गत कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा आती है।
4. **शास्त्रीय हिन्दी** - प्रयोजनमूलक इस भाषा के अन्तर्गत विभिन्न काथ कलाएँ तथा मानवीय एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों से संबंधित भाषा आती है।
5. **वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी** - प्रयोजनमूलक हिन्दी के इस रूप के अन्तर्गत इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्र तथा विज्ञान के विविध क्षेत्रों की भाषा आती हैं।
6. **समाजी हिन्दी** - प्रयोजनमूलक हिन्दी के इस क्षेत्र के अन्तर्गत समाज के उच्च क्रिया कलाप का अध्ययन किया जाता है।
7. **साहित्यिक हिन्दी** - प्रयोजनमूलक हिन्दी के इस क्षेत्र के अन्तर्गत कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी जैसी विधाओं की भाषा आती हैं।
8. **प्रशासनिक हिन्दी** - प्रयोजनमूलक हिन्दी के इस क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त भाषा एवं उसकी पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन किया जाता है।
9. **जनसंचार माध्यम की हिन्दी** - प्रयोजनमूलक हिन्दी के इस क्षेत्र के अन्तर्गत जनसंचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन, रेडियो,कम्प्यूटर एवं समाचार पत्रों की भाषा आती है। विनोद गोदरे द्वारा रचित ' प्रयोजनमूलक हिन्दी ' पुस्तक में हिन्दी के प्रयोजनमूलक उपर्युक्त भेद मिलते हैं। क्षेत्र विभाजन के इस भेद में अतिव्याप्ति दोष है। प्रयोजनमूलक भाषा के अंतर्गत साहित्यिक हिन्दी, बोलचालीय हिन्दी तथा समाजी हिन्दी को भी समाविष्ट कर लिया गया है। वस्तुतः प्रयोजनी हिन्दी के अंतर्गत ऐसी भाषा को ही समाविष्ट किया जा सकता है जो व्यापक रूप से रोजगार, व्यवसाय एवं तकनीक से जुड़ी हुई हो।

12.4.1 प्रयोजनमूलक हिन्दी की शैलियाँ और प्रयुक्ति

प्रयोजनमूलक भाषा का संबंध भारत के संदर्भ में सन् 1947 के बाद प्रारम्भ हुआ। 1947 ईसवी से पूर्व भारत वर्ष के अधिकांश कार्यों की भाषा अंग्रेजी थी। कचहरियों में हाँलाकि देवनागरी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन वहाँ अंग्रेजी और उर्दू भाषा की ही प्रधानता थी। व्यापार की भाषा पर अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य था। वही स्थिति कार्यालय तथा प्रशासन की भाषा का भी था। भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। हिन्दी के राजभाषा के रूप में स्वीकृति के पश्चात् भाषा के मानकीकरण एवं नियोजन की प्रक्रिया को भी बल मिला। भाषा नियोजन की संकल्पनाएँ सामने आईं। डॉ. दिलीप सिंह ने प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रयुक्तिपरक विश्लेषण पर टिप्पणी करते हुए लिखा है: “आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा को देखने की दो दृष्टियाँ प्रचलित हैं। एक दृष्टि यह बताती है कि भाषा क्या है? उसकी व्याकरणिक व्यवस्था कैसी है? और संरचना के उसके नियम क्या हैं? दूसरी दृष्टि भाषा के व्यावहारिक पक्ष से संबद्ध होकर यह बताती है कि भाषा किन प्रयोजनों को साधती है, उसके प्रयोक्ता भाषा से क्या कार्य लेते हैं। इस दूसरी दृष्टि के संदर्भ में यह तथ्य भी स्वीकार्य है कि कोई भाषा व्यवहार में समरूपी नहीं होती।” भाषा की विषय विविधता या रूपता भाषा प्रयोग के धरातल पर परखी जाती है। विषय के अनुसार जिस प्रकार भाषा बदलती है, उसी प्रकार उसका प्रकार्यात्मक रूप भी बदलता रहता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम इसे समझना चाहें तो कह सकते हैं कि विधि क्षेत्र की भाषा, बैंक, पत्रकारिता, विज्ञान, व्यवसाय, मनोरंजन, साहित्य, कार्यालय इत्यादि की भाषा एक दूसरे से भिन्न होती है। डॉ. दिलीप सिंह के अनुसार “भाषा अध्ययन की इस दूसरी दृष्टि ने ही प्रयोग के स्तर पर विषय परक या व्यपहार क्षेत्र बाधित भाषा रूपों को प्रयुक्ति (Register) की संज्ञा दी है। भाषा प्रयुक्ति को समझाने के लिए इसे ‘सीमित भाषा रूप’ कहा गया है। भाषा के व्यापक स्वरूप को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भाषा के व्यापक स्वरूप से निसृत यह एक सीमित रूप है जो किसी विशिष्ट व्यवहार क्षेत्र में संप्रेषित होती है।

भाषा, सामाजिक सम्प्रेषण की प्रक्रिया में ही अस्तित्व ग्रहण करती है। एक सामाजिक व्यक्ति को समाज के अनुरूप कई भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं। आजकल सफल व्यक्ति वही है जो सामाजिक सम्प्रेषण की विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित हो। व्यापक सम्प्रेषण की प्रक्रिया से जुटने के लिए व्यक्ति को ‘व्यापक कोड’ और ‘सीमित काड’ की भूमिका से परिचित होना पड़ता है। भाषा के संदर्भगत विशिष्ट प्रयोग को ही ‘सीमित काड’ कहा गया है। जैसे - वैज्ञानिक पाठ का कोड, धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकाण्ड का कोड, व्यापार का कोड, अपराध जगत का कोड, सिनेमा - मीडिया का कोड, शेयर बाजार का कोड, कार्यालय का कोड, या किसी भी अन्य कारण से समाज का एक वर्ग जो अन्य लोगों के बिना ही अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी कर पाने में सक्षम सिद्ध हो रहा है। भाषा के इस सीमित कोड को हम ‘प्रयुक्ति’ कहते हैं। यहाँ हमें बोलियों और प्रयुक्ति के बीच के अन्तर को समझ लेना चाहिए। जहाँ बोलियों के रूप भेद का कारण “प्रयोक्ता”

होता है वहीं प्रयुक्तियों के भेद का आधार 'प्रयोग' अर्थात् विषय होता है। भाषा - प्रयुक्ति के विभिन्न भाषा रूपों के दो संदर्भ होते हैं - एक, भाषा शैली का संदर्भ और दूसरे, भाषा प्रयुक्ति का संदर्भ। भाषा प्रयोग के धरातल पर कई संदर्भों एवं विषयगत प्रयोगों के विश्लेषण के आधार पर संचालित होती है। भाषा - प्रयुक्ति पर कार्य करने वाले अध्येता हैलिडे ने प्रयुक्ति का वर्गीकरण कर इसे तीन आयामों में विभक्त किया है - वार्ता क्षेत्र, वार्ता प्रकार और वार्ता शैली। तीनों आयामों को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। वार्ता क्षेत्र का संबंध विषय क्षेत्र से है। जैसे कार्यालय -हिन्दी में भाषा प्रयुक्ति होगी - गोपनीय, तत्काल, कार्रवाही करें, अग्रसारित, आदेशित, सूचित किया जाता है, देख लें 'आख्या हेतु प्रस्तुत' इत्यादि। क्रिकेट की हिन्दी का उदाहरण देखें - रन आउट, एल.पी.डब्ल्यू, सिली प्वाइंट, छक्का, चौका, रन रेट, थर्ड अपायर, थर्ड मैन, पिच, स्लो, फास्ट, इत्यादि। शोयर बाजार में प्रयुक्त हिन्दी को देखें - चाँदी लुढ़की, सोना उछला, दाल नरम, बाजार तेज, धनिया नरम, चावल गरम, इत्यादि। विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा - प्रयुक्ति देखें - डर के आगे जीत है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, कुछ मीठा हो जाये, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा-ठंडा कूल-कूल, दूढ़ते रह जाओगे, खबसूरती को और क्या चाहिए, ये दिल माँगे मोर, टेस्ट द ठंडा, देश की धड़कन -हीरो होन्डा, इत्यादि।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि विषय क्षेत्रों के आधार पर भाषा रूप बदल जाते हैं और उन भाषा रूपों को वार्ता क्षेत्र की प्रयुक्ति कहा जाता है। वार्ता - प्रकार की प्रयुक्ति का सम्बन्ध संदर्भ, प्रयोक्ता और प्रयोजन के निहितार्थ पर आधारित है। एक ही व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिका के अनुसार अलग-अलग शब्द- रूपों का व्यवहार करता है। एक व्यक्ति पत्नी, माँ, बहन, भाई, मित्र, कार्यालय, समाज और लेखन में परस्पर भिन्न भाषा का व्यवहार करता है। वार्ता प्रकार को समझने के लिए संस्कृत काव्यशास्त्र का ध्वनि सम्प्रदाय भी हमारी थोड़ी मदद कर सकता है। **शाम हो गई** वाक्य का निहितार्थ अलग-अलग हो सकता है। यदि यह वाक्य कोई सास अपने बहू से कहती है तो इसका अर्थ है कि अब रात के खाने - पीने का इन्तजाम करो। इसी वाक्य को कोई पुजारी अपने शिष्य से कहता है तो उसका अर्थ होगा कि अब संध्या - पूजन की तैयारी करो। कोई राहगीर दूसरे साथी राहगीर से कहता है तो उसका अर्थ होगा कि अब रात्रि - विश्राम की व्यवस्था करो। कह सकते हैं कि वार्ता - प्रकार संदर्भ, प्रकरण, प्रयोक्ता, ग्राहक, काल, इत्यादि कई तत्वों से संयोजित प्रयुक्ति है। वार्ता - क्षेत्र एवं वार्ता - प्रकार के आधार पर वार्ता - शैली निर्धारित होती है। कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक भाषा की प्रयोजनमूलक शैलियों को ही प्रयुक्ति कहा जाता है। (दिलीप सिंह) विषय से बँधकर भाषा जिन भेदों को जन्म देती है, वह भेद ही प्रयुक्ति है। **विशिष्ट विषय परक प्रयोग** ही भाषा की प्रयोजनमूलकता का आधार है।

अभ्यास प्रश्न 2

(क) निम्नलिखित शब्दों पर टिप्पणी लीखिए।

1) सामान्य हिन्दी

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) साहित्यिक हिन्दी

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) प्रयुक्ति

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) प्रशासनिक हिन्दी

.....

.....

.....

.....

5) वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी

(ख) कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए

- 1) प्रयोजनमूलक हिन्दी का पर्याय है (कामकाजी/समाजी/साहित्यिक)
- 2) ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार प्रयोजनमूलक हिन्दी के मुख्य भेद हैं (2/4/6)
- 3) जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। (दूरदर्शन/शेयर/कार्यालय)
- 4) तकनीकी हिन्दी के अंतर्गत हैं। (वैज्ञानिक/कार्यालयी/ विधि)
- 5) 'चाँदी लुढ़की' प्रयुक्त का संबंध हैं। (शेयर/कार्यालय/ विज्ञान)

12.5 प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रदेय एवं मूल्यांकन

पूर्व में आपने पढ़ा कि प्रयाजनमूलक हिन्दी की आवश्यकता तब महसूस की जाने लगी, जब भाषा अपनी सामाजिक अभिव्यक्ति /सम्प्रेषणीयता में अक्षम सिद्ध होने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक हिन्दी साहित्य की दृष्टि से तो श्रेष्ठ भाषा बन गई थी, किन्तु इसमें रोजगार के अवसर परम्परागत रूप से अध्यापन को छोड़कर अन्य कुछ न थी। हिन्दी समाचार पत्र भी निकल रहे थे, लेकिन उनमें भी वही व्यक्ति सफल था जो साहित्य में था या साहित्यिक पत्रकारिता करता था। कुल मिलाकर हिन्दी भाषा का तात्पर्य साहित्यिक हिन्दी से ही समझा जाता था। सन् 1949 ई. में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त हिन्दी भाषा में सरकारी काम काज की बाध्यता महसूस की जाने लगी। इसी क्रम में संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को खण्ड - क, ख, एवं ग के रूप में विभक्त किया गया। खण्ड क एवं ख क्षेत्रों में हिन्दी भाषा में पत्राचार को अनिवार्य कर दिया गया। इस कार्य से हिन्दी भाषा का प्रचार प्रसार तो बढ़ा ही ,

रोजगार के नये अवसर भी बढ़े। भाषा के प्रयोजनमूलक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भाषा की सामाजिक उपयोगिता पर नये सिरे से विचार-विमर्श किया जाने लगा।

भारत के सरकारी कामकाज की भाषा से हिंदी बहुत समय से विच्छिन्न रही है। प्राचीन काल में राजदरबार की भाषा संस्कृत बनी, मध्यकाल में फारसी एवं आधुनिक काल में अंग्रेजी। सत्ता और भाषा का गहरा सम्बन्ध होता है। सत्ता को जिस भाषा से वर्चस्व में मदद मिलती है, वह उसे अपनाती है। हिन्दी इस दृष्टि से वर्चस्व एवं सत्ता की भाषा कभी नहीं बनी। लैटिन, फेंच एवं अंग्रेजी की तरह सत्ता एवं बाजार खेल की बजाय यह बराबर लोक भाषा बनी रही। सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकृत होने के बावजूद इसने कभी भी आधिपत्यकारी भावनाओं को बढ़ावा नहीं दिया, हाँलाकि इसके आरोपी इसके ऊपर बराबर यह आरोप लगाते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी के प्रयोजनमूलक रूप ने भारतीय समाज व्यवस्था अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक-शैक्षिक उन्नति के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। प्रयोजनमूलक हिन्दी ने शब्दों के मानकीकरण, कोश, व्याकरण, शब्दावली के क्षेत्र में मूलभूत कार्य किया। लोक से जुड़ा व्यक्ति शब्दों का इस्तेमाल किन संदर्भ विशेष में करता है, उसका सामाजिक-सांस्कृतिक अर्थ तो हमें मालूम था, लेकिन उसका व्यावहारिक एवं आर्थिक कारण हमें नहीं मालूम था। प्रयोजनमूलक अवधारणा का मूल सम्बन्ध रोजगार से है। कार्यालय, व्यवसाय, विधि, पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर प्रयोजनमूलक अवधारणा की ही देन है।

12.6 सारांश

प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य है कामकाजी हिन्दी या व्यावसायिक हिन्दी से। स्वतंत्रता पूर्व हिन्दी भाषा का तात्पर्य था बोलचाल की हिन्दी या साहित्यिक हिंदी से। लेकिन वर्तमान युग में वही भाषा जीवित रह सकती है जिसके पास समृद्ध साहित्य और संस्कृति तो है ही इसके अतिरिक्त बाजार की जरूरतों के अनुरूप सम्प्रषण की क्षमता भी हो। विधि की भाषा या विज्ञान की भाषा जाहिर है सामान्य बोलचाल की भाषा या साहित्यिक की भाषा से भिन्न होगी। पत्रकारिता या जनसंचार की भाषा, व्यवसाय की भाषा, शेयर मार्केट की भाषा इत्यादि की भाषा बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। भाषा के इसी सीमित प्रयोग को 'प्रयुक्ति' कहा गया है। विषय भेद के अनुसार प्रयुक्तियों के भी उप-विभाजन हो जाते हैं, जिन्हें उप-प्रयुक्ति कहते हैं। प्रयोजनमूलक हिन्दी के नामकरण के संदर्भ में भी भ्रम फैलाया गया ? वस्तुतः व्यवसाय एवं रोजगार के प्रयोजन से विकसित हिन्दी ही प्रयोजनमूलक हिन्दी है।

12.7 शब्दावली

- प्रयोजनमूलक - किसी खास उद्देश्य से किया गया कार्य, भाषा के संदर्भ में रोजगार परक भाषा को प्रयोजनमूलक भाषा कहा गया है
- वाणिज्य - व्यापार
- मानकीकरण - भाषा के रूप को स्थिर करने की प्रक्रिया
- प्रयुक्ति - भाषा का संदर्भगत प्रयोग
- वार्ता क्षेत्र - भाषा व्यवहार का विषय क्षेत्र
- व्यापक कोड - भाषा का व्यापक संदर्भ में प्रयोग
- सीमित कोड - भाषा का सीमित संदर्भ में प्रयोग
- रुपान्तरण - भाषा का सामाजिक संदर्भ के अनुसार परिवर्तन
- नियोजन - भाषा को विषय वस्तु एवं व्याकरण के अनुसार संयोजित करना
- विश्लेषण - भाषा का सामाजिक संदर्भ के अनुसार उसकी भूमिका का निर्धारण

12.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

ख) 1. नहीं 2. हाँ 3. हाँ 4. हाँ 5. हाँ

अभ्यास प्रश्न 2

1. कामकाजी 2. 2 3. दूरदर्शन 4. वैज्ञानिक 5. शेर

12.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गोदरे, विनोद, प्रयोजनमूलक हिन्दी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. गवेषणा पत्रिका 67-68, केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा।
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी, केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा।
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली।

-
5. गोस्वामी, कृष्णकुमार, प्रयोजनमूलक हिन्दी ओर कार्यालयी हिन्दी, कलिंगा प्रकाशन, नई दिल्ली।

12.10

सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ, प्रयोजनमूलक हिन्दी: चर्चा-परिचर्चा।
2. कंसल, हरिबाबू व बंधु, सुधांशु, राजभाषा हिन्दी: सघर्षों के बीच।

12.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी की सामाजिक उपयोगिता पर निबन्ध लिखिए।
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी की उप - प्रयुक्तियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

इकाई 13 पत्राचार: कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र

इकाई की रूपरेखा

- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 उद्देश्य
- 13.3 पत्राचार : अर्थ एवं विशेषताएं
- 13.4 पत्राचार के प्रमुख अंग
- 13.5 कार्यालयी पत्राचार के विभिन्न रूप
- 13.6 व्यावसायिक पत्र के अर्थ और प्रकार
- 13.7 व्यावसायिक पत्र के अंग
- 13.8 सारांश
- 13.9 शब्दावली
- 13.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 13.11 उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 13.12 निबंधात्मक प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में आप 'पत्राचार' के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्राचार जीवन का अनिवार्य अंग है चाहे वह पत्र लेखन के रूप में हो या ई-मेल के रूप में या एस.एम.एस. के रूप में। कार्यालय और व्यवसाय में तो पत्राचार की विशिष्ट भूमिका होती है। इसके बिना न तो कार्यालय का कार्य-संपादन हो सकता है और न ही व्यवसाय को गति मिल सकती है। इस इकाई में आप पत्राचार का अर्थ, उसके अंग और उसके विभिन्न रूपों से परिचित होंगे। आप पत्राचार की विशेषताओं को भी जान पाएंगे और उसके प्रारूप से भी अवगत होंगे ताकि आप विषय को समझते हुए सामग्री संकलित कर सकें और पत्र लेखन कर सकें। आशा है कि इस पढ़ने के बाद आप पत्राचार को भली भांति समझ सकेंगे और उसका लेखन करने में आपको इससे मदद मिल सकेगी।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई का पढ़ने के बाद आप यह जान पाएंगे कि -

- पत्राचार क्या है ? उसके कौन-कौन से अंग हैं ?
- कार्यालय पत्र क्या है और उसके कौन-कौन से अंग हैं ?
- कार्यालय पत्र का लेखन किस प्रकार किया जाता है ?
- व्यावसायिक पत्र क्या है और उसके कौन-कौन से अंग हैं ?
- व्यावसायिक पत्र का लेखन किस प्रकार किया जाता है ?
- पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए।

13.3 पत्राचार : अर्थ एवं विशेषताएं

पत्राचार मूल रूप से पत्र लेखन है। यह एक कला है और जो इस में निपुण होता है वह सरकारी और व्यावसायिक दोनों प्रकार के पत्र लेखन को कर सकता है। 'पत्राचार' शब्द का निर्माण दो शब्दों के मेल से हुआ है। इसमें एक शब्द है 'पत्र' और दूसरा शब्द है 'आचार'। 'पत्र' एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषण का एक माध्यम है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच संपर्क का एक सूत्र है। इसी का विकसित रूप आप आज ईमेल के रूप में देख रहे हैं। 'आचार' शब्द 'व्यवहार' का प्रकट करता है। लेखन से लिखने का बोध होता है। इस प्रकार 'पत्राचार' उस प्रक्रिया या पद्धति को कह सकते हैं जिसमें पत्र लेखन से लेकर पत्र प्राप्ति निहित है। यह उर्दू में 'खत-किताबत' कहलाता है और अंग्रेजी में इसे 'कॉर्रेस्पोंडेंस' कहा जाता है। रघुनंदन प्रसाद शर्मा इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कार्यालयों आदि में सरकार की रीति नीति की व्याख्या और कार्य के संबंध में किसी भी संगठन, संस्था, व्यक्ति आदि को लिखित रूप में जो कुछ भी कहा अथवा बताया जाता है, उसे पत्राचार की संज्ञा दी जाती है। (पृ०-31) सरकारी क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्र में पत्राचार का विशेष महत्व है क्योंकि वहां लिखित शब्द की सत्ता है न कि उच्चरित शब्द की।

पत्राचार को रोचक, आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है-

1. **सरलता, सहजता और रोचकता** - पत्राचार सरल होना चाहिए तभी उसमें रोचकता आएगी। पत्राचार में भाषा सीधी-सादी होनी चाहिए। उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अतः किसी पत्र के अनुवाद से बचना चाहिए और अनुवाद करके किसी को भी पत्र नहीं भेजना

चाहिए। पत्राचार सहज लगे इसके लिए जरूरी है कि उसमें जो कुछ भी व्यक्त किया जाए, वह कार्यालय की रीति, नीति और कार्य के अनुरूप हो। पत्र में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पत्रों की भाषा में बहुज्ञता के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं होती। तथ्यों की प्रस्तुति पर विशेष बल रहना चाहिए, चाहे पत्र सरकारी हो या व्यावसायिक।

2. **संक्षिप्तता, स्पष्टता और पूर्णता** - पत्राचार के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि पत्र में जो कुछ लिखा जाए वह संक्षेप में हो लेकिन अपने में स्पष्ट और पूर्ण हो। ऐसा न हो कि मूल कथ्य ही कमजोर पड़ जाए। मुख्य बात पत्र में अवश्य आ जानी चाहिए। स्पष्टता के लिए आवश्यक है कि पत्र में लिखावट पढ़ने योग्य हो। सबसे अच्छा तो यह है कि पत्र टाइपराटर या कंप्यूटर से टंकित हो। यदि पत्र लंबा लिखना हो तो उसके लिए पर्याप्त समय, सामग्री और धैर्य अपेक्षित है।

3. **आकर्षक और सुरुचिपूर्ण** - पत्राचार को आकर्षक और सुरुचिपूर्ण भी बनाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि भाषा विषय के अनुकूल हो। शब्द चयन नितांत सटीक और वाक्य छोट-छोटे हों। लंबे वाक्यों के प्रयोग से पत्र लेखक को बचना चाहिए। यदि कोई कठिन शब्द है जो उसका सरल रूप प्रयोग में लाना चाहिए। अनुच्छेद भी छोटे-छोटे और एक ही भाव को व्यक्त करने वाले हों। भाषा-शैली एक विशेष शिष्ट स्वरूप लिए होनी चाहिए जिससे पत्र लेखक की शालीनता का बोध हो सके। यदि मुद्रित पत्र शीर्ष वाले कागज का प्रयोग पत्राचार के लिए किया गया है तो उसकी साज सज्जा आकर्षक और मनोहारी होनी चाहिए। सादे कागज पर लिखा गया पत्र भी अपनी लिखावट की सुंदरता, स्पष्टता, उचित लेखन-शैली, संबोधन, अभिवादन आदि से भी पाठक का ध्यान आकृष्ट कर लेता है।

4. **विराम चिह्नों का उचित प्रयोग** - इस ओर पत्र लेखक को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसे भाषा और भावों को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। अनावश्यक रूप से विराम, कॉमा, कोष्ठक आदि को लगा देने से कभी अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है और पत्र का उत्तर प्रतिकूल भी मिल सकता है।

16.4 पत्राचार के प्रमुख अंग

पत्राचार की विभिन्न विशेषताओं से आप अवगत हो गए होंगे। अब यह जरूरी है कि आपको पत्राचार के विभिन्न अंगों से भी परिचित करा दिया जाए। पत्राचार के अंगों को सुविधा की दृष्टि से निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है-

1. **शीर्षक** - शीर्षक प्रायः छपा हुआ होता है। इसमें प्रेषक संस्था का नाम, तार का पता और टेलीफोन नंबर होता है। आजकल मोबाइल नंबर और ईमेल भी दिया जाता है।

2. **प्रेषक का पता** - यह पत्र के दाहिनी ओर रहता है। इसमें संस्था का पूरा पता, नगर का नाम, पिन कोड, ई मेल का पता आदि दिया जाता है।
3. **पत्र संख्या** - यह बाईं ओर लिखी जाती है। इससे फाइल में रखने और साथ लगाने में सहयोग मिलता है।
4. **दिनांक** - संदर्भ के लिए दाहिनी ओर लिखा जाता है।
5. **प्राप्तकर्ता** - यह वह व्यक्ति है जिसे पत्र भेजा जा रहा है। इसका पूरा पता ऊपर बाईं ओर दिया जाता है।
6. **विषय** - यह पत्र के भाव का संक्षिप्त रूप होता है। इसका लाभ यह होता है कि प्राप्तकर्ता तुरंत समझ लेता है कि पत्र किस संबंध में है और इससे समय की बचत भी होती है।
7. **संबोधन** - यह अलग-अलग पत्रों में अलग-अलग प्राप्तकर्ता के अनुसार होता है। जैसे- कहीं 'प्रिय महोदय', कहीं 'महोदय,' कहीं 'प्रियवर' और कहीं 'प्रिय श्री'।
8. **प्रारंभ** - पत्र के प्रारंभ में संदर्भ, दिनांक और विषयवस्तु को लिया जाता है।
9. **कलेवर** - यह पत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसे मूल कथ्य या मुख्य भाग भी कहा जाता है। इसमें प्रेषक प्राप्तकर्ता को बताने वाली और पूछने वाली बातों का अलग-अलग अनुच्छेद में उल्लेख करता है। प्रत्येक अनुच्छेद अपने पूर्व के अनुच्छेद से जुड़ा हुआ होना चाहिए। भाषा स्पष्ट और सहज हो, द्वियर्थक शब्दों का प्रयोग पत्र के कलेवर में न हो। वाक्य छोटे- छोटे होने चाहिए।
10. **उपसंहार** - इसे समापन भी कहते हैं लेकिन इससे पूर्व धन्यवाद ज्ञापन किया जाना चाहिए।
11. **अधोलेख** - इसे हस्ताक्षर से पूर्व लिखा जाता है, जैसे- भवदीय, आपका, आपका आज्ञाकारी आदि।
13. **हस्ताक्षर** - अधोलेख के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं।
13. **प्रेषक का नाम** - इसे हस्ताक्षर के बाद लिखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभी हस्ताक्षर सुपाठ्य नहीं होते। अर्ध सरकारी पत्र में इस स्थान पर पदनाम न देकर केवल नाम दिया जाता है। जहां किसी बड़े अधिकारी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति हस्ताक्षर करता है तो वहां कृते, कुलसचिव आदि का प्रयोग किया जाता है।

14. **प्रेषक का पदनाम** - इसे प्रेषक के नाम के बाद लिखा जाता है। (कहीं-कहीं यह नहीं भी दिया जाता है)
15. **संलग्नक** - ये पत्र के साथ लगने वाले कागज होते हैं और इनका उल्लेख बाईं ओर किया जाता है।

इन सभी अंगों को इस रूप में भी समझा जा सकता है-

- (1) भारतीय संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

तार :

फोन :

- (2) जे - 25, कंचनजंघा बिल्डिंग,
कनॉट प्लेस पो0 आ0
नई दिल्ली-110001
दिनांक.....

(3) संख्या.....

(5) सर्वश्री.....

.....

.....

(6) विषय:

(7) महोदय,

(8) प्रारंभ

(9) कलेवर

(10) समापन

(11) भवदीय

(12) हस्ताक्षर

(13) नाम

(14) पदनाम

(15) संलग्नक

यहां उल्लेखनीय है ये सभी अंग पत्राचार के सभी रूपों में समान रूप से हों यह आवश्यक नहीं है। कई रूपों में अनेक अंग नहीं होते और अनेक रूपों में इनके स्थान बदल जाते हैं। जैसे कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में संबोधन और अधोलेख नहीं होता। पत्र में प्राप्तकर्ता का नाम ऊपर होता है जबकि कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में नीचे होता है। तार और अर्धसरकारी पत्रों में विषय नहीं दिया जाता। कई पत्रों में भवदीय या आपका बाईं ओर रहता है तो कई में दाहिनी ओर। अक्सर दाहिनी ओर ही लिखा जाता है।

13.5 कार्यालयी पत्राचार के विभिन्न रूप

कार्यालयी पत्राचार के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं-

- पत्र
- अर्धसरकारी पत्र
- तार
- त्वरित पत्र
- मितव्यय पत्र/कूट पत्र
- कार्यालय ज्ञापन
- ज्ञापन
- कार्यालय आदेश
- आदेश
- परिपत्र
- अनुस्मारक
- सूचना
- पृष्ठांकन
- विज्ञापन
- निविदा सूचना
- अधिसूचना
- प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट
- अनौपचारिक टिप्पणियां
- आवेदन-पत्र

- अभ्यावेदन
- प्राप्ति सूचना
- संकल्प

1. **पत्र:** इसका प्रयोग विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, निर्वाचन आयोग, सार्वजनिक निकायों आदि से औपचारिक पत्र-व्यवहार के लिए किया जाता है। यही नही जनता और सरकारी कर्मचारियों का संस्थाओं अथवा संगठनों के सदस्यों के साथ भी पत्र-व्यवहार हेतु पत्र का प्रयोग किया जाता है लेकिन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच पत्र-व्यवहार हेतु इसका प्रयोग नहीं होता। पत्रों में संबोधन 'महोदय' के रूप में होता है और पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में 'भवदीय' का प्रयोग होता है।

यहां सरकारी पत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत है-

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

सेक्टर 15,

नोएडा,

दिनांक.....

संख्या.....

डॉ. अनुज शुक्ला
38, वृंदावन अपार्टमेंट्स,
प्लॉट नं. 110,
नई दिल्ली-110092

विषय: कार्यशाला में व्याख्यान हेतु निमंत्रण

प्रिय महोदय,

उक्त संदर्भ में कृपया दिनांक.....के पत्र सं.का अवलोकन करें। हम अपने कार्यपालकों के लिए 21 मई 2012 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इसके द्वितीय सत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए पधारने के कृपा करें-

इसके लिए संस्थान के नियम के अनुसार मानदेय देने की भी व्यवस्था है।

धन्यवाद

आपका

द्विजेश उपाध्याय

राजभाषा अधिकारी

पत्र का प्रारंभ करते समय मूल रूप से निम्न प्रकार के वाक्य लिखे जाते हैं-

आपके दिनांक.....के पत्र संख्या.....के प्रसंग में निवेदन है कि पत्र संख्या.....को संबोधित आपके दिनांक.....के पत्र सं० के उत्तर में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि.....

या

इस कार्यालय के पत्र संख्या.....दिनांक.....के संदर्भ में-की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि.....

या

आज आपके प्रतिनिधि से टेलीफोन/मोबाइल पर बातचीत हुई उसकी पुष्टि में मुझे यह कहना है.....

इस प्रकार के अन्य अनेक रूप हो सकते हैं।

2. **अर्ध सरकारी पत्र:** सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र-व्यवहार में विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों में किसी निर्धारित क्रिया-विधि की आवश्यकता नहीं होती। जब अनुस्मारक भेजने पर भी कोई उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता और किसी मामले पर किसी अधिकारी को ध्यान दिलाना हो या आकर्षित करना हो तो वहां अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। ये पत्र व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी को उसके नाम से लिखे जाते हैं और अंत 'आपका' से होता है। अधिकारी इस पर हस्ताक्षर करते समय उसके नीचे आम तौर पर अपना नाम नहीं लिखते। इसमें विषय नहीं लिखा जाता और पत्र भेजनेवाले अधिकारी का नाम और पदनाम ऊपर बाईं ओर दिया जाता है और प्राप्त करने वाले का पूरा पता बाईं ओर दिया जाता है। यहां इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है-

.....

अ. स. प. स.

संयुक्त सचिव
भारत सरकार,
नारकोटिक्स निदेशालय, ग्वालियर
दिनांक

प्रिय श्री.....

दिल्ली और अन्य महानगरों में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना लागू है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को संतोषप्रद चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। मैंने अपने यहां भी यह योजना लागू करने के लिए आपसे वार्ता की थी।

अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे जिला मुख्यालयों में जहां केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या अधिक है, वहां केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने पर विचार करें। आप इस संदर्भ में विचारों से अवगत कराएं।

आपका
क ख ग
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य मंत्रालय,
भारत सरकार

3. **तार:** ये अत्यंत जरूरी अवसर पर ही भेजे जाते हैं लेकिन आजकल वायरलेस, फैक्स, एस.एम.एस. और इंटरनेट की सुविधा होने के कारण इसकी उपयोगिता कम हो गई है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाती है और अत्यंत सावधानी रखी जाती है। बात का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट और संक्षिप्त होता है लेकिन संक्षिप्तता के फेर में अटपटी भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए अन्यथा अस्पष्टता आ जाएगी। तार दो प्रकार के होते हैं- शब्दबद्ध तार और बीजक (कूट भाषा)। जैसे - निदेशक बीस को सुबह कालका मेल से चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं

4. **त्वरित पत्र:** इन पत्रों की भाषा तार की ही तरह होती है और ये डाक से भेजे जाते हैं। प्राप्त करने वाले को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी होती है। इसमें भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के पते विस्तार से नहीं लिखे जाते और न ही विषय लिखा जाता है। इसका संकेत लाल रंग का होता है जो पत्र के ऊपर चिपका दिया जाता है और जिस पर एक्सप्रेस लिखा होता है। अब इसका प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। यथा-

प्रेषक: रेलवेज, नई दिल्ली

सेवा में: सी0 सी0 सी0, मुगलसराय, नई दिल्ली, दिनांक.....

सं०.....विगत मास हुई रेल दुर्घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा आपसे अभी भी अपेक्षित (,) मामला (,) कृपया तुरंत भिजवाएं (,) यदि कोई विशेष ब्यौरा नहीं मिल पाया हो तो उसकी सूचना भी तुरंत दीजिए (,)

संजीव कुमार सिंह

उप निदेशक, रेलवे बोर्ड

5. **मितव्यय पत्र/कूट पत्र:** जब विदेशों में स्थित अपने दूतावासों तथा अन्य कार्यालयों से पत्राचार करते समय कोई गुप्त बात कहनी हो जिसे कूटभाषा में लिखना आवश्यक हो तो त्वरित पत्र के स्थान पर मितव्यय पत्र/कूट पत्र भेजा जाता है। इसे साइफर तार की तरह कूट भाषा में लिखकर राजनयिक थैले या रजिस्ट्री बीमा द्वारा भेजा जाता है। इसके द्वारा समुद्री तार का व्यय बचाया जाता है इसलिए इसे मितव्यय पत्र की संज्ञा दी गई है।

6. **कार्यालय ज्ञापन:** इनका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आपसी पत्राचार हेतु किया जाता है। इसे अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है और संख्या सबसे ऊपर रहती है। इसमें संबोधन (महोदय, आदि) और अधोलेख (भवदीय, आदि) नहीं होता है। केवल लिखने वाले का पदनाम और हस्ताक्षर होते हैं। कार्यालय ज्ञापन जिस मंत्रालय को भेजा जाता है, उसका नाम हस्ताक्षर के नीचे पृष्ठ के बिल्कुल बाईं ओर लिखा जाता है।

संख्या.....

भारत सरकार

..... मंत्रालय

नई दिल्ली

दिनांक.....

विषय: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राजभाषा हिंदी को उचित स्थान देना

विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनेक विषयों की पढ़ाई हिंदी माध्यम में होती है लेकिन अनेक विभाग इस संबंध में उपेक्षित दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राजभाषा हिंदी को उचित स्थान दिया जाए। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विवरणिकाएं, वार्षिक विवरण आदि हिंदी में मुद्रित की जाएं। इन सभी बिंदुओं को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई जाए जो विश्वविद्यालयों में हिंदी के प्रयोग के कार्यान्वयन में सहयोग कर सके।

हस्ताक्षर

क ख ग

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

कुलपति, विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालय

प्रतिलिपि जानकारी के लिए मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली को प्रेषित।

हस्ताक्षर

क ख ग

अवर सचिव, भारत सरकार

7. **ज्ञापन:** ज्ञापन का प्रयोग छुट्टी की स्वीकृति/अस्वीकृति, विलंब से आने के कारण, प्रार्थियों को नौकरी आदि के संबंध में जानकारी देने के लिए किया जाता है। यह सरकारी आदेश के समान नहीं होते और अन्य पुरुष में इन्हें लिखा जाता है और न ही इसमें संबोधन होता है और न अधोलेख, केवल अधिकारी का हस्ताक्षर और उसका पदनाम होता है। पाने वाले का नाम और या पदनाम हस्ताक्षर के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। इसके विपरीत अंतरकार्यालय ज्ञापन का प्रयोग सरकारी उपक्रमों में एक विभाग/कार्यालय को सूचना के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। ये भारत सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों में नहीं लिखे जाते। यथा-

विषय: छुट्टी की स्वीकृति

श्री.....जो कि इस समय उपकुलसचिव के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं किंतु मूलतः वे.....मंत्रालय के हैं, के दिनांक.....के आवेदन के संदर्भ में और दिल्ली विश्वविद्यालय के दिनांक.....के ज्ञापन से आगे श्री.....को निम्न रूप में छुट्टी में वृद्धि स्वीकार की जाती है-

1. असाधारण छुट्टी.....दिन,.....से.....तक

2. अर्जित छुट्टी.....दिन,.....से.....तक

श्री.....को छुट्टी के पहले.....और बाद में.....जोड़ने की भी अनुमति दी गई है/थी।

अवर सचिव,

भारत सरकार

सेवा में,
श्री.....
द्वारा
प्रतिलिपि

1.

2.

कृते अवर सचिव, भारत सरकार

8. कार्यालय आदेश: इसका प्रयोग मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों में स्थानीय प्रयोजनों के लिए होता है। अनुभागों या अधिकारियों के बीच कार्य-विभाजन, कर्मचारियों की तैनाती, स्थानांतरण, छुट्टी, पदोन्नति आदि विषयों पर 'कार्यालय आदेश' के रूप में आदेश प्रसारित किए जाते हैं। कार्यालय आदेश के ऊपर संख्या, सरकार और मंत्रालय/कार्यालय का नाम अंकित रहता है। उसके बीचोंबीच कार्यालय आदेश और साथ संख्या लिखी जाती है। नीचे

दाहिनी ओर आदेश देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पद नाम होता है। इसका लेखन भी अन्य पुरुष में किया जाता है। उदाहरणार्थ-

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....आयोग, नई दिल्ली.

दिनांक.....

कार्यालय आदेश संख्या.....

.....पर छात्रवृत्ति से संबंधित सभी कार्य.....आयोग में संयुक्त निदेशक (छा0 क0) देख रहे थे। कार्य की अधिकता के कारण उपनिदेशक (छा0क0) का एक नया पद सृजित किया गया है। उस पद पर श्री.....ने कार्यभार संभाल लिया है। अब छात्रवृत्ति से संबंधित कार्य उक्त दोनों अधिकारियों में निम्नलिखित रूप में आवंटित किया गया है-

संयुक्त निदेशक (छा0 क0)

उप निदेशक (छा0 क0)

1. 1.

2. 2.

3. 3.

9. **आदेश:** इस प्रकार के पत्रों के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यालयों, विभागों आदि में नए पदों के सृजन, कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी, प्रशासनिक मामलों में की गई कार्रवाई की सूचना, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि की जानकारी दी जाती है। यथा-

संख्या.....

भारत सरकार

विभाग..... नई दिल्ली, दिनांक.....

दिनांक..... के आदेश संख्या..... की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सभी कार्य दिवसों में मध्यांतर दोपहर बाद 1.30 से 2.00 बजे तक होगा। सभी कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है कि वे मध्यांतर की अवधि 30 मिनट तक सीमित रखें और 2 बजे आकर अपना कार्य शुरू कर दें।

क ख ग

अवर सचिव, भारत सरकार

10. **परिपत्र:** परिपत्र उन पत्रों, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, सूचनाएं, आदेश आदि को कहा जाता है जिनकी जानकारी अनेक स्थानों को देनी पड़ती है या जिनके आधार पर अनेक स्थानों से जानकारी मंगानी होती है। इन पत्रों को एक साथ अनेक स्थानों पर भेजा जाता है। परिपत्र में सबसे ऊपर दाईं ओर संख्या होती है और शेष स्वरूप वही रहता है जिस रूप (पत्र, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन आदि) में वे जारी होते हैं। सरकारी पत्र और परिपत्र में मुख्य अंतर यह है कि सरकारी पत्र में जो भवदीय/भवदीया/आपका जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वह प्रयोग परिपत्र में नहीं किया जाता। यह अन्य पुरुष के रूप में लिखा जाता है। इसमें संख्या, स्थान, दिनांक आदि सरकारी पत्र की भांति होता है। इसे 'गश्ती पत्र' भी कहा जाता है। यहां परिपत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत है-

क्रमांक.....

दिल्ली सरकार

.....विभाग, नई दिल्ली.....

पिछले कुछ दिनों से यह देखा गया है कि कॉलेजों में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। कमरों और बरामदों में जगह-जगह गंदगी है और मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। समिति ने विभिन्न कॉलेजों के निरीक्षण में इसे अत्यंत आपत्तिजनक माना है। अतः सभी सफाई

कर्मचारियों को इस परिपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उनके कार्य में भविष्य में कोई कमी पाई गई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मदन मोहन जोशी
सचिव,
शिक्षा मंत्रालय
दिल्ली सरकार

11. अनुस्मारक: अनुस्मारक किसी पूर्व पत्र या अन्य किसी रूप (कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, तार आदि) को किसी को स्मरण कराने के लिए भेजा जाता है। इसीलिए इसका अपना कोई रूप नहीं होता। यदि एक ही विषय पर एक से अधिक बार अनुस्मारक भेजा जाता है तो सबसे ऊपर दाईं ओर लिख दिया जाता है कि 'दूसरा अनुस्मारक', 'तीसरा अनुस्मारक'। इससे पत्र पढ़ने का ध्यान तत्काल उस पर जाता है। जैसे-

संख्या.....

भारत सरकार

.....विभाग, नई दिल्ली

दिनांक.....

विषय:

महोदय,

श्रम मंत्रालय के.....दिनांक.....के संबंध में यह पूछने का निर्देश हुआ है कि उक्त विषय संबंधी आपका अभिमत अभी तक नहीं मिला है। वह आप कब तक भेजेंगे ?

आपका विश्वासपात्र
सचिव, भारत
सरकार

13. नोटिस: इसे सूचना भी कहते हैं। इसके द्वारा किसी वर्ग विशेष/सर्व साधारण को जानकारी दी जाती है जो देने योग्य होती है और इसे नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। इसे

परिपत्र की तरह सभी अनुभागों में भेजा भी जाता है और कुछ मामलों में (कोर्ट आदि से संबंधित नोटिस) डाक से प्रेषित किया जाता है। उदाहरणार्थ-

संख्या.....

भारत सरकार

.....विभाग, नई दिल्ली, दिनांक.....

यह देखा गया है कि चतुर्थ श्रेणी के अनेक कर्मचारी, जिन्हें वर्दी प्रदान की गई है वे बिना वर्दी पहने कार्यालय में आते हैं। सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यह चेतावनी दी जाती है कि जो भी प्रदान की गई वर्दी के बिना कार्यालय में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और लगातार ऐसा करने वालों को नौकरी से निकाला भी जा सकता है। सभी को अपनी वर्दी साफ रखनी चाहिए।

क ख ग

अवरसचिव,

भारत सरकार

13. पृष्ठांकन: जब कोई कागज मूल रूप में भेजने वाले को ही लौटाना हो या किसी और मंत्रालय या संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय को सूचना, टीका-टिप्पणी या निपटाने के लिए मूल पत्र या उसकी नकल के रूप में भेजना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। पृष्ठांकन में औपचारिक संबोधन, उपसंहार और समापन नहीं होता। इसमें अत्यधिक संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे-

-को मूल रूप में प्रेषित

-को उनके पत्र संख्या-दिनांक-के संबंध में प्रेषित

-को सूचनार्थ व उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित

-को आवश्यक जांच के लिए प्रेषित

-को इस अनुदेश के साथ प्रेषित कि-

उदाहरण

संख्या.....

भारत सरकार

नारकोटिक्स विभाग,

नई दिल्ली,

दिनांक.....

.....को आयोजित किए गए विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मेलन के शुभ अवसर पर नारकोटिक्स विभाग द्वारा निकाली जा रही विवरणिका की प्रति अवलोकन हेतु भेजी जा रही है।

क ख ग

अवर सचिव

सेवा में

.....

14. विज्ञापन: इसका अर्थ होता है विशेष रूप से सूचना देना। विभिन्न कार्यालय अनेक प्रकार के विज्ञापन निकालते हैं जो नौकरी से संबंधित भी होते हैं, नीलामी से भी संबंधित भी होते हैं और कार्यालय के स्थान और समय के परिवर्तन आदि से भी संबंधित भी होते हैं।

15. निविदा सूचना: इस प्रकार के पत्रों में सरकार की ओर से सामान खरीदने, निर्माण कार्य को पूरा करने या किसी कार्य को करने के लिए निविदा सूचनाएं जारी की जाती हैं। इसमें जो भी कार्य किया जाना है उसका पूरा विवरण दिया जाता है। इसका एक उदाहरण यहां प्रस्तुत है-

दिल्ली नगर निगम

निविदा सूचना नं0 3, सन् 2011-2012

शास्त्री नगर, दिल्ली-110052 में ए ब्लॉक की 5 गलियों पर सीमेंट की सड़क बनाने हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा योग्य वर्ग में पंजीकृत ठेकेदारों की ओर से निर्धारित प्रपत्रों में निविदाएं आमंत्रित करता है। प्रपत्र दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल से 17-05-2011 से 12-06-2011 तक प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए मोहरबंद निविदा प्रपत्र, दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल में दिनांक 30-06-2011 को शाम 4.00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।

निविदा राशि.....

अनुमानित राशि.....

धरोहर राशि.....

पूरा करने का समय.....

अधिशायी अभियंता
(परियोजना)

16. **अधिसूचना:** नियमों और प्रशासनिक आदेशों की घोषणा, शक्तियों का सौंपा जाना, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, छुट्टी, तरक्की आदि का भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश, अधिनियम, स्वीकृत विधेयक तथा संकटकालीन घोषणाएं भी अधिसूचित की जाती हैं। कभी-कभी यदि अधिसूचना बहुत महत्वपूर्ण है तो 'असाधारण राजपत्र' भी प्रकाशित किया जाता है।
उदाहरणार्थ-

संख्या.....

दिल्ली प्रशासन
नई दिल्ली

दिनांक.....

अधिसूचना

भूकंप आपदा प्रबंधन से संबंधित निदेशक श्री.....ने अपने वर्तमान पद का कार्यभार दिनांक.....के पूर्वाह्न से संभाला।

आदेश से

योगेश मिश्रा
अवर सचिव,
दिल्ली

प्रशासन

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ प्रेषित

-सचिव

-मुख्य अभियंता

-राजपत्र में प्रकाशनार्थ

17. **प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट:**सरकार के किसी निर्णय अथवा महत्वपूर्ण जानकारी, जिसका बहुत अधिक प्रचार करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट जारी किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति प्रेस नोट की अपेक्षा अधिक औपचारिक होती है इसलिए उसे यथावत छापा जाता है। इसमें कोई हेर-फेर नहीं हो सकता जबकि प्रेस नोट को आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। यथा-

(सोमवार.....को प्रातः.....बजे से पूर्व प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए)

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच कूटनीतिक संबंध

भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार आपस में इस बात पर पूर्ण रूप से सहमत हो गई हैं कि दोनों देशों में फिर से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाएं। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि किसी भी आतंकी गतिविधि को स्वीकार न किया जाए और पाकिस्तान किसी भी स्थिति में अपनी भूमि का उपयोग भारत के विरुद्ध आतंकी गतिविधि होने के लिए प्रयोग नहीं करने देगा। पाकिस्तान के इस वचन को भारत सरकार ने सराहा। मुख्य सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली को इस प्रेस विज्ञप्ति को जारी करने तथा इसे विस्तृत रूप से प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

ह.....

(.....)

संयुक्त सचिव,
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली,

दिनांक.....

18. **अनौपचारिक टिप्पणियां:** किसी मंत्रालय या मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय के बीच प्रस्ताव पर अन्य मंत्रालयों के विचार, टीका-टिप्पणी आदि प्राप्त करने के लिए, मौजूदा अनुदेशों के बारे में स्पष्टीकरण आदि कराने के लिए या कोई सूचना या कागज-पत्र मंगवाने के लिए पत्राचार के इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। इसे अशासनिक ज्ञापन भी कहा जाता है। इसमें संबोधन या अंत में किसी प्रकार के आदरसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता तथा संख्या और दिनांक प्राप्त करने वाले मंत्रालय/विभाग के नीचे रेखा खींचकर दी जाती है। इसे दो रूपों में भेजा

जाता है। इसे या तो मिसिल पर अपनी टिप्पणी लिखकर उसी को मंत्रालय/कार्यालय को भेजा जाता है या एक नोट शीट पर टिप्पणी लिखकर तथा टंकित कराकर भेजा जाता है जो अपने आपमें पूर्ण होती है। इसमें न तो कोई संख्या डाली जाती है और न संबोधन होता है और न कोई आदरसूचक शब्द। केवल पदनाम के साथ हस्ताक्षर कर दिया जाता है और जहां भेजना है, उसका नाम व पता होता है। सेवा में नहीं लिखा जाता। सबसे नीचे एक रेखा खींचकर भेजने वाले मंत्रालय/कार्यालय का नाम पता, संख्या और दिनांक अंकित किया जाता है। जैसे-

रेल मंत्रालय

विषय: हल्द्वानी में रेलवे कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र के लिए स्थान

हल्द्वानी में रेलवे ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र खोलने का निश्चय किया है। इसके लिए वहां कोई सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है। इससे पूर्व कि मामले पर अंतिम निर्णय किया जाए, निर्माण और आवास मंत्रालय देखे और यह बताने की कृपा करें कि क्या नए आरक्षण केंद्र खोलने के लिए प्रस्तावित स्थान का किराया उपयुक्त है।

क ख ग

अवर सचिव

निर्माण तथा आवास मंत्रालय

रेल मंत्रालय अ० ट० सं०.....

दिनांक.....

20. आवेदन पत्र: ये नौकरी आदि के संबंध में भी होते हैं और कार्यालय में कार्यवाही (छुट्टी, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, अग्रिम राशि, आवास आवंटन आदि) से भी संबंधित होते हैं। इनकी विविधता समय और विषय के अनुसार निर्भर करती है।

सेवा में,

प्राचार्य,
हिंदू कॉलेज,
दिल्ली

महोदय,

निवेदन है कि अस्वस्थ होने के कारण मैं कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 2 दिन का आकस्मिक अवकाश देकर अनुगृहीत करें।

सधन्यवाद

दिनांक.....

भवदीय

हस्ताक्षर

.....

नाम

.....

पदनाम

21. अभ्यावेदन: यह भी आवेदन पत्र का एक ही रूप है। इसे प्रार्थी अपने प्रति हो रहे दुर्व्यवहार, अनाचार, अत्याचार आदि को दूर कराने हेतु प्रशासन, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आदि को लिखता है। इसमें करुणा और दया पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

निवेदन है कि कार्यालय आदेश संख्या.....दिनांक.....द्वारा मेरी पदोन्नति वरिष्ठ हिंदी व्याख्याता के रूप में की गई थी लेकिन अभी तक पदोन्नति के उपरांत (1 वर्ष बीतने पर भी) मुझे वेतन संबंधी लाभ नहीं दिया गया है। अनुरोध है कि मेरे पदानुसार मेरा वेतन शीघ्र नियत किया जाए और बकाया भुगतान का भी आदेश दिया जाए।

सधन्यवाद

भवदीय

क ख ग

22. प्राप्ति सूचना: इस प्रकार के पत्रों में पत्र या कार्यालय ज्ञापन भेजने वाले कार्यालय इस बात का उल्लेख करते हैं कि इसकी प्राप्ति स्वीकार करें। ऐसी स्थिति में प्राप्त करने वाले कार्यालय को लिखित रूप में पत्र की प्राप्ति की सूचना देनी होती है। उदाहरण के लिए-

संख्या.....

भारत सरकार

.....विभाग

नई दिल्ली, दिनांक.....

विषय:

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक.....के पत्र संख्या.....की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

भवदीय
क ख ग
कृते अवर सचिव,
भारत सरकार

23. संकल्प: यह सरकारी पत्राचार का एक ऐसा रूप है जिसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। ये परिस्थितियां निम्नांकित हो सकती हैं-

-जब सरकार नीति संबंधी किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सार्वजनिक घोषणा करती है।

-जांच आयोग/समिति के प्रतिवेदनों पर कोई घोषणा करनी होती है।

-जब किसी जांच आयोग/समिति की घोषणा की जाती है और उसके क्षेत्राधिकार व शक्तियों का उल्लेख किया जाता है।

यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है और राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावना (पृष्ठभूमि), संकल्प (रूपरेखा), आदेश और आवश्यक निर्देश (जिनको इसकी प्रति भेजनी है) इसके चार अंग होते हैं। इसमें संबोधन, अधोलेख का स्थान नहीं होता।

13.6 व्यावसायिक पत्र के अर्थ और प्रकार

अब तक आप कार्यालयी पत्राचार के स्वरूप और उदाहरणों से परिचित हो गए होंगे। अब आपको व्यावसायिक पत्राचार के बारे में भी समझाना आवश्यक है क्योंकि आज के समय में व्यवसाय चलाने के लिए इन पत्रों की विशेष उपयोगिता है। व्यावसायिक पत्र वे होते हैं जो कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था अपने व्यवहार हेतु प्रयोग करते हैं। इन पत्रों को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे-

1. बैंक पत्र
2. निविदा पत्र
3. बीमा पत्र
4. मूल्य सूची मांगने के लिए पत्र
5. दर जानने के लिए पत्र
6. क्रयादेश संबंधी पत्र
7. भुगतान संबंधी पत्र

8. विक्रय प्रस्ताव संबंधी पत्र
9. एजेंसी लेन-देन से संबंधित पत्र
10. व्यापारिक संदर्भ संबंधी पत्र
11. वस्तु विशेष का नमूना मंगाने संबंधी पत्र आदि।

13.7 व्यावसायिक पत्र के अंग

व्यावसायिक पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं-

1. मुद्रित शीर्ष (संस्था या संस्थान का)
तार पता
दूरभाष संख्या/फैक्स नं0/ईमेल का पता
कूट संकेत (कोड)
पूरा पता
2. दिनांक
3. पत्र संख्या
4. प्राप्तकर्ता का नाम (संस्था/संस्थान का नाम-पता सहित)
5. संदर्भ
6. औपचारिक संबोधन
7. आरंभिक वाक्य
8. कथ्य विषयवस्तु
9. अंतिम अनुशंसात्मक वाक्य
10. प्रेषक या उसके स्थानापन्न व्यक्ति के हस्ताक्षर
11. पद-स्वामी, प्रबंधक आदि
12. संलग्न पत्र या अन्य सामग्री आदि का निर्देश (यदि है तो)
13. पुनश्च (यदि आवश्यक हो)

यहां विषय की समझ को विकसित करने के लिए आपके सामने व्यावसायिक पत्राचार के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं

एजेंसी की प्राप्ति के लिए पत्र

महेंद्र कुमार दिनेश कुमार
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के थोक व्यापारी,

2331, लक्ष्मी नगर
दिल्ली-110054

दिनांक - 15 मई 2012

पत्र संख्या – एजेसी 235/क/2012

सेवा में,
व्यवसाय प्रबंधक,
वीडियोकॉन बंगलौर
विषय: वीडियोकॉन के उत्पादों की एजेसी
प्रिय महोदय,

हम आपके द्वारा दिए गए विज्ञापन के संदर्भ में वीडियोकॉन के इलेक्टॉनिक उत्पादों की एजेसी लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। हम पिछले 5 वर्षों से इलेक्टॉनिक उत्पादों के व्यापारी हैं। इस समय हमारे पास सैमसंग और ओनिडा की एजेसियां हैं। आप हमारी कार्य-कुशलता और साख के संबंध में इन संस्थानों से पूछताछ कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पास आपकी एजेसी होने से आपके व्यापार में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होगी। एजेसी लेने हेतु जो आपकी शर्तें हैं वे सभी हमें स्वीकार हैं और हमारे पास आपके उत्पादों की प्रदर्शनी हेतु पर्याप्त स्थान है। हमारे आसपास किसी व्यापारी के पास वीडियोकॉन की एजेसी नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप हमें अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें।

सधन्यवाद,
भवदीय
आशुतोष शुक्ला
प्रबंधक,
नवरंग इलेक्टॉनिक्स,
दिल्ली - 26457894

एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है जो बीमा के संबंध में है।

प्रेषक: उर्वी मिश्र
3/45 बी, सदर,
मथुरा (30 प्र0)

सेवा में,
शाखा प्रबंधक,
जीवन बीमा निगम,

मथुरा शाखा

उ० प्र०

संदर्भ: जीवन बीमा पॉलिसी संख्या 02353644

महोदय,

निवेदन है कि मेरी जीवन बीमा पॉलिसी (संख्या 02354644) गत वर्ष दिसंबर में पूर्ण (मैच्योर) हो चुकी है। मैंने अप्रैल 1990 में 50 हजार रुपए की 20 वर्षों के लिए मनी बैक पॉलिसी कराई थी। इस दौरान मैं अपने बीमा की वार्षिक किश्तें नियमित रूप से जमा करती रही हूं जिसकी सभी रसीदें मेरे पास हैं। अंतिम किस्त दिसंबर 1990 में जमा कराई गई थी। अंतिम किश्त जमा करने के बाद भी एक वर्ष बीत चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी पॉलिसी की पूरी रकम, लाभांश और ब्याज सहित यथाशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।

धन्यवाद

दिनांक

भवदीय

15 मई, 2012

उर्वी मिश्र

संलग्नक:

1. जीवन बीमा पॉलिसी संख्या 02354644
2. उपर्युक्त पॉलिसी की अंतिम किश्त की रसीद

13.8 सारांश

पत्राचार की इस इकाई में पत्राचार की परिभाषा पर विचार किया गया है। पत्राचार जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। कार्यालय और व्यवसाय में तो इसकी सर्वाधिक उपयोगिता है हालांकि आज ई-मेल और फैक्स की सुविधा भी प्राप्त है। 'पत्राचार' एक प्रक्रिया या पद्धति है जिसमें पत्र लेखन से लेकर पत्र प्राप्ति निहित है। यह उर्दू में 'खत-किताबत' कहलाता है और अंग्रेजी में इसे 'कॉरस्पोंडेंस' कहा जाता है। वास्तव में कार्यालयों आदि में सरकार की रीति नीति की व्याख्या और कार्य के संबंध में किसी भी संगठन, संस्था, व्यक्ति आदि को लिखित रूप में जो कुछ भी कहा अथवा बताया जाता है, वह सब पत्राचार की कोटि में आता है। पत्राचार सरल, सहज और स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता पत्राचार का अनिवार्य गुण है लेकिन उसे अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। पत्र आकर्षक और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। उसमें रोचकता होना चाहिए और यथास्थान विराम चिह्नों का सटीक प्रयोग होना चाहिए। मूल रूप से यहां कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र और उनके अंगों तथा लेखन-पद्धति पर विचार किया गया है। प्रेषक,

प्राप्तकर्ता, विषय, दिनांक, संदर्भ, कलेवर, अधोलेख, पदनाम, हस्ताक्षर, संबोधन, समापन आदि पत्राचार के मुख्य अंग हैं जिनसे आप पूर्व लिखित वर्णन में भली भांति अवगत हो गए होंगे। पत्राचार की भाषा भी शालीन, स्पष्ट, छोटे-छोटे वाक्यों वाली होनी चाहिए। सभी अनुच्छेद परस्पर संबद्ध होने चाहिए।

13.9 शब्दावली

उच्चरित	-	बोला हुआ
बहुज्ञता	-	बहुत अधिक जानने का भाव
मनोहारी	-	मन को हरने वाला
शालीनता	-	स्वभाव का अच्छापन, सज्जनता
प्रतिकूल	-	उलटा, विपरीत
ब्यौरा	-	विवरण
सृजित	-	निर्माण करना

13.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

- रधुनंदनप्रसाद शर्मा, (1992) प्रयोजनमूलक हिंदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
- गिरधर रावत, (2011), कार्यालयीन हिंदी, आशा बुक्स, ई-1/265, सोनिया विहार, दिल्ली
- कैलाशचंद्र भाटिया, (2005), प्रयोजनमूलक हिंदी: प्रक्रिया और स्वरूप, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली

13.11 उपयोगी पाठ्य सामग्री

- प्रयोजनमूलक हिंदी, प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित व डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह
- प्रयोजनमूलक भाषा और कार्यालयी हिंदी, डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी
- प्रयोजनमूलक हिंदी, डॉ. दंगल झाल्टे

-
- कार्यालयीन हिंदी, डॉ. केशरीलाल वर्मा
 - प्रयोजनमूलक हिंदी, डॉ. राकेश कुमार पाराशर
-

13.11

निबंधात्मक प्रश्न

-
1. पत्राचार क्या है? स्पष्ट कीजिए तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं एवं पत्राचार के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालिए.
 2. व्यावसायिक एवं कार्यालयी पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं ? विस्तार से समझाएँ

इकाई 14 भाषा कंप्यूटिंग (कंप्यूटर और हिंदी)

इकाई की रूपरेखा

- 14.1 प्रस्तावना
- 14.2 उद्देश्य
- 14.3 कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता
- 14.4 कंप्यूटर और हिंदी
- 14.5 कंप्यूटर और हिंदी अनुवाद
- 14.6 कंप्यूटर और हिंदी शिक्षण
- 14.7 कंप्यूटर और श्रुतलेखन, यूनिकोड
- 14.8 कंप्यूटर पर हिंदी-प्रयोग के विकास में सहायक अन्य सॉफ्टवेयर
- 14.9 इंटरनेट और हिंदी
- 14.10 सारांश
- 14.11 शब्दावली
- 14.12 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 14.13 निबंधात्मक प्रश्न

14.1 प्रस्तावना

भाषा जीवन का अनिवार्य अंग है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी जीवन का अनिवार्य अंग हो गया है। भाषा भी जरूरी है और कंप्यूटर भी। एक प्रकार से ज्ञान और तकनीक के संबंध से विकसित हुए लाभों से आपका साक्षात्कार होगा। इस इकाई में भाषा कंप्यूटिंग की चर्चा की जा रही है। इस इकाई में आप कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता से परिचित होंगे। आप कंप्यूटर और हिंदी के संबंध को भी जान पाएंगे। आपको हिंदी को विकसित करने वाले सॉफ्टवेयरों से भी परिचित कराया जाएगा और इंटरनेट पर हिंदी की जो स्थिति है, उसका भी परिचय आपको मिलेगा। हिंदी अनुवाद में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, इसे भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यूनिकोड पर विशेष बल इस इकाई में दिया गया है। आशा है कि इसे पढ़ने के बाद आप भाषा कंप्यूटिंग को भली-भांति समझ सकेंगे।

14.2 उद्देश्य

इस इकाई का पढ़ने के बाद आप यह जान पाएंगे कि-

- कंप्यूटर क्या है और उसकी कौन-कौन से लाभ हैं ?
- कंप्यूटर और भाषा का कैसा संबंध (विशेषतः हिंदी भाषा) है ?
- कंप्यूटर पर हिन्दी में अनुवाद की क्या स्थिति है ?
- कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी कैसे सीखी जा सकती है और हिंदी-ज्ञान का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है।
- यूनिकोड क्या है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ?
- हिंदी भाषा के प्रयोग को कंप्यूटर पर सरल बनाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर की जानकारी भी इस इकाई में मिलेगी।

14.3 कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता

कंप्यूटर 'कम्प्यूट' शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना। लेकिन आज कंप्यूटर केवल गणना तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। बिल गेट्स का कथन है कि 'समूची संचार क्रांति महज कंप्यूटर के विभिन्न उपयोग मात्र हैं।' कंप्यूटर में अपार गति होती है वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी अत्यंत तीव्रता से हल कर देता है उसमें अपार संग्रह क्षमता होती है। कंप्यूटर के परिणाम शुद्ध और त्रुटिहीन होते हैं। वह स्वचालित होता है बस आपको उसे क्रमबद्ध रूप में निर्देश देना पड़ता है। इसे आम भाषा में प्रोग्राम कहा जाता है। जब कभी प्रयोग करने वाला व्यक्ति गलती करता है तो कंप्यूटर उसे रास्ता भी बताता है। एक बहुआयामी उपकरण होने के कारण इसका उपयोग शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, वाणिज्य, लेखन, प्रकाशन, कानून आदि सभी क्षेत्रों में हो रहा है। यह एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क की भाँति काम करता है लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क से कई गुना अधिक तेज। यह गणितीय गणनाओं और विभिन्न आँकड़ों का विश्लेषण करने के साथ-साथ उन्हें अपनी स्मृति में रख सकता है। यह वस्तुतः एक इकाई नहीं बल्कि विभिन्न इकाइयों का समूह है। कंप्यूटर का कार्य आदेश लेना, आदेशों को कार्यक्रम के रूप में संचित करना, उसका क्रियान्वयन करना, परिणाम संचित करना और आदेशानुसार परिणामों को सामने रखना है। बारम्बार निर्विघ्न आवृत्ति इसकी विशेषता है।

कंप्यूटर आज मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। जिस प्रकार रेडियो और टेलीविजन मानव जीवन के आवश्यक अंग बन गए थे, ठीक वही स्थिति आज कंप्यूटर की है। भारतीय जनमानस को इस ओर गतिशील करने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। इस दिशा में

सरकार ने 'आकाश' टैबलेट निकाला है। अन्य प्राइवेट कंपनियां भी अलग-अलग प्रयोगों को लेकर नए-नए टैबलेट निकाल रही हैं ताकि अधिक-से अधिक लोगों की पहुंच में कंप्यूटर पर काम करने में हो। कंप्यूटर मनुष्य की गतिशीलता में वृद्धि करता है, विभिन्न दस्तावेजों का रिकार्ड रखने में मदद करता है और बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करता है। इंटरनेट के प्रयोग द्वारा वह व्यक्ति को विश्व समुदाय से जोड़ता है और संसार से अपरिचित नहीं रहने देता। इसीलिए इसकी उपयोगिता अत्यधिक है। रेलवे आरक्षण केन्द्र, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों आदि सभी में इसके लाभ को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।

प्रारंभ में कंप्यूटर को ज्ञान-विज्ञान के भंडार के रूप में देखा जाता था। फिर उसे मनोरंजन से जुड़ा हुआ स्वीकार किया गया और धीरे-धीरे यह हमारी रोजमर्रा की जीवन-शैली का अंग बन गया। ई बैंकिंग, ई पॉलिटिक्स, ई ट्रेडिंग आदि सभी कुछ कंप्यूटर के सहयोग से हो रहा है। यह बात और है कि इन मामलों में पर्याप्त सावधानी की अपेक्षा है। कंप्यूटर और इंटरनेट के संयुक्त प्रभाव ने पूरे संसार को एक 'वैश्विक ग्राम' बना दिया है जहां दूरियां सिमट गई हैं।

14.4 कंप्यूटर और हिंदी

कंप्यूटर से परिचय के बाद आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि कंप्यूटर और हिन्दी का संबंध क्या है ? कंप्यूटर का प्रारंभ पश्चिमी देशों में हुआ अतः सबसे पहले जो भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई वह अंग्रेजी थी। अंग्रेजी का वर्चस्व काफी समय तक कंप्यूटर पर छाया रहा लेकिन लोगों को लगा कि इसकी महती उपयोगिता है तो अनेक देशों ने कंप्यूटर के लिए अपनी भाषा में कार्य करने को प्राथमिकता दी। भारत सरकार ने भी इसी दृष्टि से कंप्यूटर के लिए भारतीय भाषाओं के विकास पर ध्यान दिया जिनमें राजभाषा हिंदी पर विशेष ध्यान दिया गया। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है और आज कंप्यूटर के युग में हिंदी ने कंप्यूटर के साथ मिलकर अपना अपरिमित विकास किया है। कंप्यूटर पर हिंदी के निरंतर प्रयोग और विकास ने यह साबित कर दिया कि कंप्यूटर पर केवल अंग्रेजी का ही वर्चस्व नहीं रहेगा, उस पर हिंदी भी अपना अधिकार कर सकती है। आज कंप्यूटर पर हिंदी के बढ़ते प्रयोग ने भी इस बात का आधारहीन कर दिया है कि बिना अंग्रेजी के कंप्यूटर ज्ञान न तो हासिल किया जा सकता है और न कंप्यूटर पर काम किया जा सकता है।

मूल रूप से कंप्यूटर पर हिंदी का काम दो प्रकार का होता है। पहला तो पत्र, टिप्पणी, लेख, रिपोर्ट आदि तैयार करना, पत्रिका छापना आदि। दूसरा आंकड़ों को रखना अर्थात् वेतन पर्ची, परीक्षा परिणाम, पुस्तक सूची, सामान सूची आदि तैयार करना। इन सबके विकास के लिए अनके पैकेज बाजार में उपलब्ध हैं जो द्विभाषिक है और काफी उपयोगी हैं। कंप्यूटर पर अंग्रेजी का जो रथ सवार था अब उसे उतारने की पूरी तैयारी हिंदी ने कर ली है। हिंदी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास ने इसे अत्यंत सुगम बना दिया है। सी-डेक ने आम भाषा में सॉफ्टवेयर उतारकर

भाषा-ज्ञान की समस्या ही समाप्त कर दी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि संवादहीनता की जो स्थिति थी, वह खत्म हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'ओआरजी' तकनीक का प्रयोग कर इस भाषाई अंतराल का दूर कर दिया है। इससे जहां एक ओर कंप्यूटर तकनीक और साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा वहीं घर बैठे अपनी भाषा में लोगों को जानकारीयां मिल सकेंगीं। हिंदी कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने में जहां एक ओर सरकार प्रयास कर रही है वहीं अनेक गैर सरकारी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं। यह कार्य दो स्तरों पर किया जा रहा है। एक राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से और दूसरे जनभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से। भारत सरकार ने राजभाषा नीति हिंदी के प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन के लिए ही बनाई है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि राजभाषा संबंधी संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को लागू करने के कार्यालयी हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाए और हिंदी को सरल, प्रभावी और सुविधाजनक बनाया जाए। कंप्यूटर आ जाने से हिंदी के विकास में सरकार को काफी मदद मिली है। राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ हिंदी के प्रयोगकर्ताओं को देने में लगा हुआ है। इसके तहत सी-डेक पुणे के माध्यम से भाषा प्रयोग उपकरण नाम योजना को लागू किया जा रहा है। परिणामस्वरूप आज ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं।

14.5 कंप्यूटर और हिंदी अनुवाद

अब तक आप कंप्यूटर और हिंदी का संबंध जान गए होंगे। अब आपसे कंप्यूटर और हिंदी अनुवाद के बारे में चर्चा करना ठीक रहेगा। हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में कंप्यूटर ने काफी योगदान दिया है। सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की दिशा में 'कारपोर' उदाहरण आधारित कंप्यूटर अनुवाद उपकरण विकसित किया जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के मैनुअलों का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य प्रारंभ हुआ। यह कंप्यूटर अनुवाद उपकरण अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकता है और अनुवादकों की सहायता के लिए पर्याप्त अनुवाद के विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। बाद में 1995 में इसी क्षेत्र में 'नेशनल कौंसिल फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी', मुंबई ने 'मात्रा' नामक कंप्यूटर अनुवाद उपकरण विकसित किया। यह अंग्रेजी समाचार कथाओं का हिंदी में अनुवाद करता है। सी-डेक ने 'एन-ट्रांस' नाम सॉफ्टवेयर तैयार किया जो अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का अनुवाद करता है। इसमें पहला भाग शब्दकोश है और दूसरे भाग में सशक्त स्वतः प्रणाली विन्यास है जो एक तरह का संदर्भ स्रोत हैं इस सॉफ्टवेयर का एक नमूना इस प्रकार देखा जा सकता है-

अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद

Designation – Dy. Director

पदनाम - उप निदेशक

हिंदी से अंग्रेजी

मूल - Basic , वेतन - Pay

प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स, पुणे ने 'परिवर्तन' नाम सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी मदद से हिंदी में बनाई गई कोई भी कंप्यूटर फाइल उपलब्ध हिंदी फांट या सॉफ्टवेयर में पढ़ना और फाइल में लिखित सूचना प्राप्त करना आसान हो गया। इसमें एक उत्पादक के फांट में बनाई गई फाइल दूसरे उत्पादक के फांट में बदलने की सुविधा भी है।

मेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। इसे प्राकृतिक भाषा संसाधन प्रयोगशाला ने विकसित किया है। इस मशीन साधित अनुवाद प्रणाली से 85 प्रतिशत पद व्याख्या और 60 प्रतिशत सही अनुवाद प्राप्त होता है। इसमें वाक्यों को शुद्ध करने की सुविधा है, संपादन की भी सुविधा है। इसमें द्विभाषी शब्दकोश भी है। वर्तनी को जांचने की भी सुविधा इस सॉफ्टवेयर में है। अनुवाद संबंधी एक और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर सी-डैक ने बनाया है मंत्र राजभाषा। यह एक मशीन साधित अनुवाद टूल है जो विशिष्ट विषय क्षेत्र के अंग्रेजी पाइ का हिंदी में एक भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद करता है। यह राजपत्रित अधिसूचना, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र और वित्त क्षेत्र संबंधी दस्तावेजों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। इसमें अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी व्याकरण की प्रस्तुति के लिए नियमानुरूप ट्री एडजाइनिंग ग्रामर का प्रयोग किया जाता है। इसे सी-डेक के अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप ने तैयार किया है और भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने प्रायोजित किया है। इसके अनेक संस्करण उपलब्ध हैं-

1. मंत्र राजभाषा (स्टैंडअलोन संस्करण) - यह संस्करण उन प्रयोक्ताओं के लिए विकसित किया गया है जो बिना नेट कनेक्टिविटी के अपने कंप्यूटर पर अनुवाद सिस्टम का प्रयोग करना चाहते हैं। सिस्टम में पर्सनल लॉगइन आइडी, पासवर्ड और इनबॉक्स की सुविधा भी हैं जिसमें अनुवादित दस्तावेज रखा जा सकता है।

इस अंतःक्रियात्मक सिस्टम में अनेक सहायक उपकरण (जैसे शब्दकोश आदि) भी दिए गए हैं।

2. मंत्र राजभाषा (इंटरनेट संस्करण) - यह मंत्र राजभाषा स्टैंडअलोन का उन्नत संस्करण है और डिस्ट्रिब्यूटिड आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसमें सर्वर के साथ-साथ क्लाइंट कंप्यूटिंग पॉवर का प्रयोग कर अनुवाद शीघ्रता से किया जाता है। क्लाइंट की मशीन पर अनुवाद किया जाता है जहां सर्वर मुख्य लेक्सिकॉन का काम करता है।

3. मंत्र राजभाषा (इंटरनेट संस्करण) - इस संस्करण का विकास और डिजाइन थिनक्लाइंट आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसमें सारा अनुवाद सर्वर पर ही होता है। इसलिए दूरवर्ती स्थानों में भी इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध लो-एंड सिस्टम पर भी दस्तावेजों के अनुवाद करने के लिए इस

सुविधा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अपने अनुवाद सिस्टम को दूसरों के साथ बांटा जा सकता है।

कुल मिलाकर मंत्र राजभाषा की विशेषताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है-

1. यह मानक अनुवाद करने वाला सिस्टम है।
2. इसमें अनुवादित फाइल को प्रयोगकर्ता द्वारा संपादित किया जा सकता है या अनुवादित पाठ में प्रत्यक्ष रूप से टंकित कर सकता है।
3. इसमें लंबे दस्तावेजों को खंडित किया जा सकता है और खंडित भागों का अनुवादित दस्तावेजों को जोड़ा जा सकता है।
4. अनुवाद से पहले दस्तावेज में फ्रेज मार्क कर सकते हैं, जिससे जुड़े हुए शब्दों का सही अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं।
5. अंग्रेजी दस्तावेज का प्रारूप हिंदी आउटपुट में बना रहता है।
6. अनुवाद के दौरान अनुवाद हेतु वाक्यों के अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं जिनमें से उचित विकल्प का चयन किया जा सकता है।
7. शब्दकोश में नए शब्दों, वाक्यांश तथा अभिव्यक्ति को शामिल किया जा सकता है।
8. प्रयोग करने वाले को बहुअर्थी चयन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
9. प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने डाटाबेस को अपडेट और संपादित कर सकता है।
10. अनुवाद के किसी भी स्तर पर हिंदी को प्रत्यक्ष रूप से टाइप किया जा सकता है।
11. अनुवाद के लिए लिखित टंकित सामग्री को स्कैनर की मदद से कंप्यूटर में समाहित कर दिया जाता है और कंप्यूटर में लगा यह सॉफ्टवेयर उस सामग्री का हिंदी में अनुवाद कर देता है।

14.6 कंप्यूटर और हिंदी शिक्षण

इस दिशा में लीला राजभाषा एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने का पैकेज है। यह ऑनलाइन हिंदी सीखने का पाठ्यक्रम है और हिंदी प्रबोध, हिन्दी प्रवीण और हिंदी प्राज्ञ के पाठ्य विवरण पर आधारित है। लीला हिंदी प्रबोध में 26 अध्याय हैं और शब्दकोश मॉड्यूल के साथ प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम है। लीला हिंदी प्रवीण में 31 अध्याय हैं और शब्दकोश मॉड्यूल के साथ द्वितीय स्तर का पाठ्यक्रम है।

लीला हिंदी प्राज्ञ में पत्राचार के विभिन्न रूपों को सिखाने के लिए तृतीय स्तर का पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. इसमें हिंदी अक्षरों को लिखने और पढ़ने की सुविधा है।
2. प्रयोग करने वाले के लिए हिंदी अक्षर और उसकी मात्राओं को ट्रेसर से लिखने, लेखन विधि को देखने, उच्चारण सुनने और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
3. शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के लिए स्पीच इंटरफेस उपलब्ध है और यह सुविधा शब्द, वाक्य और पैरा तीनों स्तरों पर उपलब्ध है।
4. इनमें शब्दावली उपलब्ध कराई गई है। प्रबोध में शब्दावली चित्र सहित है जबकि प्राज्ञ में प्रशासन संबंधी शब्दावली दी गई है।
5. तीनों पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन शब्दकोश उपलब्ध है और जहां आवश्यक है वहां सांस्कृतिक टिप्पणियां भी दी गई हैं।
6. ये पाठ शैक्षणिक दृष्टि से नियंत्रित हैं। प्रयोग करने वाले को सबसे पहले पदक्रम, लिंग, वचन आदि का अध्ययन करना होगा। हर मूल पाठ के साथ एक वीडियो चलचित्र भी उपलब्ध है। साथ ही रिकार्ड और कंपेयर की सुविधा भी है जिसके द्वारा प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने उच्चारण को सुधार सकता है।
7. हर पाठ के साथ व्याकरणिक टिप्पणी दी गई है और स्वमूल्यांकन की सुविधा भी प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए है।

इस पैकेज के प्रमुख प्रारूप इस प्रकार हैं-

क) सुपरवाइजर मॉड्यूल - यह बाकी मॉड्यूल्स का पर्यवेक्षण करता है। इसमें स्टूडेंट लर्निंग पैकेज, अकाउंट विवरण, प्रगति तथा डेमो संस्करण से संबंधित डाटाबेस है। यह टेस्ट मॉड्यूल को नियंत्रित करता है, परीक्षाओं में प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी रखता है और एक प्रकार से सीखने वाले की प्रगति पर अपनी नजर रखता है।

ख) छात्र मॉड्यूल - यह छात्र के सभी कार्यों की देखभाल करता है। इसमें स्टूडेंट डाटाबेस रखा जाता है जिसमें उसकी प्रगति की रिपोर्ट और अंक भी शामिल होते हैं और कोई भी छात्र एक-दूसरे को प्राप्त अंकों से संबंधित समाचार का एक्सेस नहीं कर सकता।

ग) पाठ मॉड्यूल - यह पूरे पैकेज का प्रमुख मॉड्यूल है। इसमें हर पाठ को विभिन्न खंडों (उद्देश्य, वाक्य संरचना, पाठ, शब्द परिवार, व्याकरण, अभ्यास) में बांटा गया है। पाठ को

अनुवाद, उदाहरण, वीडियो क्लिप, हाईपर टेक्स्ट, शब्दकोश तथा व्याकरणिक नियमों के आधार पर समझाया गया है।

घ) टेस्ट मॉड्यूल - इसमें छात्र का मूल्यांकन कराया जाता है। इसमें विभिन्न पाठों पर आधारित प्रश्नों का डाटाबेस है जो परीक्षा हेतु छात्र का अनुरोध मिलते ही एक परीक्षा-पत्र प्रस्तुत कर देता है। इसके बाद मूल्यांकन किया जाता है और प्राप्त अंकों की सूचना स्क्रीन पर आ जाती है तथा अंकों से संबंधित समाचार सुपरवाइजर मॉड्यूल को भेज दिया जाता है।

ड) अल्फाबेट मॉड्यूल - इसमें हिंदी वर्णमाला से छात्र का परिचय कराया जाता है और अक्षरों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है।

च) डिक्शनरी मॉड्यूल - इसमें सारे पाठों में और पूरे पैकेज में आने वाले शब्द होते हैं। हर शब्द के लिए अर्थ, व्याकरणिक विवरण तथा उच्चारण भी उपलब्ध होता है।

छ) शब्दावली मॉड्यूल - इसमें सरकारी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, कार्यालयों के नाम, पदनाम व साधारण शब्दावली दी गई है।

सी-डेक द्वारा मोबाइल फोन के लिए 'लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर' को एक मीडिया मेमरी चिप (एमएमसी) पर उतारा गया है और जब इस चिप को किसी मोबाइल सेट के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह मोबाइल हिंदी सिखाने का काम आरंभ कर देता है। इस चिप में हिंदी अक्षरों का पढ़ने, उनका उच्चारण सुनाने और सही उच्चारण और फॉर्मेशन के लिए स्पीच इंटरफेस उपलब्ध है। इसमें हिंदी की वाक्य संरचनाओं के उदाहरण भी हैं, अनुवाद की सुविधा भी है, शब्दकोश भी है और मूल पाठ के साथ-साथ आडियो-वीडियो भी है। अंतःक्रियात्मक अभ्यास भी इसमें किया जा सकता है और हिंदी-अंग्रेजी शब्दावली के साथ स्वमूल्यांकन की सुविधा भी है। इस प्रकार मोबाइल हिंदी-शिक्षण का एक अच्छा उपकरण सिद्ध हो रहा है। जब तक इच्छा हो तब तक हिंदी सीखो और जब इच्छा न हो तो बटन बंद कर दो।

14.7 कंप्यूटर और श्रुतलेखन, यूनिकोड

इस संबंध में श्रुतलेखन राजभाषा एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह एक स्पीकर इंडिपेंडेंट, हिंदी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से प्रयोग करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर के साथ संपर्क रखता है और हिंदी में बोले गए कथनों को हिंदी यूनिकोड में टंकित करता है। स्पीच प्रोसेसिंग के लिए रिकग्नाइजर एनलॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। प्रोसेसिंग के बाद एक स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए अनेक मॉडल प्रयोग में लाए जाते हैं। ये इस प्रकार हैं-

1. नॉइज रिकग्निशन मॉडल

2. लैंग्वेज मॉडल
3. एकाउस्टिक मॉडल
4. ग्रैमर मॉडल
5. फोनीम मॉडल
6. यूनीफोम मॉडल
7. ट्रे फोन मॉडल

श्रुतलेखन राजभाषा सॉफ्टवेयर की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं-

1. यह हिंदी यूनिकोड में आउटपुट देता है।
2. यूनिकोड टैक्स्ट को ISFOC फॉन्ट में रूपांतरित करने की सुविधा भी देता है।
3. ज्ञान आधारित स्क्रिप्ट फॉन्ट्स।
4. शब्द-संशोधन और शब्द-सुधार सुविधा भी उपलब्ध है।
5. टैक्स्ट का संख्याओं, तारीख और मुद्राओं में रूपांतरण किया जा सकता है।
6. द्विभाषिक टंकण की सुविधा भी उपलब्ध है।

कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग के बारे में राजभाषा विभाग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सी-डेक व एन0 पी0 टी0 आई0 के सहयोग से हर साल 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराता है। इसके अलावा इन सॉफ्टवेयरों पर आधारित एक प्रस्तुति भी तैयार की गई है जिसकी जानकारी विभिन्न मंत्रालयों को दी गई हैं। ये सॉफ्टवेयर राजभाषा विभाग के पोर्टल www.rajbhasha.nic.in पर लिंक के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। श्रुतलेखन राजभाषा एक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध है जिसे सी-डेक पुणे से प्राप्त किया जा सकता है।

यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। यहां उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर विभिन्न भाषाओं को नहीं समझ सकता। वह केवल बाइनरी नंबर (0 और 1) को ही समझ सकता है। अतः हम जो भी अक्षर टंकित करते हैं वे अंततः 0 और 1 में बदल जाते हैं और तब कंप्यूटर उन्हें समझ सकता है। किसी भाषा के किसी शब्द के लिए कौन सा नंबर प्रयुक्त होगा ? इसका निर्धारण करने के नियम विभिन्न कैरेक्टर सैट या संकेत लिपि प्रणाली द्वारा निर्धारित होते हैं। यूनिकोड का आविष्कार होने से पहले ऐसे नंबरों को देने के लिए अनेक संकेत लिपि प्रणालियां

थीं और किसी एक संकेत लिपि में पर्याप्त अक्षर नहीं थे। इन संकेत लिपियों में आपस में तालमेल भी नहीं था। परिणामस्वरूप दो संकेत लिपियां दो विभिन्न अक्षरों के लिए एक ही नंबर प्रयोग कर सकती हैं या समान अक्षर के लिए अलग-अलग नंबरों का प्रयोग कर सकती हैं। इससे डाटा खराब होने का खतरा बना रहता है। इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए तथा एकात्म बनाए रखने के लिए यूनिकोड को विकसित किया गया। यह सभी भाषाओं के लिए एक-सा ही काम करता है। यह कोडिंग सिस्टम फांट्समुक्त, प्लेटफॉर्ममुक्त और ब्राउजरमुक्त है। इसे अनेक कंपनियों ने अपनाया है और आज अधिकतर उत्पाद यूनिकोड समर्थित हैं। विंडोज 2000 या उससे ऊपर के सभी पी.सी. यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं।

विंडो एक्स्प्री पर इसे इस प्रकार डाउनलोड किया जा सकता है-

कंट्रोल पैनल पर जाएं और फिर रीजिनल और लैंग्वेज ऑप्शंस पर क्लिक करें।

लैंग्वेजिस टैब पर क्लिक करें और उस डब्बे को चैक (टिक) करें जो इंस्टाल फाइल्स फार काम्प्लैक्स स्क्रिप्ट को बताता है।

यह विधि विन एक्सपी सीडी के लिए पूछेगी। सीडी ड्राइव में सीडी रखें और संस्थापन (इंस्टालेशन) आरंभ होने दीजिए।

एक बार संस्थापन पूरा हो जाए तो यदि आवश्यकता हो तो सिस्टम को बूट करें और पुनः चरण 2 पर जाएं।

अब डीटेल्स टैब पर क्लिक करें। अपनी पसंद की भाषा को जोड़ने के लिए एड पर क्लिक करें।

सिस्टम ट्रे में एक छोटा ईएन दिखाई देगा। ईएन पर बायां क्लिक करें और टाइप के लिए भाषा का चयन करें।

इसके इनेबल करने से आपकी मशीन में इंसिक्रिप्ट की-बोर्ड ड्राइवर तथा यूनिकोड समर्थित मंगल तथा एरियल यूनिकोड एम एस फोंट आ जाएंगे।

14.8 कंप्यूटर पर हिंदी-प्रयोग के विकास में सहायक अन्य सॉफ्टवेयर

इनके अतिरिक्त कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए अनेक शब्द संसाधन पैकेज उपलब्ध हैं। ये सभी भिन्न-भिन्न क्षमताएं, विशेषताएं और उपयोगिता रखते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से देखा जा सकता है-

सुलिपि सॉफ्टवेयर के द्वारा लोकप्रिय पैकेजों जैसे डी बेस, लोटस, वर्डस्टार, क्लिपर, साफ्टबेस, फाक्सबेस, पैराडाक्स, बेसिका जैसे वेतन पर्ची, वित्तीय खाता लेखन, वस्तु सूची आदि के माध्यम से हिंदी-अंग्रेजी में संसाधन क्षमता प्रदान की गई है। इसका लैन प्रारूप भी उपलब्ध है। यह हिंदी में टाइपिंग या स्वर आधारित कुंजी पटल का विकल्प देता है। सुविंडो साफ्टवेयर विंडो के लिए है। यह सुलिपि आधारित हिंदी डॉस फाइलों को अनुकूल फॉर्मेट में बदलता है। इसमें लिप्यंतरण, शब्दों और पदबंधों के शब्दकोश स्थानापन्न तथा हिंदी वर्तनी की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यह डी0 टी0 पी0 और बहुमाध्यम (मल्टीमीडिया) के लिए किसी भी विंडो प्रोग्राम में कार्य कर सकता है। इसके द्वारा परिपत्र, आदेश द्विभाषा में भेजे जा सकते हैं और छंटाई भी की जा सकती है।

श्रीलिपि एक बहुभाषी सॉफ्टवेयर है जो विंडोज पर आधारित है। यह केवल सी0 डी0 पर उपलब्ध है। इसमें लिपि संसाधक, शब्द संसाधक और निजी डायरी है। इसमें दिन, तारीख और समय को भारतीय भाषाओं में डाला जा सकता है और व्यक्तिगत सूचनाएं आदि रखे जा सकते हैं। इसमें ऑटोसेव सुविधा भी उपलब्ध है।

बैंक मित्र द्विभाषिक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडो पर आधारित है। ये अंग्रेजी के साथ-साथ प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी काम करता है। इसके द्वारा ग्राहक सेवा संबंधी कार्य (चैक बुक, पास बुक, ब्याज लगाना, ऋण सीमा पर नजर रखना आदि कार्य) किए जा सकते हैं।

जिस्ट शैल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एम0 एस0 डॉस अनुप्रयोग पर आधारित है। यह पाठ्य सामग्री की प्रविष्टि, भंडारण, प्रदर्शन और भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के साथ मुद्रण को संभव बनाता है। इसके सहयोग से अपना पसंदीदा सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में प्रयोग किया जा सकता है।

जिस्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कंप्यूटर के साथ संलग्न किया जाता है। इसके सहयोग से भारतीय और अन्य लिपियों में अंग्रेजी सहित पाठ्य आधारित पैकेजों जैसे लोटस 1-2-3, वर्डस्टार, क्यूबोसिक आदि पर काम किया जा सकता है।

जिस्ट टर्मिनल के द्वारा किसी भी भारतीय लिपि और अंग्रेजी के सभी पाठ्य आधारित एप्लीकेशन पैकेजों जैसे कोबोल, वर्ड परफैक्ट, फाक्सबेस आदि में काम किया जा सकता है। यह डेक वी टी 52/100/220/320 के समान है। ए0 पी0 एस0 कॉरपोरेट में पाठ्य प्रविष्टि, स्पैड शीट और फोक्स के द्वारा आंकड़ों और संसाधक के विकल्प उपलब्ध हैं। फैक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को निर्णय में सहयोग करने वाली मशीन के रूप में बदल देता है। यह एक बहुभाषी व्यापार लेखा सॉफ्टवेयर है और इसमें एकाउंटिंग, इन्वेंट्री आदि की सुविधा है। इस सुविधा के लिस जिस्ट कार्ड या जिस्ट शैल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। लीप ऑफिस 2000 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे भारतीय भाषाओं के लिए तैयार किया गया है। इसमें अंग्रेजी

के अलावा अनेक भारतीय लिपियों (हिंदी, संस्कृत, असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगू) में काम किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

1. पाठ को भारतीय लिपियों में बदलना और मुद्रित करना।
2. अनुवाद हेतु राजभाषा शब्दकोश उपलब्ध कराना।
3. विंडो आधारित एम0 एस0 ऑफिस, पेजमेकर, एक्सल आदि में भारतीय भाषाओं में काम करने की सुविधा।
4. वर्तनी जांच करने की सुविधा।
5. सभी भाषाओं के लिए समान कुंजीपटल, डायनैमिक फॉण्ट उपलब्ध।
6. ध्वन्यात्मक कुंजीपटल जो उच्चारण के अनुसार टंकण करने में सहायक होता है।

आकृति विंडोज का एक अंतर्पृष्ठ है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को एक ही फॉण्टस में मिश्रित करने के लिए विशेष फॉण्टस हैं। इसे बिना फॉण्टस बदले एक द्विभाषिक सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह विंडोज 95 के तहत काम करता है। इसमें चित्र भी उपलब्ध हैं जो प्रस्तुतीकरण को आकर्षक बनाते हैं।

हिंदवाणी सॉफ्टवेयर पीसी डॉस आधारित है। यह हिंदी टैक्स्ट फाइलों को स्पीच में बदल देता है। यह नेत्रहीन लोगों के लिए तो उपयोगी है ही, रेलवे, हवाई जहाज तथा पर्यटन संबंधी सूचनाओं के लिए भी उपयोगी है। डॉ. मुरलीधर पाहूजा ने 'लेखक' नाम एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसकी सहायता से बिना अंग्रेजी की मदद के भी हिंदी में सारा काम किया जा सकता है। इस में संवाद, संदेश और सारे आदेश हिंदी में हैं। ईमेल सर्वर 'अनुसारका' है जो कन्नड़, तेलुगू, मराठी, बंगला और पंजाबी में भेजे संदेश को हिंदी में अनूदित कर देता है। इसी प्रकार 'देशिका' नामक सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है जो वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र न्याय, मीमांसा, व्याकरण और अमरकोष को उपलब्ध कराता है जिसे दस भारतीय लिपियों में पढ़ा जा सकता है। इसे सी-डेक ने बनाया है। गीता रीडर सॉफ्टवेयर गीता पढ़ने में लोगों की मदद करता है। इसे भी सी-डेक ने बनाया है। यह विंडो 95 पर चलता है। आज हिंदी टूलकिट भी उपलब्ध है। हिंदी आई एम ई एक्स पी और विंडोज 7, यूनिकोड-कृतिदेव कन्वर्टर, गूगल हिंदी आई एम ई भी उपलब्ध है। आज अनेक हिंदी के पोर्टल इंटरनेट पर उपलब्ध हैं।

हिंदी और कंप्यूटर के क्षेत्र में सी-डैक (सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग), पुणे नामक संस्था अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सी-डेक ने विभिन्न सॉफ्टवेयरों को प्रस्तुत करने से पहले एक सीडी तैयार की थी जिसे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अध्यक्ष

सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए जारी किया था। इस सीडी में अनेक प्रकार के फांट और उपयोगी टूल्स उपलब्ध हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के फांट्स, मल्टी बोर्ड की बोर्ड कन्वर्टर, हिंदी का ब्राउजर फायरबॉक्स, हिंदी का मेसेंजर, हिंदी का ओसीआर, हिंदी-अंग्रेजी में टाइपिंग सिखाने की सुविधा, हिंदी-अंग्रेजी के शब्दकोश, वर्तनी जांचने की सुविधा, ट्रांसलिटरेट टूल आदि शामिल हैं। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि हिंदी भाषी का कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने का रूझान बढ़ा है।

14.9 इंटरनेट और हिंदी

कंप्यूटर के साथ-साथ इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल वेबसाइट्स पर हिंदी का बढ़ता साम्राज्य देख सकते हैं और वहां से प्राप्त लिंक के माध्यम से इंटरनेट पर हिंदी में विचार रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कविता, कहानी आदि विभिन्न विधाएं हिंदी में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इनमें लगातार प्रगति हो रही है। यद्यपि अभी भी अधिकांश सामग्री इंटरनेट पर अंग्रेजी में उपलब्ध है लेकिन साथ ही अनुवाद की भी सुविधा है जिससे आप इस सामग्री का लाभ ले सकते हैं। अब आपको इंटरनेट पर चैटिंग करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे वेबसाइट्स पर जाकर चैटिंग कर सकते हैं। अपने मित्रों को ईमेल कर सकते हैं। आज हिंदी में भी ईमेल की सुविधा उपलब्ध है। गूगल और रेडिफमेल डॉट कॉम पर आपको इस प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं। इसी प्रकार राजभाषा डॉट कॉम, राजभाषा डॉट नेट आदि वेबसाइट्स भी उपलब्ध हैं। हिंदी की अनेक ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर साहित्य, संस्कृति की प्रस्तुति होती है और विचारपरक लेख प्रसारित-प्रकाशित होते हैं। ये वेबसाइट्स भारत में भी हैं और विदेशी भी हैं जिन्हें आप इंटरनेट पर आराम से देख सकते हैं। इनमें से कुछ वेबसाइट्स इस प्रकार हैं-

www.kavitakosh.org
 www.hindinest.com.
 www.abhivyakti-hindi.org
 www.bharatdarshan.co.nz
 pryas.wordpress.com
 www.udgam.com
 www.sahityakunj.net
 www.tadbhav.com
 www.pitara.com
 www.srijangatha.com
 www.hindielm.co.uk

www.webdunia.com
www.avadh.com
www.kalayan.org
www.anyatha.com
www.geocities.com
www.iiit.net
taptilok.com
www.hindisewa.com
www.childplanet.com
www.kavita.Hindiyugm.com

कविता कोश डॉट ओआरजी हिंदी साहित्य के प्रकाशन की एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है। इस पर नए और पुराने सभी कवियों की रचनाएं और पुस्तकें (संपूर्ण रूप में) उपलब्ध हैं। इससे प्रिंट भी लिए जा सकते हैं और रचनाओं को ऑनलाइन पढ़कर आनंद लिया जा सकता है। **अभिव्यक्ति-हिंदी डॉट ओआरजी** पर कविताओं, कहानियों और निबंधों का संग्रह पाठकों को पढ़ने के लिए मिलता है। **अवध डॉट कॉम** पर हास्य कविताओं और कहानियों का प्रकाशन होता है। **हिंदी नेस्ट** साप्ताहिक जाल पत्रिका है। इसमें कविताओं, कहानियों के साथ-साथ सामाजिक लेख भी पढ़ने को मिल सकते हैं। **भारत दर्शन** न्यूजीलैंड से प्रकाशित होने वाली हिंदी साहित्यिक पत्रिका है। प्रयास कविताओं और कहानियों का संग्रह है। यहां प्राचीन कथा साहित्य और हास्य कविताएं उपलब्ध हैं। **तद्भव** और **उद्गम** मासिक साहित्य पत्रिकाएं हैं। **पफोर टू पफोर्टी** और **पिटारा** में बाल साहित्य उपलब्ध है। **सृजनगाथा** हिंदी साहित्य, संस्कृति और भाषा के विकास के लिए एक प्रयास है। **साहित्य कुंज** पाक्षिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें कहानियों, कविताओं और आलेखों का संकलन रहता है। **कालायन** पत्रिका में कविताएं, लेख, नाटक, उपन्यास आदि के साथ-साथ हिंदी भाषा की जानकारी दी जाती है। अन्यथा भारत और अमरीकावासी मित्रों द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रेषित करने का प्रयास है। **तृप्तिलोक** हिंदी की पाक्षिक पत्रिका है जो पहली और सोलहवीं तारीख को प्रकाशित होती है। यहां ई-पुस्तकें भी उपलब्ध होती हैं। **इट नेट** पर प्रमुख कवियों की रचनाओं को पढ़ा जा सकता है। जियोसिटीज पर पूरी भगवद्गीता हिंदी में पढ़ी जा सकती है। वेबदुनिया साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशन का महाजाल स्थल है। अन्य वेबसाइटों पर भी इसी प्रकार की सामग्री पाठकों को मिल सकती है। इंटरनेट पर हिंदी साहित्य की प्रस्तुति ब्लॉगों के माध्यम से भी होती है। इन ब्लॉगों पर अनेक साहित्य प्रेमी अपनी और अन्य व्यक्तियों की रचनाओं को सामने रखते हैं और टीका-टिप्पणियों को आमंत्रित करते हैं। ये टीका-टिप्पणियां पाठकों की विचारधरा को तो सामने लाती हैं ही, किसी रचना की गुणवत्ता और उसकी महत्ता को भी रेखांकित करती हैं। इस प्रकार के ब्लॉग निम्नलिखित हैं-

blog.masijivi.com

hemadixit.blogspot.com
 jankipul.com
 nukkadh.com
 drharisharora.blogspot.com
 vibhav.blogspot.com
 sahyalochan.blogspot.com
 nayasamay.blogspot.com
 rajbhashamanas.blogspot.com
 manishkumar.blogspot.com
 vartmaansrijan.blogspot.com
 vishwagatha.blogspot.com
 ravisrivastava.uvach.blogspot.com
 rishabhvaach.blogspot.com
 anunaad.blogspot.com
 rajy.blogspot.com

यही नहीं, ऑनलाइन हिंदी साहित्य की रचना की जाती है और हिंदी कविता लेखन प्रतियोगिताएं की जाती हैं। ये रचनाएं डाक से भी मंगाई जाती हैं और ईमेल के द्वारा भी मंगाई जाती हैं। सोशल साइट्स, जैसे फेसबुक पर भी ऐसी प्रतियोगिताएं देखने को मिलती हैं जो एक प्रकार से हिंदी और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में अपना योगदान देती हैं। इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हिंदी शब्दकोश संबंधी सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे शब्दकोश डॉट कॉम, ई-महाशब्दकोश, शब्दमाला आदि। ई-महाशब्दकोश सी-डैक, भारत सरकार की प्रस्तुति है। इसके अतिरिक्त कुछ ऑफलाइन साइट्स भी हैं, जैसे शब्द-ज्ञान। इसकी मदद से एक बार इंटरनेट से शब्दकोश डाउनलोड कर बिना इंटरनेट से जुड़े भी शब्दकोश की सहायता ली जा सकती है। इन सभी शब्दकोशों से न केवल इच्छित शब्दों का अर्थ ढूंढा जा सकता है बल्कि उन शब्दों के शुद्ध हिंदी उच्चारण और उदाहरण सहित उनके प्रयोगों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि हिंदी कंप्यूटिंग में यूनिकोड के आने से हालांकि काफी दिक्कतें दूर हो गई हैं लेकिन अभी भी कई मामलों में मानकीकरण नहीं हो पाया है। एक सर्वस्वीकृत की-बोर्ड की समस्या अभी भी बनी हुई है। अनेक प्रकार के फांट हैं जो यूनिकोड में रूपांतरित नहीं हो पाते। प्रिंटर और स्कैनर की अनुकूलता की समस्या भी बनी हुई है। इनके लिए व्यापक और गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है।

14.10 सारांश

कंप्यूटर पर हिंदी अनुवाद भी संभव है और हिंदी शिक्षण भी। इस दृष्टि से अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। 'मंत्र राजभाषा' इसमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से 'लीला राजभाषा' एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 'श्रुतलेखन राजभाषा' और यूनिकोड भी एक विशिष्ट उपलब्धि है। इनके प्रयोग से हिंदी को कंप्यूटर पर प्रयोग करने में काफी लाभ मिला है। यूनिकोड ने सभी भाषाओं में लेखन, टंकण के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान किया है जिससे फांट संबंधी अनेक समस्याएं दूर हो गई हैं। इंटरनेट ने भी हिंदी और हिंदी साहित्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट्स हैं जिनसे निरंतर हिंदी विकास को प्राप्त हो रही है और उसका विश्वव्यापी विस्तार हो रहा है। अनेक सोशल वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर ने भी हिंदी के विकास-रथ को आगे बढ़ाया है। हिंदी में ईमेल और चैटिंग की सुविधा मिलने से हिंदी प्रेमियों को जहां एक ओर खुशी मिली है, वहीं दूसरी ओर भाषा-विस्तार में भी मदद मिली है।

14.11 शब्दावली

रोजमर्रा	-	हर दिन का
वैश्विक	-	विश्व स्तर का
द्विभाषिक	-	दो भाषाओं वाला
प्रयोक्ता	-	प्रयोग करने वाला
बहुअर्थी	-	अनेक अर्थ वाला

14.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

राजभाषा भारती, अप्रैल-जून 2007

इस्पात भाषा भारती, जुलाई-सितंबर 2005, जनवरी-मार्च 2003

सं पूनचंद टंडन, (2004) सूचना प्रौद्योगिकी, हिंदी और अनुवाद, भारतीय अनुवाद परिषद, दिल्ली

14.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. कम्प्यूटर क्या है ? विस्तार से समझाये . कम्प्यूटर और हिन्दी के संबंधों को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता को समझाइये .
2. कम्प्यूटर पर हिन्दी-प्रयोग के विकास में सहायक अन्य सॉफ्टवेयरों पर एक लेख लिखिए तथा इंटरनेट पर हिन्दी की स्थिति की विवेचना कीजिए।